

वाणी

वर्ष : 37 अंक : 140 मार्च 2024



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
तिमाही गृह पत्रिका

पत्रिका पढ़ने के लिए,
क्यूआर कोड स्कैन करें



गणतन्त्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2024 को केन्द्रीय कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए शीर्ष कार्यपालक गण तथा मुख्य सुरक्षा अधिकारी।



बैंक के 88वें स्थापना दिवस के अवसर पर बैंक के संस्थापक श्री एम सीटी एम चिदम्बरम चेट्टियार की प्रतिमा के साथ शीर्ष कार्यपालक गण तथा संस्थापक के परिजन



वर्ष : 37 अंक 140 मार्च 2024

संदेश

सचिव महोदया का संदेश	3
संयुक्त सचिव महोदया का संदेश	4
प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय का संदेश	5
कार्यपालक निदेशक महोदय का संदेश	6
कार्यपालक निदेशक महोदय का संदेश	7
महा प्रबन्धक महोदय का संदेश	8

संपादकीय

महिलाओं का समावेशी व सतत विकास	9
--------------------------------	---

विशेष आलेख

भारत में महिला सशक्तिकरण	10
जीवन को आसान और खुशहाल बनाने के सूत्र	14
महिलाएँ - विश्व की शक्ति	16
भारतीय नारी	17
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस: महिला सशक्तिकरण की ओर एक कदम	21
भारतीय समाज में महिलाओं का अवस्थांतर	23
कोई न रोको दिल की उड़ान को : वहीदा रहमान	27
आधी आबादी की हिस्सेदारी	33
स्त्री विमर्श	39
"इमा कैईथेल"- माँ बाज़ार	43
महिलाओं के संवैधानिक अधिकार	44
नारी शक्ति है, सम्मान है	47
सर्वाङ्कल कैसर और टीकाकरण जागरूकता	49
बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ	51
सरोजिनी नायडू	56

बैंकिंग व अन्य लेख

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में महिलाओं का योगदान	19
भारत में बैंकिंग: सुधारों का सफर	20
महिला सशक्तिकरण में आइओबी का योगदान	54

कविता

अहिल्या	15
सोचता है उड़ेगा	18
मेरा गाँव	22
जीत तेरी जरूर होगी	50
एहसास	57

साहित्य का सफ़रनामा

विकल विद्रोहिणी : पंडिता रमाबाई सरस्वती	25
---	----

फोटो फ़्रीचर

माननीय संसदीय समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय / शाखा का निरीक्षण	29
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की झलकियाँ	30
केंद्रीय कार्यालय में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की झलकियाँ	31
विभिन्न नराकास से प्राप्त पुरस्कारों की झलकियाँ	32

कृति दर्पण

'महाभोज'	37
----------	----

विविधा

शब्द शब्दांतर	42
हंसी की फुलझड़ियाँ	53
ज्ञान के मोती	53
राजभाषा प्रश्नोत्तरी	58
प्रतिस्पन्दन	59
डिजिटल लाइब्रेरी	60



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
की तिमाही गृह पत्रिका

वाणी

वर्ष : 37 अंक 140 मार्च 2024



**तुम वहन कर सको जन-मन में मेरे विचार !
वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार ?**



मुख्य संरक्षक
अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व मुख्य
कार्यपालक अधिकारी

संरक्षक
जयदीप दत्ता रॉय
कार्यपालक निदेशक



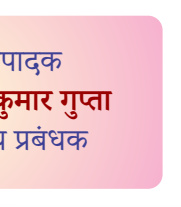
संरक्षक
धनराज टी
कार्यपालक निदेशक



परामर्शदाता
रेयाजुल हक
महा प्रबन्धक



संपादक
कृष्ण कुमार गुप्ता
मुख्य प्रबंधक



संपादन सहयोग
फणीष मणि लिपाठी
प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय



संपादन सहयोग
नगेन्द्र कुमार सिंह
प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय



संपादन सहयोग
शुभम दीक्षित
प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय



मुद्रक
कृष्णराज प्रिंटर्स
36 देवराजन स्ट्रीट, रॉयपेट्टा
चेन्नै 600 014, तमिलनाडु
दूरभाष : 044-28481125

वाणी में प्रकाशित रचनाओं
में व्यक्त विचार लेखकों के
निजी हैं ।
बैंक का इससे सहमत होना
ज़रूरी नहीं है ।

पत्र व्यवहार का पता
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
763 अण्णा सालै, चेन्नै 600002
फैक्स : 044-28551618
दूरभाष : 044-28519572
ई-मेल : official@iobnet.co.in

केवल आंतरिक परिचालन हेतु

अंशुली आर्या, आई.ए.एस.
सचिव
ANSHULI ARYA, I.A.S.
Secretary



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

सं 11014/02/2024-रा.भा. (प)

दिनांक : 12 फरवरी, 2024

संदेश

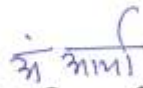


यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि इंडियन ओवरसीज बैंक की हिंदी गृह पत्रिका 'वाणी' का 140 वां अंक महिला विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

देश के संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन राजभाषा हिन्दी के विकास और प्रचार-प्रसार के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करता है। बैंक का महिलाओं को साहित्यिक मंच प्रदान करने का प्रयास सराहनीय है। इससे महिलाओं को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए सशक्त माध्यम तो मिलेगा ही, साथ ही महिलाएं स्वयं से जुड़े अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी।

मुझे विश्वास है कि 'वाणी' पत्रिका में प्रकाशित रोचक और ज्ञानवर्धक सामग्री से कार्मिक लाभान्वित होंगे और हिन्दी में अपना अधिकाधिक कामकाज करने के लिए प्रेरित होंगे।

पत्रिका 'वाणी' के प्रकाशन के लिए संपादक मण्डल एवं सभी सहयोगियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।


(अंशुली आर्या)

तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
फोन : (91) (11) 23438266, फैक्स : (91) (11) 23438267, ई-मेल : secy-ol@nic.in



डॉ० मीनाक्षी जौली
संयुक्त सचिव
DR. MEENAKSHI JOLLY
JOINT SECRETARY
Telefax : 23438130
E-mail : jsol@nic.in



संदेश



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
राजभाषा विभाग
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन,
4th FLOOR, N.D.C.C.-II BHAWAN,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001



यह प्रसन्नता का विषय है कि इंडियन ओवरसीज बैंक अपनी गृह पत्रिका 'वाणी' का 140वां अंक महिला विशेषांक के रूप में प्रकाशित कर रहा है।

संविधान के अनुच्छेद 351 में दिया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में हिंदी पत्रिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।

'वाणी' पत्रिका के 140वें अंक को महिला विशेषांक के रूप में प्रकाशित करने की इंडियन ओवरसीज बैंक की पहल प्रशंसनीय है। मैं आशा करती हूँ कि पत्रिका में प्रकाशित लेख रोचक, ज्ञानवर्धक और प्रेरक होंगे जिससे महिलाएं लाभान्वित होंगी और कार्मिक हिन्दी में अपना अधिकाधिक कामकाज करने के लिए प्रेरित होंगी।

मैं पत्रिका "वाणी" के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ तथा मुझे पूर्ण विश्वास कि पत्रिका अपने प्रयोजन में सफल होगी।

मीनाक्षी जौली

(डॉ. मीनाक्षी जौली)



प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय का संदेश

प्रिय आइओबियन्स,

मुझे जानकर खुशी हुई कि 'वाणी' पत्रिका का नवीनतम अंक 'महिला विशेषांक' के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है और इस अंक में सिर्फ महिला लेखक की रचनाओं को स्थान दिया गया है। देश की आबादी का आधा हिस्सा नारी हैं। यदि वे सशक्त रहेंगी, तो देश और समाज मजबूत बनेगा। उनकी कर्मठता, दृढ़ता एवं सहनशीलता जगजाहिर है। उनके सम्मान में, इस वर्ष 08 मार्च को हमारे सभी कार्यालयों में उत्साह व उमंग के साथ अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। मैं, बैंक की ओर से 'महिला विशेषांक' हेतु संदेश देने के लिए सुश्री अंशुली आर्या, सचिव, राजभाषा विभाग एवं सुश्री मीनाक्षी जौली, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग का आभार प्रकट करता हूँ। उनका संदेश रचनाकारों एवं पाठकों के लिए प्रेरणादायक है।



साथियों, वित्तीय वर्ष 2023-24 का समापन हो चुका है। पिछला वित्तीय वर्ष कई मायनों में खास रहा है। 31 मार्च 2024 को आप सभी के अथक प्रयास एवं मेहनत से, बैंक ने मील का पत्थर स्थापित करते हुए रु. 5.00 लाख करोड़ से अधिक के मिश्रित व्यवसाय के आंकड़े को पार कर लिया है। आइओबी टीम को इस ऐतिहासिक एवं अविस्मरणीय उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई! हमने सभी पैरामीटरों में शानदार प्रदर्शन किया है। विशेषकर स्लीपेज को रोकने एवं अनर्जक आस्तियों की वसूली में अच्छी सफलता मिली है। खातों का स्लीपेज 1% से भी कम रहा है। हमारे तुलन-पत्र पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमने कासा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा, खुदरा जमा के सभी लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी इस गति को बरकरार रखना है।

हमारे बैंक के क्रेडिट पोर्टफोलियो में केवल आभूषण ऋण का 22% योगदान है। आइओबी के लिए आभूषण ऋण वास्तव में स्वर्ण का काम कर रहा है। इस पोर्टफोलियो में जोखिम की मात्रा नगण्य होती है। सभी शाखाएँ आभूषण ऋण व्यवसाय को बढ़ाने का सकारात्मक प्रयास करें। आप अवगत हैं कि बैंक के लिए रीटेल और एमएसएमई सेक्टर ऑक्सीजन का काम करता है। इस सेक्टर में कारोबार करने के लिए किसी विशेष सीज़न की आवश्यकता नहीं होती है, इस सेगमेंट में साल भर कारोबार हो सकता है। लक्षित समूह एवं संभावित ग्राहक को चिन्हित कर, उन्हें रीटेल और एमएसएमई उत्पाद से जोड़ें।

बैंक का ग्रोथ सभी स्टाफ सदस्यों के सहयोग से ही संभव है। हमारा लक्ष्य है कि चालू वित्तीय वर्ष में हमारी अधिकतम शाखाएँ लाभ दर्ज करें। इस वित्तीय वर्ष के लिए भी सावधि जमा, कासा, एसबी, क्रेडिट एवं प्रोत्साहन संबंधी योजनाएं एवं अभियान जारी रहेंगे। आप ऊर्जा एवं जोश के साथ उससे जुड़ें एवं रणनीति बनाकर लक्ष्य को हासिल करने के लिए तत्पर रहें। जीवन में लक्ष्य के महत्व को रेखांकित करते हुए, महान दार्शनिक श्री अरबिंदो घोष लिखते हैं- **“लक्ष्यहीन जीवन हमेशा एक निरर्थक जीवन होता है। प्रत्येक व्यक्ति का एक उद्देश्य होना चाहिए।”** सुनिश्चित करें कि साथ मिलकर टीम के रूप में हम बैंक के विकास में सहभागिता करेंगे। विदित है कि विजिबिलिटी अमूल्य होता है। उसका फायदा परोक्ष व अपरोक्ष रूप से कभी न कभी जरूर मिलता है। विजिबिलिटी के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक उचित स्थान है। आप सभी सोशल मीडिया पर बैंक की अधिकतम उपस्थिति दर्ज करें।

नए वित्तीय वर्ष की शुभकामनाएं,

अजय कुमार श्रीवास्तव

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी



एमडी व सीईओ महोदय को सुनने के लिए,
क्यूआर कोड स्कैन करें



कार्यपालक निदेशक महोदय का संदेश

पिछले साल दिसंबर में फोर्ब्स ने दुनिया की सौ ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत 4 भारतीय महिलाओं को स्थान मिला है। भारत जैसे विकासशील देश की 4 महिलाएं यदि फोर्ब्स लिस्ट में अपना स्थान पक्का कर पा रही हैं तो संकेत स्पष्ट है कि भारत की आर्थिक महाशक्ति बनने की कोशिशों में नारी शक्ति का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है।



मुझे मशहूर लेखिका और समाज सेविका श्रीमती सुधा मूर्ति की वो बातें याद आ रही हैं जब उन्होंने अपने जीवन के अनछुए पहलुओं को याद करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर इंजीनियरिंग को करियर के रूप में चुना और टाटा इंस्टिट्यूट बेंगलोर के 599 छात्रों में वो अकेली छात्रा थीं। यही नहीं, टाटा की कंपनी टेल्को ने जब इंजीनियरों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला तो उसके अंत में महिलाओं से आवेदन नहीं करने का आग्रह किया गया था। इस पर नाराज़ हो कर सुधा मूर्ति ने जेआरडी टाटा को विनम्रता भरा पत्र लिखकर ये शिकायत की कि आप आधी आबादी को अपनी कंपनी में जगह नहीं देकर भारत को विकास से वंचित कर रहे हैं और ये आपकी कंपनी की बड़ी भूल है। 70 के दशक की इस घटना की आज के समय से तुलना करें तो देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी में वाकई काफी सकारात्मक बदलाव आया है।

आज कंपनियों के बोर्ड रूम से लेकर चन्द्रयान मिशन तक में भारतीय महिलाएँ अपनी काबलियत का लोहा मनवा रही हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल बनाने में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की भी महती भूमिका रही है। स्वयं सेवी समूहों के जरिए आज लाखों महिलाएं विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ी हैं। स्टैंड अप इंडिया जैसी सरकारी ऋण योजनाओं ने महिलाओं को स्वयं का उद्यम खड़ा करने के लिए प्रेरित किया है।

मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई है कि वाणी का ये अंक नारी शक्ति को समर्पित है। हमारा बैंक भी अपनी महिला स्टाफ सदस्यों की अहमियत को पहचानता है और उन पर गर्व करता है। बैंक की कोशिश रहती है कि महिला स्टाफ सदस्यों को कार्यस्थल पर हरसंभव सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि उन्हें कार्यालय में सुरक्षित और स्वतंत्र माहौल मिल सके।

जयदीप दत्ता राय

जयदीप दत्ता राय
कार्यपालक निदेशक



कार्यपालक निदेशक महोदय का संदेश

प्रिय आइओबियन्स,

बैंक की तिमाही गृह पत्रिका वाणी के माध्यम से आप सभी से बात करते हुए बहुत खुशी हो रही है। यह पहली बार है जब मैं बैंक की तिमाही हिन्दी गृह पत्रिका के माध्यम से आपसे संवाद स्थापित कर रहा हूँ। मुझे यह जान कर बेहद खुशी हुई कि राजभाषा विभाग अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वाणी के 140वें अंक को महिला विशेषांक के रूप में प्रकाशित कर रहा है, जो कि सराहनीय है। यद्यपि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की जड़ें सीधे तौर पर पश्चिमी देशों से जुड़ी नज़र आती हैं, किन्तु भारतीय परिदृश्य में, महिलाओं के अधिकारों तथा उनकी सामाजिक स्थितियों को आदिकाल में सामाजिक नीति का अभिन्न अंग माना गया। इस संबंध में कहा भी जाता है-



यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥

(अर्थ : जहाँ नारियों का आदर होता है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ नारियों का आदर नहीं होता है, उनका सम्मान नहीं होता है वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं।)

यह पत्रिका आपके पास पहुँचने तक हम नए वित्तवर्ष में प्रवेश कर चुके होंगे। हमें इस नए वित्तवर्ष की हर तिमाही के हर कार्य दिवस और हर कार्य दिवस के एक-एक मिनट का सदुपयोग करना होगा तभी हम इस प्रतिस्पर्धी दौर में अपने बैंक के लिए शीर्ष स्थान सुरक्षित कर पाएंगे। हमें एक टीम की भांति काम करते हुए आगे बढ़ना होगा। एक ऐसी टीम जिसका हर सदस्य अपने जिम्मेदारियों से वाकिफ़ है। हमें उपलब्ध सभी संसाधनों का सदुपयोग करना होगा। हमें याद रखना होगा कि कोई भी लक्ष्य हमारी इच्छा शक्ति से अधिक बड़ा नहीं होता। मैं मानता हूँ कि हमारे सामने बड़े लक्ष्य हैं। लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं है। ज़रूरत है तो रणनीति की, कि किस तरह इस लक्ष्यों को साधा जा सके। मुझे विश्वास है कि सही योजना तथा रणनीति के साथ आगे बढ़ते हुए हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे व अपने बैंक को शीर्ष के बैंक के बीच स्थापित कर सकेंगे। सोहन लाल द्विवेदी जी की पंक्तियाँ आपको सौंपते हुए आपनी बात को समाप्त करूंगा:

नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सौ बार फिसलती है।
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है।
आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।

शुभकामनाओं सहित,

धनराज टी

धनराज टी

कार्यपालक निदेशक



महा प्रबन्धक महोदय का संदेश

बैंक की तिमाही गृह पत्रिका 'वाणी' के माध्यम से आप सभी से बात करते हुए बेहद खुशी हो रही है। वाणी का 140वां अंक अपने आप में विशेष है, क्योंकि राजभाषा विभाग इसे महिला विशेषांक के रूप में प्रकाशित कर रहा है। विगत वर्ष भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में महिला कर्मचारियों की संख्या औसत रूप से 30% के आस-पास है। इस संदर्भ में यह जानना बेहद सुखद है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सर्वाधिक (36%) है। इण्डियन ओवरसीज़ बैंक न केवल महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है बल्कि बैंक आंतरिक रूप से लैंगिक भेदभाव रहित नीति का पालन करता है, जहां सभी के लिए एक समान अवसर उपलब्ध हैं।



बैंक एक वित्तीय संस्थान है और किसी भी वित्तीय संस्थान की सफलता का सबसे मजबूत आधार होता है उसके ग्राहकों का विश्वास। ग्राहकों के विश्वास के बिना कोई भी वित्तीय संस्थान सफल होने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। हमें बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 14 मार्च 1969 को राष्ट्रीयकरण के वक्त हमारे बैंक की कुल जमा 67.70 करोड़ रुपये, अग्रिम 44.90 करोड़ रुपये और सकल कारोबार 112.60 करोड़ रुपये था, जो 31 मार्च 2024 को बढ़ कर 5 लाख करोड़ रुपये हो गया। वित्तवर्ष 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक बैंक ने 23.00 लाख बचत खाते व 1.50 लाख चालू खाते खोले। इन नए खातों ने बैंक के कासा में 9817 करोड़ रुपये की वृद्धि की। यह केवल हमारे बैंक के एमडी व सीईओ महोदय के नेतृत्व में हमारे युवा शाखा प्रमुखों के अथक परिश्रम तथा ग्राहकों के विश्वास के साथ ही संभव हो सकता था। इस उपलब्धि के लिए सभी स्टाफ सदस्य बधाई और हमारे सभी ग्राहक धन्यवाद के पात्र हैं।

साथियों, नए वित्तवर्ष का आगाज़ हो चुका है। बीते वित्त वर्ष के आंकड़े जोश भरने वाले हैं। अगर आंकड़े हमें बड़ा बैंक बनाते हैं तो हमें याद रखना होगा आंकड़े कभी खत्म नहीं होते। हमें हमेशा और बेहतरी के लिए कोशिश करते रहना होगा। ज़िंदगी कोई मॉर्निंग वॉक नहीं है, ये एक रेस है। अगर आप तेज़ नहीं दौड़ेंगे तो कोई आपके पैर पर पैर रख कर आपसे आगे निकल जाएगा। हमें रुकना नहीं है। हमें थकना नहीं है। हमें बस आगे बढ़ते जाना है। क्या खूब ही कहा है किसी शायर ने...

ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है।
ज़िंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं।
अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने
अभी तो नापने के लिए सारा आसमान बाकी है।

शुभकामनाओं सहित

रेयाजुल हक़

महा प्रबन्धक



महिलाओं का समावेशी व सतत विकास

प्रिय पाठको,

वाणी पत्रिका का 140वां अंक महिला विशेषांक के रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। इस अंक में प्रेरणादायक संदेश के साथ-साथ नारी शक्ति के मुखर आवाज को प्रमुखता से स्थान दिया गया है।



भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्त्री शक्ति का प्रतीक है। उनका समर्पण, सहयोग और सक्रियता समाज को विकास के रास्ते में नवीनतम ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ऐसी स्थिति में महिलाओं को समाज का नींव गढ़ने और समृद्धि में योगदान देने का अवसर समान रूप से मिलनी चाहिए। महिलाओं को समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और न्याय का समान अधिकार देना होगा। यदि हम महिलाओं के समावेशी विकास और सशक्तिकरण को महत्वपूर्ण मानकर कार्य करें, तो हमारा समाज एक नए दिशा में अग्रसर हो सकता है। इससे हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संस्कार मजबूत होगी। अब, महिलाएं अपनी सुविधा प्राप्त क्षेत्रों से भी बाहर निकलकर, मुख्य धारा का हिस्सा बन रही हैं। यह नारी सशक्तिकरण के लिए एक सकारात्मक पक्ष है।

इस अंक में महान स्त्री व्यक्तित्व, समाज में उनकी भूमिका व महत्व, स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। मुझे विश्वास है कि महिला विशेषांक के पठन के बाद पाठक वर्ग एक नयी दिशा में सोचने और काम करने के लिए प्रेरित होंगे। आशा है कि यह अंक हरेक स्त्री शक्ति की महत्वपूर्णता को समझाने और समर्थन प्रदान करवाने में सहायक सिद्ध होगा।

वाणी के इस अंक में हमेशा की तरह सभी स्थायी स्तंभों को बरकरार रखते हुए, मुख्यतः नारी शक्ति व महिला विषयक आलेखों को स्थान दिया गया है। एक ओर जहाँ 'भारत में महिला सशक्तिकरण' विषयक आलेख में महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में आगे लाने व उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर बल दिया गया है, 'महिला विश्व की शक्ति' विषयक आलेख में नारी की अस्मिता और आत्मविश्वास पर गहन विश्लेषण तथा 'सर्वाइकल कैंसर तथा टीकाकरण जागरूकता' विषयक आलेख में महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी आ रही दिक्कतों और उसके निदान पर विचार किया गया है, वहीं दूसरी ओर बैंकिंग आलेख 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में महिलाओं का योगदान', 'भारत में बैंकिंग: सुधारों का सफर' और 'महिला सशक्तिकरण में आइओबी का योगदान' जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा की गई है। साहित्य का सफरनामा स्तंभ में पंडिता रमाबाई सरस्वती के साहित्यिक योगदान को समेटने का प्रयास किया गया है तथा कृति दर्पण स्तंभ में मन्नू भंडारी की ख्याति प्राप्त पुस्तक 'महाभोज' की विधिवत साहित्यिक समीक्षा प्रस्तुत है। इस अंक के प्रकाशन में सहयोग देने वाली सभी महिला रचनाकारों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा में...

आपका,

कृष्ण कुमार गुप्ता

मुख्य प्रबंधक सह संपादक



भारत में महिला सशक्तिकरण

सोनाली सेन गुप्ता, निदेशक



महिला सशक्तिकरण शीर्षक से सामान्यतः यह मान लिया जाता है कि महिलाएँ कमज़ोर हैं तथा उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता है, जो कि हमारे मूल्यों के ठीक विपरीत है।

प्राचीन काल से ही भारत में स्त्री को ऊर्जा के सृजन का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्ति के रूप में सम्मानित किया गया है। पूर्व में, हमारे वेदों, उपनिषदों जैसे ग्रंथों के अनुसार महिलाओं को सर्वोपरि रूप से सम्मानित किया जाता था और देवी या मातृ देवी के रूप में उनकी पूजा की जाती थी। हमारे इतिहास में मातृसत्तात्मक समाज का विवरण मिलता है, जिसका नेतृत्व महिलाएँ परिवार के मुखिया के रूप में करती हैं, जिनके पास पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, "स्वयंवर" जैसे अनुष्ठानिक समारोह के माध्यम से अपने जीवनसाथी चुनने की स्वतंत्रता होती थी। भारतीय इतिहास में कई विद्वान महिला दार्शनिकों, कवियों, बुद्धिजीवियों, महिला शासकों को समृद्ध साम्राज्य चलाते हुए भी देखा गया है।

समय के साथ बाहुबल और धनबल, समाज का शासक कारक बन गया, पुरुष प्रभुत्व ने समाज में महिलाओं की भूमिका के महत्व को अपने बराबर या उसके आस-पास भी मानने से इंकार कर दिया। पर्दा प्रथा, उच्च शिक्षा पर रोक, दहेज प्रथा आदि से महिलाओं की स्थिति में धीरे-धीरे गिरावट आने लगी। सती प्रथा और बहुविवाह का महिमामंडन किया जाने लगा। महिलाओं पर कई ऐसे अत्याचार किए जाने लगे जिससे उनकी न्याय माँगने की आवाज पूरी तरह से दब गई। इस प्रकार सदियों तक महिलाओं को उनके समान अधिकारों से वंचित रखा गया और उनका शोषण किया गया।

भारत में औपनिवेशिक शासन ने महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण कानूनों सहित, मौजूदा सामाजिक पदानुक्रम को और मजबूत करते हुए महिलाओं की दुर्दशा को बढ़ावा दिया गया। हालाँकि, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने महिला कार्यकर्ताओं को सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्रों में महिला शक्ति को सशक्त करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाने के लिए एक मंच प्रदान किया। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सावित्रीबाई फुले जैसे दूरदर्शी लोगों ने न केवल महिलाओं के अधिकारों की वकालत की बल्कि भविष्य के सुधार आंदोलनों की नींव भी रखी।

स्वतंत्रता के बाद के सुधार :

स्वतंत्रता के बाद, भारत ने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों को स्थापित करते हुए लैंगिक असमानताओं को दूर करने की आधारशिला रखते हुए भारत के संविधान के साथ राष्ट्र निर्माण की यात्रा शुरू की। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों हेतु उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई विधायी सुधार पेश किए गए। इस संबंध में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 महत्वपूर्ण मील के पथर साबित

हुए। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) जैसी संस्थाओं की स्थापना इसके उदाहरण हैं।

शिक्षा एवं रोजगार :

शिक्षा को लंबे समय से महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक मानदंडों को चुनौती देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में मान्यता दी गई है। महिला साक्षरता दर में सुधार के प्रयासों से हाल ही के दशकों में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ-साथ सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। सर्व शिक्षा अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जैसी सरकारी पहलों ने लड़कियों के लिए शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और साक्षरता में लिंग अंतर को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया है। लड़कियों की साक्षरता दर 1951 में 8.86% से बढ़कर 2001 में 54.16% हो गई है और 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 65.5% और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के अनुसार 2023 में यह 70.3% हो गई है।

महिलाओं के बीच बढ़ी हुई शैक्षिक उपलब्धि ने आर्थिक भागीदारी और सशक्तिकरण के रूप में बदलाव किया है। सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, वित्त और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों के कार्यबल में महिलाएँ तेजी से शामिल हो रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) जैसी पहल ने ग्रामीण महिलाओं को लाभकारी रोजगार तक पहुंचने और अपनी आर्थिक स्वतंत्रता का दावा करने के कई अवसर प्रदान किए हैं। हालाँकि, निम्नलिखित कदम देश में महिला शिक्षा को और अधिक बेहतर बना सकते हैं :

- शैक्षिक बुनियादी ढांचे के निर्माण और रख-रखाव में निजी-सार्वजनिक भागीदारी।
- कम उम्र में विवाह और किशोर गर्भावस्था को कम करने के लिए जागरूकता पैदा करना।
- महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों का कुशल कार्यान्वयन।
- लड़कियों की शिक्षा के विस्तार के लिए नीतियाँ।
- सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

शहरी-ग्रामीण विभाजन

हालाँकि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को अपनी रोजगार क्षमता और सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा और कौशल तक पहुँचने का विशेषाधिकार प्राप्त है परंतु इसके विपरीत, ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें बुनियादी ढांचे, परिवहन की कमी, और सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंड जो आर्थिक बाधाओं के कारण लड़कियों की तुलना में लड़कों



की शिक्षा को प्राथमिकता देना, शादी और घरेलू जिम्मेदारियों के कारण जल्दी स्कूल छोड़ना आदि सीमित बाधाएँ भी शामिल हैं। जिसके परिणामस्वरूप, ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता दर उनके शहरी समकक्षों की तुलना में कम है।

शहरीकरण के कारण शहरी क्षेत्रों में उद्योगों और सेवा क्षेत्रों का विकास हुआ है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, स्वास्थ्य देखभाल और आतिथ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। शहरी महिलाओं को सामान्यतः ग्रामीण महिलाओं की तुलना में औपचारिक रोजगार, उच्च वेतन और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की सुविधा प्राप्त होती है।

ग्रामीण महिलाओं का प्राथमिक व्यवसाय कृषि है, या तो अवैतनिक पारिवारिक श्रमिक के रूप में या कृषि मजदूरी श्रमिक के रूप में। हालाँकि, वैकल्पिक आजीविका विकल्पों की कमी, शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के निम्न स्तर और कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति जैसे कारकों के कारण औपचारिक श्रम बल में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी सीमित रहती है। कई ग्रामीण महिलाएँ घरेलू आय में अपना सहयोग देने के लिए अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों जैसे कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और लघु-स्तरीय उद्यमिता जैसे कार्य में व्यस्त हैं।

शहरी क्षेत्रों में सामान्यतः अस्पताल, क्लीनिक और विशेष स्वास्थ्य देखभाल केंद्र सहित बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचा और सुविधाएँ होती हैं। शहरी महिलाओं को मातृ देखभाल, प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार नियोजन संसाधनों और निवारक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सुविधा प्राप्त होती है। सीमित बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की कमी और आवश्यक दवाओं और नैदानिक सुविधाओं की सीमित उपलब्धता के कारण ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल एक चुनौती है। भौगोलिक सुदूरता, खराब परिवहन नेटवर्क और सांस्कृतिक बाधाएँ, ग्रामीण महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने में बाधा उत्पन्न करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतक अधिकतम खराब देखे जाते हैं, जिसके कारण उच्च मातृ एवं शिशु मृत्यु दर दर्ज की जाती है।

शहरीकरण आधुनिक मूल्यों, बदलते सामाजिक मानदंडों और विविध सांस्कृतिक प्रभावों के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे सामाजिक गतिशीलता, सार्वजनिक जीवन में भागीदारी और अपने अधिकारों की पुष्टि के लिए अधिक अवसर पैदा होते हैं। हालाँकि, उन्हें सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने के दबाव का भी सामना करना पड़ सकता है परंतु महिलाओं के अधिकारों में प्रगति के बावजूद शहरी वातावरण में लिंग आधारित हिंसा, यौन उत्पीड़न और भेदभाव जारी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर पारंपरिक पितृसत्तात्मक मानदंड, रूढ़िवादी दृष्टिकोण और कठोर लिंगभेद देखा जा सकता है। ग्रामीण महिलाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निर्णय लेने या स्वायत्तता के सीमित अवसरों के साथ गृहिणी, देखभालकर्ता और कृषि श्रमिक के रूप में पारंपरिक भूमिकाओं का निर्वाह करें। बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और लिंग आधारित हिंसा जैसी प्रथाएँ ग्रामीण समुदायों में अधिक प्रचलित हैं, जिससे असमानताओं और महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन होता है। महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति

जागरूकता की कमी भी उन पर होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में बाधक है।

अध्ययन रिपोर्ट एवं सर्वेक्षण:

आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी के अवसर के आधार पर महिलाओं की स्थिति उनकी आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई है। 2011 की जनगणना के आंकड़े ग्रामीण और शहरी महिलाओं की कार्य भागीदारी के बीच एक बड़ी असमानता को दर्शाते हैं क्योंकि आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी शहरी महिलाएँ, ग्रामीण महिलाओं की लगभग आधी हैं। आंकड़ों से ज्ञात होता है कि महिलाओं की रोजगार स्थिति उन्हें सशक्त बनाती है, लेकिन विभिन्न आयामों में ग्रामीण-शहरी क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की तुलना पर सीमित शोध किए गए हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक को व्यापक रूप से अपनाई गई सामान्यीकरण तकनीक का उपयोग करके महिला कार्य भागीदारी, साक्षर महिला कार्य हिस्सेदारी, शैक्षिक स्तर-वार महिला कार्य भागीदारी, विवाहित महिलाओं द्वारा कार्य हिस्सेदारी और नौकरी प्रोफ़ाइल वार महिला कार्य हिस्सेदारी की सहायता से मापा गया है। अध्ययन के परिणाम से पता चलता है कि ग्रामीण महिलाएँ सभी चयनित आयामों में कार्यबल में अधिक शामिल हैं। समग्र विश्लेषण ईईआई में परिलक्षित होता है, जो आश्चर्यजनक होने के बावजूद यह साबित करता है कि ग्रामीण महिलाएँ अपने शहरी समकक्षों की तुलना में आर्थिक रूप से अधिक सशक्त हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नामक एक अन्य सर्वेक्षण में, यह देखा गया कि केवल 42.3% और 31.7% महिलाओं ने कहा कि उनके पास क्रमशः अकेले या संयुक्त रूप से एक घर और जमीन है। जबकि 51.2% महिला उत्तरदाताओं ने वित्तीय मामलों में स्वायत्तता पर सहमति व्यक्त की लेकिन उनमें से अधिकांश को अपने जीवन साथी के चयन में कोई स्वायत्तता नहीं थी।

संयुक्त राष्ट्र महिला और यूएनडीपी द्वारा शुरू की गई एक नई वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर महिलाएँ अपनी पूरी क्षमता का औसतन केवल 60 प्रतिशत ही प्राप्त करने में सक्षम हैं। वे मानव विकास के प्रमुख आयामों में पुरुषों की उपलब्धि का औसतन 72 प्रतिशत हासिल करती हैं, जो 28 प्रतिशत लिंग अंतर को दर्शाता है। ये सशक्तिकरण की कमी और असमानताएँ न केवल महिलाओं की भलाई और उन्नति के लिए बल्कि मानव प्रगति के लिए भी हानिकारक हैं।

महिला उद्यमिता का महत्व:

भारत में आधी आबादी महिलाएँ हैं, लेकिन लाभकारी रोजगार में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। वर्तमान समय में महिलाएँ काफी जागरूक हुई हैं।

महिलाओं को शिक्षित करना उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि, "लोगों को जगाने के लिए महिलाओं को ही जगाना होगा। एक बार जब वह आगे बढ़ती है, तो परिवार आगे बढ़ता है, गाँव आगे बढ़ता है और राष्ट्र आगे बढ़ता है।" यही वह समय है जब देशों को महिलाओं के बीच अधिक



उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए एक उपयुक्त सहायता प्रणाली बनानी चाहिए। संख्याओं को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, छठी आर्थिक जनगणना (2013) के अनुसार, भारत में कुल उद्यमिता में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 14 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि भारत में लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने से 2025 तक इसके सकल घरेलू उत्पाद में 770 बिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है। इस संभावित लाभ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने से हो सकता है।

ऋणदाताओं से भूमिका और अपेक्षाएँ:

तो देश में वित्तीय पारिस्थिति तंत्र का उपयोग कैसे किया जा सकता है जिससे अधिकतम महिला उद्यमियों को उभारा जा सके? बैंक और गैर-बैंकिंग ऋणदाता पूंजी, वित्तीय सेवाओं और सहायता तक पहुंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके कुछ तरीके इस प्रकार हैं:

पूंजी तक पहुंच: व्यवसाय ऋण, क्रेडिट लाइन और माइक्रोफाइनेंस जैसे विभिन्न वित्तपोषण विकल्प महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए समपार्श्विक-मुक्त दृष्टिकोण के माध्यम से किफायती और लचीले वित्तपोषण विकल्प प्रदान करना महत्वपूर्ण है।

वित्तीय शिक्षा और प्रशिक्षण: कई महिलाओं में आवश्यक वित्तीय साक्षरता और व्यवसाय प्रबंधन कौशल की कमी हो सकती है और आंतरिक क्षेत्रों में मूल काम करने वाले कुछ वित्तीय संस्थान यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि महिलाएँ अपने वित्त का प्रबंधन करने, व्यवसाय योजनाएँ बनाने और वित्तीय निर्णय लेने का कौशल विकसित करें।

मेंटरशिप और नेटवर्किंग: कुछ संस्थान उभरते उद्यमियों को सफल बिजनेस लीडर्स से संपर्क और समर्थन नेटवर्क की पहुंच प्रदान कर रहे हैं।

सरकार और एनजीओ भागीदारी: सरकारी एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ सहयोग भी महिला उद्यमियों के समर्थन के लिए बैंकों और ऋणदाताओं के प्रयासों के प्रभाव को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त, सरकार के पास राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस), आत्मनिर्भर भारत निधि, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड अप इंडिया योजना, महिला उद्यम निधि योजना और अन्नपूर्णा योजना आदि जैसी महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए कई योजनाएँ हैं। नाबार्ड द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम अपनी पहुंच और ग्राहक आधार के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रम है, जिसमें ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब घरों की महिलाएँ सम्मिलित हैं।

ये योजनाएँ पूरे भारत में महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता और अवसर प्रदान करने में सहायक हैं। यह योजनाएँ न केवल आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती हैं बल्कि देश में रोजगार सृजन, कौशल

विकास और समग्र आर्थिक विकास में भी योगदान देती हैं।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, दूरस्थ इलाकों तक पहुंच बनाना है। नवोदित एनबीएफसी और अन्य ऋणदाता जो ज्यादातर दूरस्थ स्थानों में मौजूद हैं जहाँ बड़े बैंकों की ज्यादा पहुंच नहीं है, यह भी सुनिश्चित करते हैं कि इन उद्यमियों को टियर -1 और टियर -2 शहरों में अपने साथियों की तर्ज पर ऋण तक आसान पहुंच हो। वे उस अंतर को खत्म कर रहे हैं जहाँ बड़े वित्तीय संस्थान या तो नहीं पहुंचे हैं या उन्होंने बहुत कम रुचि दिखाई है। ये छोटे ऋणदाता भी सरकार के डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशन के दृष्टिकोण के अनुरूप डिजिटल हो रहे हैं, जिससे दूर-दराज क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण आवेदन प्रक्रिया सरल हो गई है। प्रौद्योगिकी के साथ, संस्थानों के लिए बेहतर क्रेडिट-संबंधी निर्णय लेने के लिए डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करना अब रॉकेट विज्ञान नहीं रहा।

उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने से उनके परिवारों और समुदायों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि महिलाएँ अपनी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपने घरों और बच्चों की शिक्षा में पुनर्निवेश करती हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अभी भी महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमता विद्यमान है। इन उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और लिंग संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए उन्हें आवश्यक समर्थन और संसाधन प्रदान करना, इस क्षमता का पूरी तरह से दोहन करने और एक विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक कदम हैं।

कुछ सकारात्मक तथ्य:

महिलाओं के निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और उनके जीवन को प्रभावित करने वाली नीतियों को आकार देने में महिलाओं की आवाज़ सुने जाने के लिए राजनीतिक सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। भारत में राजनीति में जमीनी स्तर और संसदीय संस्थानों दोनों में महिलाओं की भागीदारी में धीरे-धीरे वृद्धि देखी गई है। 1993 में संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के ऐतिहासिक निर्णय से पंचायतों और नगर पालिकाओं सहित स्थानीय शासन निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण अनिवार्य किया गया। सकारात्मक कार्रवाई उपायों के साथ मिलकर इस संवैधानिक प्रावधान से जमीनी स्तर पर महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त, महिला आरक्षण विधेयक जैसी पहल, जो संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव करती है, पर बहुत बहस हुई लेकिन उसे पारित किया गया। यह अधिनियम भविष्य में लागू किया जायेगा। अधिवक्ताओं का तर्क है कि समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और निर्णय लेने वाले निकायों में लैंगिक असंतुलन को दूर करने के लिए ऐसे उपाय आवश्यक हैं।

सामाजिक सशक्तिकरण और सांस्कृतिक परिवर्तन:

महिला सशक्तिकरण कानूनी और संस्थागत सुधारों से परे है; इसमें गहरी जड़ें जमा चुके पितृसत्तात्मक रवैये को चुनौती देना और लैंगिक समानता और सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देना भी शामिल है।



सामाजिक आंदोलनों और जमीनी स्तर की पहलों ने जागरूकता बढ़ाने, समुदायों को संगठित करने और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कन्या भ्रूण हत्या, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और बाल विवाह के खिलाफ अभियानों ने नागरिक समाज संगठनों, मीडिया और प्रगतिशील व्यक्तियों के समर्थन से गति पकड़ी है। 2015 में आरंभ किए गए "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान का उद्देश्य गिरते हुए बाल लिंग अनुपात को लक्षित करना और बालिका शिक्षा के मूल्य को बढ़ावा देना था।

मीडिया, साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति में सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व भी महिलाओं के विविध और सशक्त आख्यानों को प्रतिबिंबित करने के लिए विकसित हुआ है। "दंगल", "पंगा" और "पैडमैन" जैसी फिल्मों ने महिलाओं के लचीलेपन, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का जश्न मनाया है, जिससे लैंगिक भूमिकाओं की सामाजिक धारणा के बदलाव में योगदान मिला है।

महिला सशक्तिकरण का भविष्य:

विकसित भारत@2047 का उद्देश्य आजादी के 100वें वर्ष यानी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। यह दृष्टिकोण आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन सहित विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है। देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। भारत की महिलाएँ हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रही हैं और अन्य महिलाओं के लिए मार्ग प्रशस्त कर रही हैं, फिर चाहे वह रक्षा, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, खेल, शिक्षा, उद्यमिता, कृषि, या कोई अन्य क्षेत्र हो। महिला-नेतृत्व-विकास की अवधारणा तभी लागू किया जा सकता है जब महिलाओं को अपने विकल्प का चयन करने की आजादी मिले, जो आर्थिक स्वतंत्रता के साथ आती है। आर्थिक आत्मनिर्भरता से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि महिलाएँ देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से और बड़ी संख्या में योगदान दें। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

चुनौतियाँ और आगे का रास्ता:

सकारात्मक प्रगति के बावजूद, भारत में महिला सशक्तिकरण को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो इसके कार्यान्वयन में बाधा डालती हैं। पितृसत्तात्मक रवैये, आर्थिक असमानताएँ, संसाधनों व सेवाओं तक अपर्याप्त पहुँच और संस्थागत बाधाएँ लैंगिक समानता के लिए गंभीर बाधाएँ पैदा करती हैं। इसके अतिरिक्त, जाति, वर्ग, धर्म और जातीयता जैसे कारक अन्य पक्षों के साथ लिंग की अंतर्संबंध पर रहने वाली महिलाओं के सामने आने वाली कमजोरियों को बढ़ा देता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें विधायी सुधार, सामाजिक गतिशीलता, आर्थिक सशक्तिकरण और सांस्कृतिक परिवर्तन शामिल हों। नीतिगत हस्तक्षेपों में निम्नलिखित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए:

क) कानूनी सुधार: लिंग आधारित हिंसा को रोकने, एक समान

काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने और संपत्ति व विरासत अधिकारों को बढ़ावा देने सहित महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों को मजबूत करना और उसे लागू करना।

ख) शिक्षा और कौशल विकास: विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ समुदायों की लड़कियों और महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुँच बढ़ाना, जिससे उन्हें आर्थिक अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस किया जा सके।

ग) आर्थिक सशक्तिकरण: लक्षित हस्तक्षेपों, वित्तीय प्रोत्साहनों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता, ऋण तक आसान पहुँच और औपचारिक रोजगार क्षेत्रों में भागीदारी को बढ़ावा देना।

घ) राजनीतिक प्रतिनिधित्व: शासन के सभी स्तरों पर राजनीतिक संस्थानों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लिंग आरक्षण और सकारात्मक कार्यवाही उपायों को लागू करना।

ड) सामाजिक जागरूकता और संवेदनशीलता: पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने, लैंगिक रूढ़िवादिता का समना करने और लैंगिक समानता व महिलाओं के अधिकारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए अभियान और शैक्षिक पहल शुरू करना।

च) सहायता प्रणालियों को मजबूत करना: हिंसा, भेदभाव और शोषण के अन्य रूपों से प्रभावित महिलाओं और लड़कियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आश्रय, कानूनी सहायता, परामर्श और स्वास्थ्य देखभाल सहित व्यापक सहायता सेवाएँ प्रदान करना।

छ) सहयोग और साझेदारी: महिला सशक्तिकरण पहल के लिए समग्र दृष्टिकोण विकसित करने और संसाधनों का लाभ उठाने के लिए सरकारी एजेंसियों, नागरिक समाज संगठनों, शिक्षा जगत और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

महिला सशक्तिकरण केवल लैंगिक समानता का मामला नहीं है; यह समावेशी और सतत विकास हासिल करने के लिए आवश्यक है। हमारे देश में समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। हालाँकि, इन सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, महिलाओं को कार्यबल में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें वेतन असमानता, व्यावसायिक अलगाव और नेतृत्व पदों में सीमित प्रतिनिधित्व शामिल है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए लिंग-संवेदनशील नीतियों को बढ़ावा देने, कौशल विकास के अवसर प्रदान करने और भेदभाव तथा उत्पीड़न से मुक्त अनुकूल कार्य वातावरण बनाने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को मजबूत बनाना नहीं है, बल्कि दुनिया द्वारा उसकी ताकत को समझने के तरीके में बदलाव करना है।



जीवन को आसान और खुशहाल बनाने के सूत्र

राजलक्ष्मी भवानी शंकर, महा प्रबन्धक, केंद्रीय कार्यालय



निबंध लिखने के बजाय, मैंने सोचा कि जीवन से संबंधित कुछ ऐसे दिलचस्प उद्धरण आपके साथ साझा करूँ, जो हमारे जीवन को हमेशा आसान और खुशहाल बनाते हैं।

1. जितना सादा, उतना अच्छा। अधिकता कभी प्रचुर नहीं होती। कमी हमेशा अधिक लगती है। जब हम अपने जीवन की बुनियादी बातों से ऊपर आ जाते हैं, तब हम वास्तव में जीवन में अर्थ जोड़ते हैं और पूर्णता की अनुभूति करते हैं क्योंकि हम उस पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं जो वास्तव में मायने रखता है - संपत्ति और उपलब्धियों की अपेक्षा में व्यक्ति और अनुभव महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि हम अपने घर/कार्यालय को अव्यवस्थित रखते हैं तो इससे हमारे हृदय भी अव्यवस्थित होता है। सबसे सरल समाधान ही उचित होता है। सादगी ही जीवन का मूल नियम है। Swami Vivekananda ji ने कहा था - "Greatest truths are the simplest" यानी सबसे साधारण बातें ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।

2. सच बोलना ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह समझने की जरूरत है कि सत्य से अधिक शिष्ट कुछ भी नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि सत्य को छुपाया जा सकता है। लेकिन, जो गलत है वह देर-से-देर खत्म हो ही जाता है और जो बच जाता है, वही सच है। हमारा सबसे बड़ा डर सच व्यक्त करने में नहीं है, बल्कि हमें डर यह है कि सच बोलने के कारण अपमान होगा। यह समझने की जरूरत है कि सच बोलना न केवल चरित्र से संबंधित होता है, बल्कि तथ्यात्मक स्थितियों की सराहना करना और बिना किसी पूर्वाग्रह के उनको प्रस्तुत करना भी है। कई स्थितियों में जो सही है, उसे करने के लिए हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या सच है? हो सकता है एक ईमानदार व्यक्ति होने के कारण हमें बहुत सारे दोस्त नहीं मिलें, लेकिन हमें हमेशा सही दोस्त मिलेंगे। Gautam Buddha ने कहा था कि - "that there are three things that cannot be long hidden- the sun, the moon, and the truth" यानी तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुपाई जा सकतीं - सूरज, चांद और सच्चाई।

3. ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी, किसी भी स्वस्थ और समृद्ध समाज की आधारशिला के रूप में कार्य करती है। ईमानदार जीवन जीना हमेशा सार्थक होता है, भले ही यह आसान न हो। बेईमान व्यक्तियों पर आसानी से भरोसा किया जा सकता है, लेकिन बेईमान के रूप में पहचाने जाने पर वे अपना सम्मान और विश्वास हमेशा के लिए खो देते हैं। ईमानदारी हमारे जीवन की सभी बाधाओं का सामना करने और उनसे लड़ने के लिए हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत करने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। William Shakespeare ने सही कहा था कि - "No legacy is so rich as honesty." यानी ईमानदारी से बढ़कर कोई विरासत नहीं

होती। ईमानदारी, विश्वास और सम्मान का निर्माण करती है।

4. सम्मान दीजिए, सम्मान पाइए। यदि आप सम्मान पाना चाहते हैं तो लोगों के साथ सम्मान से पेश आएं। सम्मान उस डोर की तरह काम करता है जो रिश्तों को एक साथ बांधता है। सम्मान का अर्थ है किसी को उसी रूप में स्वीकार करना जैसा वह है, फिर चाहे वह हमसे अलग हो और हम उससे सहमत न हों। कभी-कभी हम यह अनुभव करते हैं कि हमारे अपने दोस्त/परिवार सहित अन्य लोगों द्वारा हमारा सम्मान नहीं किया जा रहा है। जीवन की ऐसी स्थितियों में यह समझने की जरूरत है कि जो भी हमारा अनादर करता है उसे बदलना संभव नहीं है। यदि संभव है, तो हमें उस व्यक्ति को यह बताना होगा कि वे जो कर रहे हैं वह सही नहीं है और उन्हें हमारे प्रति अपना व्यवहार बदलने की आवश्यकता है। हालाँकि, यह वार्तालाप मौखिक या गैर-मौखिक रूप से हो सकता है। ऐसे लोगों से दोस्ती खत्म कर देना हमेशा बेहतर होता है जो हमारे प्रति सम्मानजनक नहीं हो सकते और जिनके साथ हम सहज महसूस नहीं करते। Mahatma Gandhi ने कहा था कि - "I can not conceive of a greater loss than the loss of one's self-respect." यानी आत्मसम्मान खोने से बड़ा कोई दुख नहीं है। हम लोगों को स्वयं का सम्मान करने के लिए विवश नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके द्वारा किए जा रहे अपमान को स्वीकारने से ज़रूर मना कर सकते हैं। जब हम विश्वास के साथ अपने मूल्यों पर अटल होते हैं, तो सम्मान स्वतः मिल जाता है।

5. जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहनावा है - आत्मविश्वास। जिसे हम हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। आत्मविश्वास महाशक्ति के रूप में काम करता है। एक बार जब हम खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, तो चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। आत्मविश्वास किसी को बताए बिना सुंदर महसूस करने की क्षमता है। जब हम स्वयं को अपना लेते हैं तो हमारे भीतर स्वतः आत्मविश्वास पैदा होने लगता है। डर पर काबू पाना आत्मविश्वास हासिल करने का सबसे कारगर तरीका है। निष्क्रियता से भय उत्पन्न होता है और कर्म से निर्भयता आती है। हमारे पीछे क्या है और हमारे सामने क्या है, ये बहुत छोटी बातें लगती हैं, जब हमें एहसास होता है कि हमारे भीतर क्या है। Winston Churchill ने कहा था कि - "Courage is going from failure to failure without losing enthusiasm." यानी निरंतर असफलता के बाद भी जोश के साथ आगे बढ़ना असली हिम्मत है। जब तक चलते रहेंगे, हम बेहतर बनकर आत्मविश्वास हासिल करते रहेंगे। ज्ञान और आत्मविश्वास ही अधिनायकों के असली हथियार हैं।

6. Sir Francis Bacon ने कहा था - "Knowledge is power" यानी ज्ञान ही शक्ति है। ज्ञान हमें उचित निर्णय लेने, जटिल अवधारणाओं को समझने और समस्याओं को हल करने में मदद



करता है। सच्चे ज्ञान से यह जाना जा सकता है कि हम क्या जानते हैं और क्या नहीं? हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हम वह नहीं हैं जो हम जानते हैं, बल्कि हम वह हैं जो हम सीखना चाहते हैं। केवल वही लोग सफल होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुकूल एवं विशिष्ट परिस्थितियाँ कम ही उत्पन्न होती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ज्ञान अनुभव से प्राप्त किया जाता है। हालाँकि सीखना एक सतत प्रक्रिया है, हमें लगातार उस चीज़ को सीखने से छोड़ने की ज़रूरत है जो सच नहीं है। जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसको दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। ज्ञान हमेशा ही बुद्धि के साथ मिलकर चमकता है। ज्ञान यह जानना है कि क्या कहना है और बुद्धि यह जानना है कि कब कहना है। ज्ञान यह जानने में है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या कब नहीं करना है। जो व्यक्ति लगातार किसी भी नए प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता विकसित करते हैं और इसे अपने काम व अपने जीवन में लगातार लागू कर सकते हैं, वे महान उपलब्धि हासिल करते हैं। दूसरों की मदद स्वीकार किए बिना कोई भी सफलता हासिल नहीं की जा सकती।

7. कृतज्ञता अपनाएं एवं जीवन को खुशहाल बनाएं। कृतज्ञता सबसे श्रेष्ठ गुणों में से एक है। शुक्रिया अदा करना कृतज्ञता की शुरुआत है और कृतज्ञता प्रकट करना मानवीयता की पहचान है। खुशी के लिए कृतज्ञता प्रकट करना बहुत ज़रूरी है। दफ़्तर में कृतज्ञता दिखाने के लिए आप "धन्यवाद", "मैं आपकी सराहना करता हूँ", "आपकी उपलब्धि वाकई काबिल-ए-तारीफ़ है", "काम के लिए आपका समर्पण हम सभी को प्रेरित करता है" इत्यादि से कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं। हमें समय निकालकर शुभाशीष व्यक्त करना चाहिए और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि हम जिस संस्था में काम करते हैं उसने हमें क्या दिया है, न कि हमने उसे क्या दिया है। कृतज्ञता व्यक्त करने से काम का माहौल अच्छा होता है और काम की गुणवत्ता और मात्रा दोनों बढ़ती हैं। परिवार और दोस्तों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने से इंसान अपनी सम्पूर्णता को प्राप्त करता है। कृतज्ञता हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए ही नहीं होती बल्कि हमें ज़िंदगी में आई मुश्किलों के लिए भी शुक्रगुज़ार होना सिखाती है। भारत एक संस्कृति-प्रेमी देश है, जहाँ हमें हर चीज़ के लिए, हर रोज़ धन्यवाद देने की सीख दी जाती है। ये धन्यवाद हमारे रिश्तों और पूर्वजों के लिए भी होता है। कृतज्ञता हमें ये एहसास दिलाती है कि जो कुछ हमारे पास है, वो काफी है। समाप्त करने से पहले मैं John F Kennedy के शब्दों को याद कर रही हूँ, जिन्होंने कहा था, "As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words but to live by them". यानी जब हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे बड़ी सराहना शब्दों को बोलने में नहीं, बल्कि उनके अनुसार जीने में होती है। आइए, हमें इस दुनिया से जो भी प्राप्त हुआ है, उससे अधिक वापस करने का प्रयास करें।

अहिल्या

मैं छली अहिल्या चिंतन कर रही थी
बात मैंने अपने पति से भी कही थी
मुझे लगता है, उस पल मैं सही थी
मेरे पतिता होने की बात, लोगों ने गही थी
मैंने आमंत्रण नहीं दिया सचीश को
मैंने तो उनमें देखा, अपने ही ईश को
समझ न पाई मैं अभागन देवेंद्र की साजिश को
सतीत्व कैसे प्रमाणित करूँ? स्वीकारिए मेरे शीश को
फूट गई थी आंख, बुद्धि मूर्दार थी क्या?
आपकी मनोहारी छवि, इस छल की सूत्रधार थी क्या?
जो वो धर के आया था, जिसके आगे मैं लाचार थी क्या?
आपका स्पर्श भी ना समझ पाई, यही मेरी हार थी क्या?
संज्ञान में तो, मैंने कोई पाप न किया
मैं ठगी गई, इसका संताप ही किया
अपने रूपसी होने का बारंबार पश्चाताप ही किया
जिसके वशीभूत वो आया था, मैंने कोई व्यभिचार ना किया
मेरा वर्षों का साथ, लोगों के लांछन से हार गया
छीन लिया सम्मान, भुला दिया मेरा सदाचार गया
मेरा गौतम मुझे छोड़ जंगल के उस पर गया
मेरा तप, मेरा प्रेम, सब उनकी शंका के आगे बेकार गया
परित्यक्ता का इस जग में स्थान कहां?
फिर क्या दुख? जब लोगों ने मुझे पाषाण कहा
यह शरीर मेरा मूर्तवत स्थिर ही तो रहा

भाव शून्य नेत्र मेरे, प्रतीक्षा ही बची थी जहां
अहिल्या इस युग में भी लांछित ही कही जाती है
इस ब्रह्मांड में जहां सब समायी
वह कथित लांछिनी ही नहीं समाती है
निष्पाप वह, आज भी अपराधिनी ही ठहराई जाती है
युग बदला पर स्त्री के प्रति नजरिया नहीं
अहिल्या आज भी प्रतीक्षारत है, आश्रम में वहीं
अगर सतयुग में उनका उद्धार हो पाता
फिर कलियुग में कौन अहिल्या को सताता?
कौन अहिल्या को सताता?

प्रतिभा शुक्ला
मुख्य प्रबन्धक
दिल्ली क्षेत्र





महिलाएँ - विश्व की शक्ति

सेल्वारानी वी, महा प्रबन्धक, केंद्रीय कार्यालय



अंग्रेजी भाषा में एक कहावत है -

Spreading Smiles to miles
Winning hearts by Grace
Sweating Hard for Peace
Standing Solid against Injustice...

एक स्त्री के अलावा यह और कौन हो सकता है?

एक तमिल कवि नामक्कल कविग्रर बहुत गर्व से कहते हैं, "एक महिला के रूप में जन्म लेना कई वर्षों की महान तपस्या का परिणाम है"।

इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र की थीम "Invest in Women: Accelerate Progress" है। इस ध्येय वाक्य का उद्देश्य और कुछ नहीं बल्कि दुनिया को और अधिक विकसित बनाने के लिए महिलाओं को और अधिक समर्थन और शक्ति प्रदान करना है।

वर्तमान संदर्भ में, जो महिलाएँ केवल गृहिणी थीं, वे अपने पुरुषों की व्यावसायिक गतिविधियों को और अधिक सफल बनाने के लिए इसमें भागीदारी करती हैं। वे दिन चले गए जब पुरुष व्यावसायिक निर्णयों को घर से बिल्कुल दूर रखते थे। अब घर में महिलाओं की भूमिका इस मायने में महत्वपूर्ण है कि उनकी इस राय में हिस्सेदारी अपरिहार्य हो गई है।

मैं कहूँगी कि एक सफल एवं समृद्ध संसार के कई मनोवैज्ञानिक विचार केवल महिलाओं से ही निकले हैं - उदाहरण के लिए, एक बच्चे का पालन-पोषण, एक किशोर को सलाह देना, बुजुर्गों के परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए तैयार करना और यह सूची बहुत लंबी है।

निश्चित रूप से पूरी दुनिया भर में एक स्वीकृत तथ्य है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। एक महिला जिस तरह काम और घर के बीच संतुलन बनाती है वह अद्भुत है। महिलाओं में घर और कार्यस्थल दोनों जगह प्रतिभाओं को पहचानने की उच्चतम क्षमता है। वह व्यक्ति की सही क्षमता को पहचानती है और उन्हें बड़ी पहचान दिलाती है।

कोई महिला यह भी उम्मीद करती है कि उसके आस-पास के लोग उसके 'पैशन' अर्थात् उसकी भावनाओं एवं उसके जुनून को समझें। पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते ही अधिकांश महिलाएँ अपने जुनून को त्याग देती हैं। दूसरों

के कल्याण के लिए जीवन को संतुलित करने के एक भाग के रूप में, वह अपने जुनून अपने ख्वाब छोड़ देती है।

कोविड के समय मैंने देखा कि कई महिलाओं ने अपनी प्रतिभा को पहचाना और अपने परिवार के सदस्यों को आश्चर्यचकित करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। यहां तक कि उनके अपने परिवार को भी उनमें छिपी प्रतिभाओं के बारे में कभी पता नहीं था। यह वह समय था जब परिवार एक साथ बैठते थे और ऐसे मामलों पर विचार करते थे। मैंने उन दिनों एक व्यस्त गृहिणी को पेशेवर जुनून के साथ घर पर चुपचाप बैठे हुए बहुत सुंदर चित्र बनाते देखा उसने कहा कि यह उसका जुनून था लेकिन प्राथमिकताएं बदल जाने के कारण वह इसे आगे नहीं बढ़ा सकी। मेरे पड़ोस में एक वरिष्ठ महिला बहुत सुन्दर गाती थीं। वह बताती थीं कि उन दिनों उनके परिवार वालों ने कभी घर पर गाने की इजाजत नहीं दी और उन्हें गाना छोड़ना पड़ा। ऐसी कई महिलाएँ हैं जो पढ़ाई करना चाहती थीं, अलग-अलग क्षेत्रों में प्रोफेशनल बनना चाहती थीं, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों से मजबूर होकर वे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाईं।

महिलाओं को उनके जुनून के साथ जीने देने से दूरगामी परिणाम मिलेंगे जो पूरे संसार को उन्नत एवं समृद्ध करेंगे। जब उसे घर पर एक पहचान मिलती है, तो इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह उसे बहुत तृप्ति और अपार खुशी देता है और उसके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। कहने की जरूरत नहीं है कि जब परिवार की महिला खुश होती है, तो पूरा परिवार खुश होता है।

संयुक्त राष्ट्र, हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए एक नई थीम लेकर आता है और इस साल की थीम 'Invest in Women' निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को कई गुना बढ़ाएगी।



एक बेहतर और न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए जीवन के सभी पहलुओं में बालिकाओं और महिलाओं को प्रोत्साहित करना ही एकमात्र तरीका है। महिलाएं आपसी उत्साह बढ़ाने वाली लीडर हैं और कमजोरों को प्रोत्साहित करना ही उनकी ताकत है। आइए हम महिला होने पर गर्व करें और आने वाले वर्षों में अधिक से अधिक इतिहास रचें और भावी पीढ़ी को गौरवान्वित करें।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ!



भारतीय नारी

विजया एन, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, कोयंबतूर क्षेत्र ✍️



किसी भी सभ्य समाज की स्थिति उस समाज में स्त्रियों की दशा देखकर ज्ञात की सकती है। भारतीय समाज की ताकत सशक्त नारी ही है। वह मजबूत समाज की आधारशिला है। मानव कल्याण की भावना, कर्तव्य, सृजनशीलता और ममता को सर्वोपरि मानते हुए भारतीय महिलाएँ समस्त क्षेत्रों में अपनी सर्वोपरि भूमिका निभाती आई हैं।

**“नारी! तुम केवल श्रद्धा हो,
विश्वास रजत नग पगतल में।
पीयूष स्त्रोत सी बहा करो,
जीवन के सुंदर समतल में।।”**

— जयशंकर प्रसाद

हमारे पौराणिक ग्रंथों में नारी को पूजनीय एवं देवीतुल्य माना गया है। हमारी धारणा रही है कि देव शक्तियाँ वहीं पर निवास करती हैं जहाँ पर समस्त नारी जाति को प्रतिष्ठा व सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। राष्ट्रकवि 'मैथिली शरण गुप्त' ने अपने काल में बड़े ही संवेदनशील भावों से नारी की स्थिति को व्यक्त किया है:

“अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी।
आँचल में है दूध और आँखों में पानी।”

पूजनीय और देवतुल्य माने जाने पर भी कहा जाता है कि प्राचीनकाल से ही औरत को अबला व कमजोर समझा जाता रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि महिलाएँ प्राचीन समय से ही सशक्त व्यक्तित्व की स्वामिनी रही हैं और इसके कई उदाहरण हमारे इतिहास में मौजूद हैं। झांसी की रानी, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, विजया लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली जैसी और न जाने कितनी महिलाएँ समाज और महिलाओं के लिए मार्गदर्शक बनीं। इनका नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है।

आज का युग परिवर्तन का युग है। भारतीय नारी की दशा में भी अभूतपूर्व परिवर्तन देखा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अनेक समाज सुधारकों समाजसेवियों तथा हमारी सरकारों ने नारी उत्थान की ओर विशेष ध्यान दिया है तथा समाज व राष्ट्र के सभी वर्गों में इसकी महत्ता को प्रकट करने का प्रयास किया है। नारी का सम्मान करना एवं उसके हितों की रक्षा करना हमारे देश की सदियों पुरानी संस्कृति है। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे-वैसे भारतीय नारी के भी कदम आगे बढ़ रहे हैं। आज वह 'देवी' नहीं बनना चाहती, वह सही और सच्चे अर्थों में इंसान बनना चाहती है।

कोई राष्ट्र तब तक अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता जब तक कि

उसका प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के विकास में भागीदार नहीं बनाता। इस प्रकार स्त्री अच्छे समाज और अच्छे राष्ट्र का स्त्रोत होती है। विद्या से ही व्यक्ति संकीर्ण मानसिकता और रूढ़ीवादिता की जंजीरों को तोड़ सकता है। यदि स्त्री शिक्षित है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। व्यक्ति के कार्य और विचार ही उसे छोटा या बड़ा बनाते हैं। नैतिक मूल्यों और मानवीय मूल्यों को नकारा नहीं जा सकता। हमारे पारम्परिक चरित्र नैतिक मूल्यों की धरोहर हैं। पौराणिक चरित्रों के आदर्श हमारी जड़ें हैं। आज के संदर्भ में उपयुक्त लगने वाले उनके गुणों को तथा शाश्वत आदर्शों को हमें अपनाना चाहिए। आज की जुझारू महिला का व्यक्तित्व उसकी कार्यक्षमता में झलकता है और आज की संघर्षशील नारी को एक नहीं कई अग्नि परीक्षाएँ देनी पड़ती हैं।

इस प्रकार शिक्षित स्त्री एक शिक्षित देश का निर्माण करती है। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो हमें ऐसी बहुत सी विदुषी स्त्रियों के नाम मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी विद्वता का लोहा मनवाया था और इस प्रकार इतिहास में अपना नाम अमर करावा लिया था। शिक्षा के प्रसार ने भारतीय नारी के जीवन और व्यक्तित्व में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिया है। आज वे सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान पद पर आसीन हैं। वह विश्वविद्यालयों, आयुर्विज्ञान संस्थानों, प्रौद्योगिकी के प्रतिष्ठानों, विज्ञान की प्रयोगशालाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त कर, वहाँ की उपाधियाँ लेकर जीवन के विभिन्न कर्मक्षेत्रों में उतर पड़ी हैं। आज भारतीय महिलाएँ डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वायुयानों में चालक तथा ऐयर होस्टेस के रूप में कार्य करती हैं। विद्यालयों तथा बैंकों में तो उनकी संख्या पुरुषों के बराबर दिखाई देती है। कुछ राजनीति में विधायक, सांसद, मंत्री भी बन गयी हैं। कामकाजी महिलाएँ अपनी योग्यता से न केवल धन अर्जित करती हैं, अपितु वे अर्जित धन से पारिवारिक, आर्थिक संरचना में अपना योगदान देकर आर्थिक संबल प्रदान करती हैं। महिलाओं का आर्थिक उपार्जन, आर्थिक क्षेत्र में उनकी आत्म निर्भरता को प्रदर्शित करता है। कामकाजी पत्नी को दोहरी नहीं तेहरी भूमिका निभानी पड़ती है। पत्नी, माँ और कामकाजी नारी। परिवार और कार्यक्षेत्र का दायित्व सफलतापूर्वक निभाने की होड़ में उसमें तनाव पैदा हो जाता है और उसका प्रभाव उसकी कार्यक्षमता पर पड़ता है। वह न तो कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमता का उपयोग कर पाती है और घर में भी वह सही ढंग से अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा पाती है। अतः एक कामकाजी नारी को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए पारिवारिक वातावरण का सहयोग आवश्यक होता है, तभी वह अपनी कार्यक्षमता का सही उपयोग कर सकेगी। तभी वह आगे बढ़ सकेगी। वह समाज में स्वयं का और परिवार का स्थान बना सकेगी।। इससे उसके परिवार की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, सम्मान भी बढ़ेगा।



जब व्यक्ति की भूमिकाएं अनेक हो जाती हैं तो उन भूमिकाओं में कभी-कभी संघर्ष की स्थिति भी आ जाती है। फिर भी आज की भारतीय नारी घूंघट के भीतर सिकुड़ी-सिमटी, अवगुंठन में लिपटी, कुम्हड़े की बेल नहीं रह गई है। वह पुरुषों की तरह घर से बाहर निकलकर उन्हीं के समान परिश्रम, धैर्य, साहस से काम करती है। वह नरकृत शास्त्रों के बन्धन तोड़ रही है। स्वावलम्बी, स्वाभिमानी और आत्मगौरव से पूर्ण है। सारी दुनिया में आज महिला दिवस मनाया जा रहा है। अब समय आ गया है कि महिलाओं को अधिकार देने तथा उन्हें लैंगिक भेदभाव से मुक्ति दिलाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं तथा अन्य खामियों पर भी विचार किया जाए। इस बात को समझा जाना चाहिए कि केवल साधनों की उपलब्धि तथा महिलाओं की उन तक पहुंच से ही वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी बल्कि इस सबके लिए जरूरी है कि लोगों की सोच में एक व्यापक परिवर्तन लाया जाए।

आज की नारी का सफर चुनौती भरा जरूर है, पर आज उसमें चुनौतियों से लड़ने का साहस आ गया है। चुनौतियों का हँसकर स्वागत करने वाली महिलाएँ आज हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं। कल तक भावनात्मक रूप से कमजोर महिलाएँ आज आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं तथा अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसले स्वयं कर रही हैं। अपने आत्मविश्वास के बल पर आज वह दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं। आज की नारी आर्थिक व मानसिक रूप से आत्मनिर्भर है। हमारी सभ्यता और सांस्कृतिक परम्पराओं और शिक्षा के प्रसार तथा नित्यप्रति बढ़ रही जागरूकता के कारण भारत की नारी आज भी दुनिया की महिलाओं से आगे है और पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर देश और समाज की प्रगति में अपना योगदान दे रही है।

**अपने हौसले से तकदीर को बदल दूँ,
सुन ले दुनिया, हाँ मैं भारतीय नारी हूँ..**

सोचता है उड़ेगा



सोचता है उड़ेगा
पर पंख नहीं हैं उसके
सोचता है नदी पार करेगा
तैरना आता नहीं उसे
सोचता है तर्कों में हराऊंगा
तर्क करना आता नहीं उसे
अब सबसे प्यारी बातें करेगा
गुस्सा और क्रोध छोड़ पाता नहीं उसे
कई योजनाएं रोज बनाता
कार्यान्वित नहीं कर पता उन्हें
सोचता है आज सुखद सपने देखेगा
नींद आती नहीं उसे
कई प्रेमिकाओं का प्रेमी होगा
एक अच्छी प्रेयसी मिलती नहीं उसे।

सोनिया

प्रबंधक

क्षेत्रीय कार्यालय एनसीआर-दिल्ली





सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में महिलाओं का योगदान

रेजीमोल बी जी, सहायक महा प्रबन्धक व प्राचार्य, स्टॉफ कॉलेज ✍️



एक नेतृत्व के साथ समृद्धि की ऊँचाइयों की ओर बढ़ते भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, महिलाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, इन महिला कर्मचारियों का जीवन अनूठा होता है, जो संघर्ष, सफलता और समर्पण से भरा होता है। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में काम करने वाली महिलाओं का जीवन कठिनाईयों से भरा होता है, लेकिन वे इन समस्याओं का सामना मजबूती और साहस करती हैं। एक महिला कर्मचारी का दिन अनगिनत कार्यों से भरा होता है, जैसे कि बैंक के लेन-देन, ग्राहक सेवा, और संबंधित शाखा का प्रबंधन। इसके अलावा, वे अक्सर नौकरी के बाद भी घर के लिए समर्पित रहती हैं, जहां उन्हें परिवार की जिम्मेदारियों को उठाना पड़ता है। एक सार्वजनिक क्षेत्र बैंक की महिला कर्मचारी का योगदान समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका सामर्थ्य, ज्ञान, और कुशलता बैंक को सुधारने में मदद करती है, जो उन्हें ग्राहकों के लिए एक विशेषज्ञ सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाता है। महिला कर्मचारियों का समर्पण और संघर्ष बैंक को सुरक्षित और समर्थ बनाए रखता है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में 36% महिला कर्मचारियों का काम करना एक बड़ी उपलब्धि है, जो सभी सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में सबसे अधिक है। यह दर्शाता है कि बैंक संगठन ने अपनी स्वीकृति और समर्थन के माध्यम से महिलाओं को सकारात्मक रूप से प्रोत्साहित किया है। हमारी सेवा निवृत्त निदेशक सुश्री एस श्रीमती, एक सफल बैंकर हैं। सुश्री एस श्रीमती ने बैंक के सभी क्षेत्रों में काम किया है। उनके सामर्थ्य, नेतृत्व और उत्कृष्टता ने उन्हें बैंकिंग क्षेत्र में एक अग्रणी स्थान पर पहुंचाया है। उनका योगदान सिर्फ उनके बैंक की उन्नति में ही नहीं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी है। एस श्रीमती की तरह महिलाएं हैं, जो स्त्री कर्मचारियों के भविष्य भी को बैंकिंग क्षेत्र में दिखा रही हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि में योगदान दे रही हैं।

महिलाओं का योगदान सार्वजनिक क्षेत्र बैंकिंग में आर्थिक योगदान से अधिक है। इसमें व्यवस्थानिक सांस्कृतियों को परिवर्तित करने की क्षमता है, विविधता, नवाचार और सतत विकास को प्रोत्साहित करने का संवर्द्धन है। एक और उज्ज्वल उदाहरण सार्वजनिक क्षेत्र बैंकिंग में अरुंधति भट्टाचार्या भी हैं, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की पूर्व अध्यक्ष। सुश्री भट्टाचार्या के दृष्टिकोण और सूचना कौशल ने एसबीआई को चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिदृश्यों से निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरुंधति भट्टाचार्या का सफर, एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में एसबीआई में शामिल होने से लेकर विचारशील नेतृत्व में बदलने तक, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकिंग क्षेत्र में स्त्री नेतृत्व की क्षमताओं को प्रतिष्ठित करता है। उनकी कार्यक्षमता ने इसे सहज तौर से अपनी सहयोगी बैंकों के साथ एकत्र करने, प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने और बैंक को वैश्विक नज़रे में स्थान दिलाने में मदद की। महिलाओं के

सार्वजनिक क्षेत्र बैंकिंग में योगदान की वित्तीय मामलों से जुड़ी योजना केवल संख्यात्मक प्रस्तुति से परे है। इसमें उनकी संस्थानिक संस्कृतियों में जो बदलाव आता है, जो विविधता, नवाचार और सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मजबूती और समर्थन प्रदान करता है। एस श्रीमती जैसी महिलाएं महिला कर्मचारियों के भीतर शक्तिशाली प्रभाव को दिखाती हैं, जो बैंकिंग क्षेत्र और समग्र अर्थव्यवस्था के भविष्य को प्रभावित करने की क्षमता हैं।

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के मुखिया बनने वाली पहली महिला श्रीमती रंजना कुमार इंडियन बैंक की चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक थीं, इसके अलावा, उन्होंने केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के पद पर भी कार्य किया और नाबार्ड के चेयरपर्सन के रूप में भी सेवाएं दीं। उनकी अनूठी प्रशासनिक क्षमता, साहसिक नेतृत्व और कार्यकुशलता ने उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के महिला प्रतिनिधि के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान पर स्थापित किया है। श्रीमती रंजना कुमार ने इंडियन बैंक को घाटे में चल रहे बैंकों से मुनाफा कमाने वाले बैंक की के बीच ला खड़ा किया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग में महिलाओं की भूमिका आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में अभिमाननीय है। समृद्धि की ओर बढ़ते हुए यह महत्वपूर्ण है कि हम समाज में इन महिलाओं के योगदान की पहचानें और उन्हें समर्थन दें, ताकि वे और भी ऊँचाइयों की ओर बढ़ सकें। एक सुखद विचार जो संस्कृत श्लोक से है - "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।" यह दिखाता है कि जहां महिलाएं पूजनीय होती हैं, वहां देवता भी सुखी होते हैं। इस संस्कृत श्लोक से स्पष्ट होता है कि महिलाओं का समाज में महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए, और उनका सम्मान और वंदना करनी चाहिए।





भारत में बैंकिंग: सुधारों का सफर

राजश्री संध्या, मुख्य प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर



बैंकिंग भारतीय अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण ऊर्जा है। यह विभिन्न सेवाएं प्रदान करती है जैसे कि जमा, ऋण, बचत, निवेश आदि। भारतीय बैंकिंग उद्योग ने समय के साथ कई सुधार किए हैं, जो लोगों के अधिकारों और सुविधाओं को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

भारतीय बैंकिंग संगठन ने आपसी विनियमन को पहले से ज्यादा मजबूत किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने नियामक निकाय के रूप में अपना योगदान दिया है, जो बैंकों को समय-समय पर नियमों और मानकों का पालन करने के लिए निर्देश जारी करता है। ये नियमन उद्योग को विश्वसनीयता और स्थिरता प्रदान करते हैं। दूसरे, बैंकों ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया है। डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आदि के माध्यम से, लोग अपने वित्तीय लेन-देन को सरलता से प्रबंधित कर सकते हैं। यह भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ाता है। तीसरे, सरल और निर्बाध ऋण प्रदान करने के लिए अधिक उपाय किए गए हैं। ग्राहकों को और अधिक लाभान्वित करने के लिए, बैंकों ने ब्याज दरों को कम करने के लिए प्रयास किए हैं, जिससे उद्यमियों और व्यक्तिगत ऋण लेने वालों को अधिक मदद मिलती है।

इस प्रकार, भारतीय बैंकिंग उद्योग ने समय के साथ कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जो आम जनता को अधिक लाभ पहुंचाने में मदद करते हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इन सुधारों का लाभ हर व्यक्ति और समुदाय तक पहुंचे ताकि समृद्धि का सपना हर किसी के लिए साकार हो सके।

भारतीय बैंकिंग समुदाय का यह सफर सतत सुधार का है। यह सुनिश्चित करता है कि सेवाएं समय पर और अद्वितीय ढंग से प्रदान की जाती हैं। बैंकिंग क्षेत्र में और अधिक उत्कृष्टता की ओर इस संघर्ष का निरंतर उद्दीपन होता है। बैंकिंग क्षेत्र में भारत के सुधारों का सफर न केवल सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करता है, बल्कि यह आर्थिक समानता और वित्तीय सहयोग को भी बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के पहुंच को बढ़ाने से ग्रामीण उत्थान में सहायता मिलती है।

इसके अलावा, डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से वित्तीय साक्षरता में वृद्धि हो रही है। लोग अब अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से अपने खाते को प्रबंधित कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी वित्तीय स्थिति का पूर्णतः ज्ञान होता है और उन्हें अपनी आर्थिक योजनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलती है। ग्राहकों को विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बारे में सही जानकारी और समर्थन प्रदान करके, उन्हें अधिक नियंत्रण और विकल्प प्राप्त होते हैं।

इस प्रकार, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने अपने सुधारों के माध्यम से समाज में समृद्धि और समानता को बढ़ावा दिया है। यह उदाहरण स्पष्ट करता

है कि बैंकिंग सेवाओं की व्यापकता, प्रभावोत्पादकता, और सुगमता के माध्यम से, हम सभी को एक और बेहतर भविष्य की दिशा में अग्रसर होने का मौका मिलता है।

बैंकिंग के क्षेत्र में नई तकनीकी उन्नतियों के आगमन ने भी इसे एक नई दिशा दी है। उदाहरण के लिए, ब्लॉकचेन तकनीक और क्रिप्टोकॉरेसी के प्रयोग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग का उपयोग बैंकिंग सेवाओं को सुधारने में मदद करता है। ये तकनीकी उन्नतियाँ बैंकों को ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने में मदद करती हैं और सेवाओं को अधिक उत्कृष्ट बनाने के लिए उन्हें अधिक प्रेरित करती हैं।

इसके अलावा, बैंकिंग क्षेत्र में उत्पन्न हो रही नई डिजिटल संस्कृति ने वित्तीय समानता को बढ़ावा दिया है। यह लोगों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंचाने में मदद करती है, जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके फलस्वरूप, अधिक लोग बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करके वित्तीय स्वतंत्रता का आनंद उठा रहे हैं और अपना समृद्धिमय भविष्य बनाने में सहायक हो रहे हैं। आखिरकार, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का यह सफर एक संवेदनशील, सशक्त और समृद्ध समाज की दिशा में है। सुधारों के माध्यम से, बैंकिंग सेवाओं का प्रसार और प्रभाव विस्तारित हो रहा है, जिससे आर्थिक समृद्धि के सपने को साकार करने के लिए अधिक लोगों को संभावनाएं मिल रही हैं। इसी तरह, बैंकिंग के माध्यम से, हम सभी एक समृद्ध, समान और सशक्त भारत की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं।

बैंकिंग क्षेत्र में नए सुधारों का अनुसरण करते हुए, भारतीय बैंकिंग संगठन ने निवेशकों के लिए भी नई संभावनाएं खोली हैं। डिजिटल बैंकिंग, अच्छी बैंक संरचना और बेहतर व सुगम ऋण प्रदान के माध्यम से, बैंकिंग सेक्टर ने निवेशकों को विभिन्न निवेश विकल्पों का एक सुरक्षित और उत्तम रूप प्रदान किया है। वित्तीय समृद्धि के क्षेत्र में नए तथ्यांक, उत्पादों, और सेवाओं के साथ, निवेशकों को और अधिक जानकारी और समर्थन प्राप्त होता है। यह उन्हें विशेषज्ञ सलाहकारों के साथ साझा कर सकते हैं, जो उन्हें विभिन्न निवेश विकल्पों की समझ और उनके लिए सही निवेश निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बैंकों ने नए वित्तीय उत्पादों का निर्माण किया है, जैसे कि निवेश फंड, अधिकृत ऋण और पेंशन योजनाएं, जो निवेशकों को विभिन्न वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकती हैं।

इस तरह से, भारतीय बैंकिंग सेक्टर ने निवेशकों के लिए नए और अधिक निवेश अवसर प्रदान किए हैं। यह सुनिश्चित करता है कि निवेशक अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हों और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाए रखें। इस प्रकार, बैंकिंग क्षेत्र निवेशकों के लिए नई और उत्तम वित्तीय संभावनाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनता है।



अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस: महिला सशक्तिकरण की ओर एक कदम

दीपशिखा बड़ोलिया, मुख्य प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय लेखनऊ



आज के आधुनिक युग में, महिलाएं केवल घर की चहार दीवारी में सीमित नहीं हैं, बल्कि वे विश्व के हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रही हैं। चाहे वह विज्ञान हो, शिक्षा हो, खेल हो या सुरक्षा का क्षेत्र, महिलाएं हर जगह अपनी प्रतिभा और सामर्थ्य का परिचय दे रही हैं। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हमें महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने और लैंगिक समानता के लिए काम करने का अवसर प्रदान करता है। यह अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस उन सभी महिलाओं का सम्मान करने का दिन है जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल कर रही हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। उनकी उपलब्धियां हमें प्रेरित करती हैं और यह दिखाती हैं कि समानता की दिशा में हमारा समाज कितना आगे बढ़ चुका है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि महिलाएं समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनके योगदान के बिना समाज का विकास अधूरा है। पिछले कुछ दशकों में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आज महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, राजनेता, और उद्यमी बनकर देश का नाम रोशन कर रही हैं।

बात अगर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में की जाए तो इसके आयोजन की शुरुआत 8 मार्च, 1857 को न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। उस दिन महिला कपड़ा श्रमिकों ने कामकाजी परिस्थितियों और असमान अधिकारों के विरोध में मार्च निकाला था। यह कामकाजी महिलाओं द्वारा की गई पहली संगठित हड़तालों में से एक थी। इसके बाद, 28 फ़रवरी, 1909 को संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। यह दिन सोशलिस्ट पार्टी ऑफ़ अमेरिका द्वारा न्यूयॉर्क में 1908 के कपड़ा श्रमिकों की हड़ताल की याद में मनाया गया था। 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन सम्मेलन में इसे अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिया गया। 1975 में, संयुक्त राष्ट्र ने

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाना शुरू किया। 1977 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सदस्य देशों को महिलाओं के अधिकारों और विश्व शांति के लिए 8 मार्च को आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र अवकाश घोषित किया जिसके बाद पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस अयोजित किया जाने लगा।

संयुक्त राष्ट्र, हर साल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए एक नई थीम लेकर आता है और इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का थीम है "Invest in Women: Accelerate Progress"। निश्चित रूप से यह थीम संसार के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को कई गुना बढ़ाने के जज्बे एवं हमारी प्रतिबद्धता को दोहराती है। इस थीम का उद्देश्य और कुछ नहीं बल्कि दुनिया को और अधिक विकसित बनाने के लिए महिलाओं को और अधिक समर्थन और शक्ति प्रदान करना है। इस थीम की प्रतिबद्धता यह भी है कि हर क्षेत्र में नारी को समान अवसर प्रदान किए जाएं। निश्चित रूप से अगर हर क्षेत्र में नारी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे तो बाकी वो स्वयं अपनी काबिलियत से हासिल कर लेंगी।

आज भारत में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के समकक्ष है एवं महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। जब भी महिलाओं को अवसर मिला है उन्होंने सदैव अपने आप को साबित किया है। अगर हम राजनीति की ओर देखें तो श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती द्रोपदी मुर्मू, सुश्री मायावती, श्रीमती निर्मला सीतारमण जैसी तमाम महिलाओं ने हमारे देश का नेतृत्व किया

है। खेल के क्षेत्र में कर्णम मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू, सानिया मिर्जा, सायना नेहवाल जैसी खिलाडियों ने देश को ओलंपिक में मैडल लाकर दिए हैं। लेखन के क्षेत्र में महादेवी वर्मा, गीतांजली श्री, अमृता प्रीतम, कृष्णा सोबती, अरूंधती रॉय, महा श्वेता देवी इत्यादि ने अपनी लेखनी से साहित्य



को समृद्ध किया है तो वहीं गीत संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर, आशा भोसले, ऊषा उत्थुप, श्रेया घोषाल ने अपने आवाज से विश्व के करोड़ों लोगों का मनोरंजन किया है। किरण मजूमदार, कल्पना चावला, सावित्री जिंदल, नीता अंबानी, रोशनी नडार, गीता गोपीनाथ जैसी हजारों- लाखों महिलाओं ने विश्व के हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है।

भारतीय सेना, जो कभी पुरुषों का गढ़ मानी जाती थी, आज उसमें महिलाओं की भर्ती एक सामान्य बात हो गई है। सेना के दरवाजे अब महिलाओं के लिए भी खुले हैं, और वे कमीशन्ड अधिकारी के पदों पर भी आसीन हो रही हैं। पैरा मिलिटरी फोर्स और पुलिस विभाग में भी महिलाओं को उच्च पदों पर भर्ती किया जा रहा है, जो यह दर्शाता है कि सुरक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं की भूमिका अब मुख्य हो गई है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक महिला सशक्तिकरण का आदर्श उदाहरण पेश करता है। बैंक महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रहा है। बैंक की कई योजनाएं सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। महिलाएं बैंक की विशेष योजनाओं का लाभ उठाकर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकती हैं। इन योजनाओं में महिलाओं को जमा पर अधिक ब्याज दर प्रदान की जाती है और कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है, जिससे उनके स्वयं के व्यवसाय या उद्यम को बढ़ावा मिलता है।

महिलाओं की उपलब्धियां हमें प्रेरित करती हैं और यह दिखाती हैं कि समानता की दिशा में हमारा समाज कितना आगे बढ़ चुका है। हालांकि, अभी भी लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। महिलाओं को लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा, और कार्यस्थल में उत्पीड़न जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

आइए, हम सभी मिलकर महिलाओं के योगदान को सलाम करें और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए प्रोत्साहित करें। उनकी सफलता हमारे समाज की सफलता है। हमें मिलकर एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए जहां महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और अवसर प्राप्त हों। यह हम सभी का सामूहिक प्रयास हो कि महिलाओं को आर्थिक समानता के साथ – साथ सामाजिक समानता भी प्राप्त हो सके। मैं निम्न पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करती हूँ –

मैं आज की नारी हूँ, इतिहास रचाने वाली हूँ,

पढ़ जिसे गर्व महसूस करे, वो इतिहास बनाने वाली हूँ।

अपने कर्तव्यों और आदर्शों की रक्षा करने वाली हूँ मैं,

हाँ, मैं आज की नारी हूँ, नारी को सम्मान दिलाने वाली हूँ।



मेरा गाँव

गाँव मेरा खेत खलिहानों में
बागों में चट्टानों में
बहती नदी है बगल में इसकी
खुशबू मिट्टी की हवाओं में

पंछियों की है चहचहाहट
बच्चों की प्यारी-सी मुस्कान
पगडंडियों की टेढ़ी-सी राहें
चकाचौध से है अनजान

वीरों की है जन्म भूमि ये
जिनसे देश का नाम हुआ
इतिहास के पन्नों पर अंकित
मेरे गाँव का नाम हुआ

पुराणों से है निकटता इसकी
जिसका भी मुझे है अभिमान
रोम रोम हो जाता पुलकित
ऐसा है मेरे गाँव की शान

राजश्री योगेश करंजीकर
लिपिक
पुणे क्षेत्र





भारतीय समाज में महिलाओं का अवस्थांतर

मुनमुन दत्ता, मुख्य प्रबंधक, चेन्नै 1 क्षेत्र



फ्रांसीसी विद्वान सिमोन द बोउवार ने कहा था - "One is not born, but rather become a woman" अर्थात "कोई स्त्री पैदा नहीं होती, अपितु बना दी जाती"। इसका अर्थ है कि पूर्णतः सभ्यता ही है जो मनुष्य को परिकल्पित स्त्री प्रकृति के समीप लाती है। पुरुषवादी समाज में स्त्री की छवि पुरुष की चिंतनधारा के अनुरूप ही रची गई है।

इस आलेख में हम विभिन्न युगों में हुए परिवर्तनों के साथ स्त्री की स्थिति को समझेंगे:

वैदिक युग

वैदिक काल में महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है - प्रारंभिक और उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक समाज ने पुरुषवादी होते हुए भी, महिलाओं की पारिवारिक महत्ता को सुरक्षित रखा था। पुरुष को परिवार का मुखिया माना जाता था परंतु धार्मिक अनुष्ठानों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी।

वैदिक साहित्य में कई शिक्षित महिला शिक्षकों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने कई मंत्रों की रचना करते हुए ऋषियों की श्रेणी तक का सफ़र किया है। उल्लेखनीय है कि लोपामुद्रा नामक एक महिला प्रचारक ने ऋषि अगस्त्य के साथ ऋग्वेद के 179 श्लोकों की रचना की है।

ऋग्वैदिक काल सामाजिक बुराईयों से मुक्त था। उस समय 'सम्सना' नामक कार्निवल का आयोजन किया जाता था। उन अवसरों पर महिलाएं अक्सर अपना जीवनसाथी चुनती थीं। दुल्हन अपने घर से जो धन लाती थीं, उस पर पूर्णतः उनका अधिकार होता था।

प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. रॉय चौधरी के अनुसार, प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बाद की तुलना में काफी बेहतर थी। ये महिलाएं न केवल स्त्रोतों की रचना करती थीं बल्कि पवित्र ग्रंथों में भी पारंगत थीं, संगीत और नृत्य में भी उनका वर्चस्व था। वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी थीं।

जाति व्यवस्था ने महिलाओं के सामाजिक स्तर को प्रभावित किया। 600 से 500 ई.पू. के बीच भारतीय जीवन शैली में कई परिवर्तन हुए। इस अवधि में धर्मग्रंथों ने पुरुषवादी व्यवस्था को और अधिक कठोर बनाया, जिससे भारतीय महिला की भूमिका हाशिए पर चली गई।

यद्यपि प्राचीन भारत में कई विदुषियाँ थीं। परवर्ती हिंदू ग्रंथों में उल्लेख है कि दो प्रकार की महिलाएँ होती हैं: साध्यवधू जो विद्यालय गए बिना शादी करती थी और ब्रह्मवादिनी जो वेदों का अध्ययन करने के लिए विद्यालय जाती थी। वेदों और उपनिषदों में उल्लेख है कि शिक्षा प्राप्त

करने हेतु लड़कियाँ ब्रह्मचारिणी हो सकती हैं। उदाहरण- 'ब्रह्मचयेण कन्या युर्न हर्दते पहतम्'। एक युवती, जो ब्रह्मचर्य से सातक होती है, उसे एक उपयुक्त पति मिलता है। -अथर्ववेद 11.5.18

भारत में महिलाओं की स्थिति में जाति व्यवस्था के कारण निम्नीकरण उत्तर वैदिक काल से ही शुरू हो चुका था। उत्तर-वैदिक समाज के सामाजिक मूल्य, उपनिषदों, धर्मशास्त्रों, स्मृतियों और महान महाकाव्यों में परिलक्षित होते हैं। कौटिल्य ने "अर्थशास्त्र" में दर्शाया है कि स्मृतियों के समय तक भारतीय महिलाओं की दुनिया काफी प्रतिबंधित हो गई थी। उनकी अपनी कोई पृथक पहचान नहीं थी। इस अवधि के अन्तराल में धर्मग्रंथों की पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं की भूमिका हाशिए पर ले गई।

जोकि रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्यों में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान मिला था; दोनों महाकाव्यों में नारी को धर्म और समृद्धि का मूल कहा गया है। हमें कैकेयी, सीता, रुक्मणी, सत्यभामा, सावित्री, द्रौपदी और अन्य महिलाओं के साहस और इच्छाशक्ति की अभिव्यक्ति के संदर्भ मिलते हैं। महाभारत में पति के प्रति पत्नी के कर्तव्यों और दृष्टिकोणों को भी रेखांकित किया गया है।

बौद्ध धर्म और जैन धर्म का युग:

भारतीय समाज में इन का प्रभाव तीसरी शताब्दी ई.पू. से छठी शताब्दी ई. तक रहा। बौद्ध और उसके समकालीन जैन विचारधारा दोनों का सार सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव था। जिन विधवाओं और बांझ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता था, उन्हें बौद्ध व्यवस्था में करुणा और आवास प्रदान किया जाता था। बुद्ध के समय में भिक्षावृत्ति करने वाली महिलाओं द्वारा रचित "थेरीगाथास" से पता चलता है कि बुद्ध महिलाओं के प्रति कितने उदार थे।

बुद्ध ने महिलाओं को शिक्षा देने की प्रारंभिक वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाया और उनके लिए बौद्ध शिक्षाएँ सीखने के लिए मठों के दरवाजे खोले गए। जैन ग्रंथों से, हमें कौशाम्बी की राजकुमारी जयंती के बारे में पता चलता है, जो धर्म और दर्शन का अध्ययन करने के लिए ब्रह्मचारिणी बनी रहीं। हालाँकि बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने से ब्राह्मणों ने महिलाओं को वेद ज्ञान प्राप्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया और आगे चलकर भारत में अधिकांश महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया।

मध्यकालीन युग:

भारतीय इतिहास में 12वीं से 16वीं शताब्दी को मध्यकालीन युग कहा जाता है। भारत में इस्लाम के आगमन के साथ ही महिलाओं का



जीवन कुछ हद तक दुर्गम हो गया।

पेट्रीसिया जेफरी अपनी पुस्तक "फ्रॉग्स इन द वेल: इंडियन वूमेन इन पर्दा" में कहती हैं - "महिलाओं की अधीनता के तीन आयाम हैं - राजनीतिक, वैचारिक और आर्थिक, जो एक दूसरे के साथ अलग-अलग संतुलन में सह-अस्तित्व में हो सकते हैं।" इस्लामी सामाजिक व्यवस्था ने परिवार की महिलाओं को पुरुषों के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहने हेतु बाध्य किया। इस दौरान, महिलाएं शिक्षा और संपत्ति के अधिकार के साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से भी वंचित रहीं, इसलिए उनका सबसे अधिक शोषण हुआ। "पर्दा प्रथा" के कारण उनका पूर्ण रूप से सामाजिक अलगाव हो गया था।

मध्यकालीन भारत में बाल विवाह आदर्श बन गया। लड़कियों की शादी 8-10 साल की उम्र में कर दी जाती थी। उन्हें शिक्षा-प्राप्ति का अधिकार नहीं था और उनसे भोग्य वस्तु के रूप में व्यवहार किया जाता था। विधवाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। उन पर बहुत सारे प्रतिबंध थे। अपने पति की मृत्यु के बाद उन्हें पवित्र जीवन जीना पड़ता था और उन्हें किसी भी उत्सव में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। उन्हें पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी।

पति की चिता पर मरने की प्रथा को "सती" या "सहगमन" कहा जाता है। शुरुआत में यह महिलाओं के लिए अनिवार्य नहीं था, लेकिन अगर वह इस तरह की प्रथा का पालन करती थी तो उसे समाज में बहुत सम्मान मिलता था। इसी तरह राजपूत समाज में "जौहर" का प्रचलन था।

11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच ताज़ी हवा का एक छोटा सा झोंका महसूस किया गया। जब "भक्ति आंदोलन" की लहर ने अधिकांश लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। भक्ति अनुयायी एक ईश्वर में विश्वास करते थे और महिलाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण साफ था कि पुरुष और महिलाएं भगवान के लिए समान महत्व रखते हैं और सर्वशक्तिमान के साथ आध्यात्मिक पुनर्मिलन प्राप्त करने के लिए समान रूप से योग्य हैं। भक्ति संतों को सुनने के लिए महिलाएं बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर आईं और सामुदायिक गायन में भाग लिया। मीरा बाई और 'अंदाल' जैसी कुछ महिला संत इस अवधि के दौरान बहुत लोकप्रिय हुईं।

ब्रिटिश काल:

16वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिशों के आगमन ने भारतीय समाज को बहुस्तरीय जातियों में विभाजित किया, जो महिलाओं के खिलाफ जुड़ी हुई प्रथाओं से ग्रस्त था।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, गांधीजी, डॉ. अंबेडकर जैसे महान समाज सुधारकों ने महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण सामाजिक प्रथाओं को खुली चुनौती दी। इस अवधि में कुछ महान स्वतंत्रता सेनानियों को देखा गया, विशेष रूप से रानी लक्ष्मी बाई, जो भारत के महान योद्धाओं में से एक

थीं। हमें नीरा आर्या को भी याद करना चाहिए जिन्होंने अंग्रेजों के हाथों पैशाचिक उठापटक सहने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस जी का पता नहीं बताया। उन्हें भारत की प्रथम महिला गुप्तचर भी बोल जाता है।

स्वतंत्रता के बाद उदार और प्रगतिशील पश्चिमी प्रणाली में शिक्षित भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने पुरुषों के बराबर ही भारतीय महिलाओं को उनके वैध सामाजिक, कानूनी, आर्थिक और मौलिक अधिकार दिलाने के लिए संवैधानिक और विधायी मार्गों के माध्यम से अतीत की कई गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश की।

स्वतंत्र्योत्तर युग:

20वीं सदी में भारत में महिलाओं की स्थिति में कई विरोधाभास हैं। दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में मातृसत्तात्मक समाज है, जहाँ महिला घर की मुखिया होती है और धन की विरासत प्राप्त करती है। हिंदू धर्म में महिला को मातृदेवी के रूप में सम्मान दिया जाता है।

हालाँकि फेन ने 1975 में प्रकाशित अपने लेख में टिप्पणी की है कि यह अंतर्निहित हिंदू मान्यताएँ हैं कि "महिलाओं को सम्मानित किया जाता है, उन्हें जिम्मेदारी के लिए सबसे सक्षम और मजबूत माना जाता है"।

अंततोगत्वा वर्तमान समय में भारत सरकार महिलाओं से संबंधित विभिन्न विशेष कानूनों का संचालन कर रही है: जैसे 'घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005', 'दहेज' निषेध अधिनियम, 1961', 'महिलाओं का अभद्र प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986', 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013'।

सरकार ने लिंग संबंधी असमानताओं को कम करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं भी शुरू की हैं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान करके बेहतर सक्षम वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ आदि चलाई जा रही हैं।

हाल ही में, भारत सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया। यह भारतीय राजनीति में "मील का पत्थर" साबित होगा। इस विधेयक का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं में कम से कम 33 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं को जनप्रतिनिधित्व का अवसर मिले।

निष्कर्ष:

आज के आधुनिक युग में नारी घर के काम काज तक ही सीमित नहीं है, वह अपना करियर बनाने के लिए स्वतंत्र बन रही हैं। वैश्वीकरण के आगमन के साथ, वर्तमान संस्कृति में आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं। 'नई' महिला, बाद के युगों में भविष्य का प्रतिनिधित्व करेगी।



विकल विद्रोहिणी : पंडिता रमाबाई सरस्वती

निशा कुमारी, सहायक प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय विजयवाड़ा ✍️



पंडिता रमाबाई सरस्वती का जन्म रमाबाई डोंगरे के रूप में 23 अप्रैल 1858 को एक मराठी भाषी चितपावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, जो एक संस्कृत विद्वान थे, ने रमाबाई को घर पर ही संस्कृत सिखाई। डोंगरे की असाधारण धर्मपरायणता ने रमाबाई अपने परिवार के साथ पूरे भारत में बड़े पैमाने पर यात्रा करने के लिए प्रेरित किया। रमाबाई के पिता अनंत शास्त्री स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे और उन्होंने रमाबाई को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। यह प्रचलित रीति-रिवाजों के बिल्कुल विपरीत था। रमाबाई को भारत भर के तीर्थ स्थलों पर परिवार के सार्वजनिक पुराण पाठ में भाग लेने से सार्वजनिक भाषण का अनुभव प्राप्त हुआ और अल्प जीविका भी प्राप्त हुई। रमाबाई संस्कृत में इतनी निपुण हो गईं कि वह छोटे लड़कों को भी पढ़ाती थीं, लेकिन रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने इसका कड़ा विरोध किया। यही वे परिस्थितियाँ थीं जिन्होंने अनंत शास्त्री को अपने परिवार के साथ एक निर्जन स्थान पर विस्थापित होने के लिए मजबूर किया।

पंडिता रमाबाई सरस्वती 1876-78 के भीषण अकाल के दौरान 16 साल की उम्र में अनाथ हो गईं, रमाबाई और उनके भाई श्रीनिवास ने देश भर में घूमकर संस्कृत ग्रंथों का पाठ करने की पारिवारिक परंपरा जारी रखी। रमाबाई सभी लिंगों को संबोधित करने में सहज थीं लेकिन उस समय महिलाएं सार्वजनिक स्थानों पर नहीं आती थीं। कभी-कभी, वह महिलाओं को शिक्षित होने के लिए मनाने के लिए महिला क्वार्टरों के अंदर जाती थीं। संस्कृत में निपुण महिला के रूप में रमाबाई की प्रसिद्धि कलकत्ता तक पहुँची, जहाँ पंडितों ने उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में उनके संबोधन को खूब सराहा गया और उन्हें काफी प्रशंसा मिली। 1878 में, कलकत्ता विश्वविद्यालय ने विभिन्न संस्कृत कार्यों के बारे में उनके ज्ञान को मान्यता देते हुए उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया। वह पंडिता की उपाधि ग्रहण करने वाले पहली भारतीय महिला थीं।

रमा और श्रीनिवास कई संस्कृत विद्वानों से मिल रहे थे लेकिन ईसाइयों की एक बैठक में भाग लेने पर वह काफी आश्चर्यचकित हुईं। उन्होंने ईसाई पूजा पद्धति से प्रभावित होने की बात स्वीकार की। यही वह समय था जब रमाबाई को नए प्रभावों का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपनी पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया।

सिलहट जिला स्कूल में उनकी मुलाकात बिपिन बिहारी दास से हुई जो उनके स्वागत के लिए आयोजित समिति का हिस्सा थे। 1880 में श्रीनिवास की मृत्यु के बाद, रमाबाई ने बांग्ला भाषा वकील बिपिन बिहारी मेधवी से शादी की। दूल्हा बंगाली कायस्थ था, और इसलिए विवाह अंतर-जातीय और अंतर-क्षेत्रीय था जो उस समय अनुचित माना जाता था। उनका विवाह 13 नवंबर 1880 को एक नागरिक

समारोह में हुआ था। दंपति को एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने मनोरमा रखा। दुर्भाग्य से, बिपिन बिहारी दास 4 फरवरी 1882 को हैजा से पीड़ित हो गए। यह वह समय था जब रमा को याद आया कि उनके अपरंपरागत तरीकों के कारण, उनकी चचेरी बहन आनंदीबाई को छोड़कर किसी ने भी उनके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अवसाद में, वह उन्हें जवाब नहीं दे सकीं। पति की मृत्यु के बाद, रमाबाई, जो केवल 23 वर्ष की थीं, पुणे चली गईं और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन की स्थापना की।

सामाजिक सक्रियता

जब 1882 में भारत की औपनिवेशिक सरकार द्वारा शिक्षा पर ध्यान देने के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया गया, तो रमाबाई ने इसके समक्ष साक्ष्य दिया। हंटर कमीशन के समक्ष एक संबोधन में, उन्होंने घोषणा की, "सौ में से निम्नानवे मामलों में इस देश के शिक्षित पुरुष महिला शिक्षा और महिलाओं की उचित स्थिति का विरोध करते हैं। यदि उन्हें थोड़ी सी भी गलती दिखती है, तो वे मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं। राई का पहाड़ बनाओ, और एक औरत का चरित्र खराब करने की कोशिश करो।" उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए और महिला स्कूल निरीक्षकों की नियुक्ति की जाए। आगे उन्होंने कहा कि भारतीय महिलाओं को मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश दिया जाना चाहिए। रमाबाई की गवाही से बड़ी सनसनी फैल गई जो महारानी विक्टोरिया तक पहुंच गई। इसका फल बाद में लॉर्ड डफरिन द्वारा महिला चिकित्सा आंदोलन की शुरुआत में मिला। महाराष्ट्र में, रमाबाई ने महिलाओं की शिक्षा और चिकित्सा मिशनरी कार्यों में शामिल ईसाई संगठनों से संपर्क किया, विशेष रूप से एंग्लिकन ननों का एक समुदाय, सेंट मैरी द वर्जिन समुदाय (सीएसएमवी) और महती भूमिका निभाई।

साहित्य

अपनी पहली पुस्तक, स्त्री धर्म नीति ("महिलाओं के लिए नैतिकता") की बिक्री से हुई कमाई और सीएसएमवी के साथ संपर्क के साथ, रमाबाई चिकित्सा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए 1883 में ब्रिटेन चली गईं। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। रमाबाई ने अपने धर्म परिवर्तन के लिए जो कारण बताए उनमें रूढ़िवादी हिंदू धर्म के प्रति उनका बढ़ता मोहभंग था और विशेष रूप से वह इसे महिलाओं के प्रति गलत सम्मान के रूप में देखती थीं। वर्षों बाद लिखे गए अपने रूपांतरण के आत्मकथात्मक लेख में, रमाबाई ने लिखा कि, "केवल दो चीजें थीं जिन पर वे सभी किताबें, धर्म शास्त्र, पवित्र महाकाव्य, पुराण और आधुनिक कवि, वर्तमान समय के लोकप्रिय उपदेशक और रूढ़िवादी थे।" उच्च जाति के पुरुष इस बात पर



सहमत थे कि उच्च और निम्न जाति की महिलाएँ, एक वर्ग के रूप में बुरी, बहुत बुरी, राक्षसों से भी बदतर, असत्य के समान अपवित्र थीं; और उन्हें पुरुषों की तरह मोक्ष नहीं मिल सकता था।"

उन्होंने अपने रिश्तेदार और पहली महिला भारतीय डॉक्टर, आनंदीबाई जोशी के स्नातक समारोह में भाग लेने के लिए, पेंसिल्वेनिया के महिला मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. राचेल बोडले के निमंत्रण पर ब्रिटेन से संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने पाठ्यपुस्तकों का अनुवाद भी किया और पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में व्याख्यान दिये। उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक, द हाई-कास्ट हिंदू वुमन भी प्रकाशित की। रमाबाई ने अंग्रेजी में लिखी अपनी पहली पुस्तक अपने चचेरे भाई डॉ. जोशी को समर्पित की थी। इस पुस्तक में उन्होंने उच्च जाति की हिंदू महिला में बाल वधुओं और बाल विधवाओं सहित हिंदू महिलाओं के जीवन के सबसे काले पहलुओं को दिखाया और हिंदू-प्रभुत्व वाले ब्रिटिश भारत में महिलाओं के उत्पीड़न को उजागर करने की कोशिश की। बोलने की व्यस्तताओं और समर्थकों के एक विस्तृत नेटवर्क के विकास के माध्यम से, रमाबाई ने उन बाल विधवाओं के लिए भारत में एक स्कूल शुरू करने के लिए 60,000 रुपये जुटाए, जिनके कठिन जीवन का खुलासा बाद में प्रकाशित उनकी किताब में हुआ।

भारत में अपने काम के लिए समर्थन जुटाने के लिए अमेरिका में प्रस्तुतियाँ देते समय, जुलाई 1887 में रमाबाई की मुलाकात अमेरिकी सफ़ागेट और महिला अधिकार कार्यकर्ता, फ्रांसिस विलार्ड से हुई। विलार्ड ने रमाबाई को नवंबर 1887 में राष्ट्रीय महिला क्रिश्चियन टेम्परेन्स यूनियन सम्मेलन में बोलने के लिए आमंत्रित किया, जहाँ उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया। वह जून 1888 में डब्ल्यूसीटीयू के लिए राष्ट्रीय व्याख्याता के रूप में भारत लौट आईं। जब रमाबाई वापस लौटीं तो डब्ल्यूसीटीयू की पहली विश्व मिशनरी मैरी ग्रीनलीफ क्लेमेंट लेविट पहले से ही वहाँ मौजूद थीं, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते यह मुलाकात न हो सकी। हालाँकि, 1893 में आधिकारिक तौर पर संगठित होने के बाद रमाबाई ने भारत के डब्ल्यूसीटीयू के साथ काम किया।

1889 में, वह भारत लौट आईं और पुणे में बाल विधवाओं के लिए शारदा सदन नामक एक स्कूल की स्थापना की, जिसे एमजी रानाडे सहित कई हिंदू सुधारकों का समर्थन प्राप्त था। हालाँकि रमाबाई प्रत्यक्ष धर्म प्रचार में शामिल नहीं हुईं, लेकिन उन्होंने अपना ईसाई धर्म भी नहीं छिपाया और जब कई छात्र ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए, तो उन्होंने पुणे के हिंदू सुधार मंडलों का समर्थन खो दिया। उन्होंने स्कूल को 60 किलोमीटर पूर्व में एक शांत गांव केडगांव में स्थानांतरित कर दिया और इसका नाम बदलकर मुक्ति मिशन रख दिया। 1896 में, भीषण अकाल के दौरान, रमाबाई ने बैलगाड़ियों के कारवां के साथ महाराष्ट्र के गांवों का दौरा किया और हजारों बहिष्कृत बच्चों, बाल विधवाओं, अनाथों और अन्य निराश्रित महिलाओं को बचाया और उन्हें मुक्ति मिशन की शरण में लिया। 1900 तक मुक्ति मिशन में 1,500

निवासी और सौ से अधिक मवेशी थे। सात भाषाओं को जानने वाली एक विद्वान महिला ने बाइबिल का मूल हिब्रू और ग्रीक से अपनी मातृभाषा-मराठी में अनुवाद भी किया। पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन आज भी सक्रिय है, जो विधवाओं, अनाथों और नेत्रहीनों सहित कई जरूरतमंद समूहों के लिए आवास, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि प्रदान करता है।

व्यक्तिगत जीवन

कई मायनों में, पंडिता रमाबाई का पारिवारिक जीवन उन मानदंडों से हटकर था जो उनके समय में महिलाओं से अपेक्षित थे। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था और उन्होंने अपने माता-पिता को जल्दी ही खो दिया था। बिपिन बिहारी मेधवी से उनकी शादी जातिगत सीमाओं से परे थी। इसके अलावा, जब शादी के दो साल बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई, तो वह विधवा हो गई। सामान्य परिस्थितियों में, ऐसी त्रासदी ने उन्नीसवीं सदी की भारतीय महिलाओं को कमजोर स्थिति में डाल दिया, जो समर्थन के लिए अपने मृत पति के परिवार पर निर्भर थीं। हालाँकि, पंडिता रमाबाई एक स्वतंत्र महिला और मनोरमा बाई की एकल माँ के रूप में काम करती रहीं। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मनोरमा बाई को सीएसएमवी की बहनों द्वारा वेटेज में और बाद में बॉम्बे विश्वविद्यालय में शिक्षित किया गया जहाँ मनोरमा ने बीए की डिग्री हासिल की। उच्च अध्ययन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जाने के बाद, वह भारत लौट आईं जहाँ उन्होंने रमाबाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। सबसे पहले शारदा सदन की प्रिंसिपल के रूप में कार्य करते हुए, उन्होंने 1912 के दौरान दक्षिण भारत के पिछड़े जिले गुलबर्गा में क्रिश्चियन हाई स्कूल की स्थापना में अपनी माँ की सहायता की। 1920 में रमाबाई का स्वास्थ्य खराब होने लगा और उन्होंने अपनी बेटी को अपना उत्तर दायित्व सौंप दिया। हालाँकि, 1921 में मनोरमा की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु रमाबाई के लिए एक सदमा थी। नौ महीने बाद, 5 अप्रैल 1922 को, अपने 64वें जन्मदिन से कुछ हफ्ते पहले, रमाबाई की सेप्टिक ब्रॉकाइटिस से मृत्यु हो गई।

रमाबाई का साहित्यिक क्षेत्र भल ही सीमित रहा हो किन्तु जिस समय में उन्होंने यह किया वह अपने आप में चुनौतीपूर्ण था। रमाबाई आजीवन असहाय, निर्धन और कमजोरों की समर्थक रहीं। तमाम सामाजिक दबाव झेलने के बाद भी वह अपने कर्तव्यों से नहीं डिगी और समाज सुधार में लगी रहीं। उनके लेखन निम्नलिखित है:

1. द हाई कास्ट हिंदू वूमेन (1887)
2. द टेटस्मानी ऑफ ऑर इनएक्स्हैस्टेबल ट्रेजर (1907)
3. पंडिता रमाबाईज़ अमेरिका: कंडीशनस ऑफ लाइफ इन यूएस (2003)
4. इंडियाज़ वूमेन ऑफ मिलेनियम (2019)
5. द पंडिता रमाबाई स्टोरी: इन हर ओन वर्ड्स (2020)



कोई न रोको दिल की उड़ान को : वहीदा रहमान

ज्योति, प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर ✍️



वहीदा रहमान – यह नाम हिंदी सिनेमा के सुनहरे पन्नों पर हीरे की तरह चमकता है। फिल्मों में आने वाली "अकेली" लड़की से बॉलीवुड की सबसे ऊँचाईयों को छूने वाली अभिनेत्री बनने का उनका सफर प्रेरणादायक है। भरतनाट्यम में प्रवीण वहीदा रहमान को अपने अभिभावकों से अभिनय की प्रेरणा मिली। सन् 1955 में उन्हें एक के बाद एक दो तेलुगू फिल्मों में काम करने अवसर मिला। आइए, आज हम उनकी जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में तथा शानदार फिल्मों और करिश्माई अदाओं की यादें ताजा करें।

डॉक्टर बनने का सपना टूटा, मजबूरी में बनीं हीरोइन:

वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को परंपरागत मुस्लिम परिवार में जिला कमिश्नर अब्दुर रहमान और मुमताज बेगम के घर हुआ। वो चार बहनों में सबसे छोटी थीं। वहीदा जी ने बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना संजो रखा था। वहीदा के पिता का ट्रांसफर विशाखापट्टनम होने के बाद, वहीदा जी ने वहीं के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई पूरी की। स्कूल के दिनों में वहीदा ने ठान लिया था कि वो डॉक्टर बनेंगी। इसके लिए वो जमकर पढ़ाई करती थीं, पर किस्मत को ये मंजूर न था, कुछ समय बाद ही उनका सपना टूट गया। महज 13 साल की थीं, जब अचानक पिता की मौत हो गई और मां भी अक्सर बीमार रहने लगीं। पिता की मौत के बाद घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी, ऐसे में उन्होंने अपने भरतनाट्यम के हुनर का इस्तेमाल कर रीजनल सिनेमा में छोटे-मोटे रोल करना शुरू कर दिया। कुछ पहचान वालों की मदद से उन्हें 1955 की तेलुगु फिल्म रोजुलु मरायी के एक गाने में छोटा का रोल मिला था, जिसके बाद वो कुछ तेलुगु फिल्मों में नजर आईं।

फिल्मी करियर - एक अनोखी शुरुआत:

वहीदा रहमान का बचपन तेलुगु फिल्म उद्योग से जुड़ा था। वहीदा की पहली फिल्म रोजुलु मरायी का प्रीमियर हैदराबाद में हुआ था, जहां हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के नामी फिल्ममेकर गुरु दत्त भी मौजूद थे। प्रीमियर में गुरु दत्त ने जैसे ही वहीदा का अभिनय देखा, तो वो बेहद इंप्रेस हुए। मुलाकात के दौरान उन्होंने वहीदा को मुंबई आने का ऑफर दे दिया। मुंबई पहुंचते ही उन्हें गुरु दत्त के असिस्टेंट रहे राज खोसला की फिल्म सीआईडी में देव आनंद के साथ लीड रोल दिया गया। वहीदा रहमान, बचपन से ही देव आनंद की फैन थीं। 1956 में फिल्म 'सीआईडी' से उनका डेब्यू हुआ, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उनकी खूबसूरती और अभिनय प्रतिभा ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गाइड, प्यासा, चौदहवीं का चाँद, काराग़ के फूल, साहिब बीबी और गुलाम, तीसरी कसम, राम और श्याम उनकी मुख्य फिल्में रहीं।



शर्तों पर अड़ गई थीं वहीदा:

हिंदी सिनेमा के शुरुआती दशकों में ज्यादातर कलाकारों के नाम फिल्मों में आने से पहले बदल दिए जाते थे। गुरु दत्त और राज खोसला चाहते थे कि वहीदा रहमान का भी नाम फिल्मों के लिए बदल दिया जाए। जवाब में वहीदा रहमान ने कहा- ये नाम मुझे मेरे माता-पिता ने दिया है और मैं इसी के साथ पहचान बनाऊंगी। वहीदा जी ने 2 शर्तों और सामने रख दी कि शूटिंग के दौरान मेरी मां सेट पर आएंगी और मैं फिल्मों में अपनी कॉस्ट्यूम खुद फाइनल करूंगी और किसी के कहने पर छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी।

गुरु दत्त के साथ सुनहरी जोड़ी:

वहीदा रहमान का नाम गुरु दत्त के साथ हमेशा याद किया जाता है। 'प्यासा', 'कागज के फूल', 'चौदहवीं का चाँद' जैसी फिल्मों में उनकी जोड़ी ने कमाल कर दिया। वहीदा रहमान गुरु दत्त की सिर्फ हीरोइन नहीं थीं, बल्कि उनकी फिल्मों को एक अलग गहराई देने में भी उनकी अहम भूमिका थी। साहिब बीबी और गुलाम में वहीदा रहमान के कैरियर की बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है। इससे जुड़ा किस्सा भी बेहद रोचक है। वहीदा बताती है कि जब उन्हें बताया गया कि तुम्हें गुरुदत्त की प्रेमिका का रोल करना है तो वहीदा को मायूस हुई। वो दरअसल छोटी बहु (ये रोल मीना कुमारी को दिया गया) का रोल करना चाहती थी। वहीदा जी को 1965 में फिल्म 'गाइड' के फिल्मफेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद वहीदा का करियर एक बार फिर से ऊँचाई पर था।



सफल जोड़ियां:

वहीदा जी ने देव आनंद, मनोज कुमार और धर्मेन्द्र जैसे अभिनेताओं के साथ भी सफल जोड़ी बनाई। विभिन्न अभिनेताओं के साथ तालमेल बिठाने की उनकी क्षमता ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाया। फिल्मों में देव आनंद के साथ वहीदा रहमान की जोड़ी खूब जमी। दोनों ने हिंदी फिल्म जगत को पांच सुपरहिट फिल्में दीं थीं। ये फिल्में हैं- सी.आई.डी., सोलहवां साल, काला बाज़ार, बात एक रात की और गाइड। इसके अलावा दोनों ने दो और फिल्मों 'रूप की रानी चोरों का राजा' और 'प्रेम पुजारी' थीं, परंतु दुर्भाग्यवश आलोचकों की सराहना के बावजूद बॉक्स-ऑफिस पर दोनों फिल्मों फ्लॉप रहीं। फिल्म गाइड में वहीदा द्वारा अभिनीत चरित्र 'रोजी' और उनके अभिनय को उस ज़माने में काफी सराहा गया था। रोजी नाम की एक महिला का अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ प्रेम प्रसंग, उस समय एक आम भारतीय पारंपरिक परिवार के लिए स्वीकार्य नहीं था। इसके बावजूद फिल्म का सुपरहिट होना वहीदा रहमान के सशक्त अभिनय को दर्शाता है। उस समय वहीदा रहमान ने भी माना था कि अगर उन्हें फिर से 'गाइड' जैसी फिल्म में अभिनय करने का मौका मिलेगा तब भी वह संभवतः ही 'रोजी' जैसी चरित्र को फिर से निभा पाएंगी।

दमदार किरदारों का चुनाव:

सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं - वहीदा रहमान अपने किरदारों को चुनने के लिए भी जानी जाती थीं। वह मजबूत महिला पात्रों वाली स्क्रिप्ट की तरफ खिंची चली जाती थीं, जिससे उन्होंने रूढ़ियों को तोड़ा और अपने अभिनय की छाप छोड़ी। "त्रिशूल" और "खामोशी" जैसी फिल्मों ने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और जटिल किरदारों को निभाने की उनकी क्षमता को साबित किया। कॉमेडी से रोमांस तक, हर किरदार में निखरीं - वहीदा रहमान ने अपने करियर में हर तरह की भूमिकाएँ निभाईं। वह कॉमेडी फिल्मों में दर्शकों को हंसा सकती थीं तो रोमांटिक फिल्मों में दर्शकों के आंसू भी छलका सकती थीं। 'तीसरी मंजिल', 'राम और रहीम', 'बंदिनी' जैसी फिल्मों उनकी बहुमुखी प्रतिभा का उदाहरण हैं।

गुरुजी ने किया भरतनाट्यम सिखाने से इनकार:

वहीदा रहमान जी को बचपन से ही भरतनाट्यम सीखने में दिलचस्पी थी। वहीदा ने जिद की तो उनकी मां उन्हें चेन्नै ले गईं। चेन्नै में जब वो एक गुरुजी के पास पहुंचीं, तो मुस्लिम होने पर गुरुजी ने उन्हें सिखाने से इनकार कर दिया। जब वहीदा जिद पर अड़ी रहीं, तो गुरुजी ने उनसे कुंडली लाने को कहा। मुस्लिम होने पर वहीदा के पास कुंडली नहीं थी, ऐसे में गुरुजी ने खुद उनकी कुंडली बनाई और जैसे ही उनकी कुंडली देखी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने वहीदा जी को कहा, तुम मेरी आखिरी और सबसे बेहतरीन शिष्या बनोगी।

एक नृत्यांगना की छाप:

जहां वहीदा रहमान ने पर्दे पर अपने अभिनय से सबको मंत्रमुग्ध कर

दिया, वहीं उनकी जड़ें नृत्यकला में शानदार थीं। भरतनाट्यम में प्रशिक्षित, उन्होंने अपने ऑन-स्क्रीन हाव-भावों में एक खास लालित्य और शालीनता ला दी। यह सिर्फ खूबसूरती के बारे में नहीं था; इससे उनके पात्रों में एक और गहराई आ गई। फिल्म गाइड के ये गाना 'पिया तोसे नैना लागे रे', 'आज फिर जीने की तमन्ना है' फिल्म सीआईडी का गाना 'कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना' और फिल्म तीसरी कसम का गाना 'पान खाए सड़ियां हमारो' इन सभी गानों में वहीदा जी ने अपने शानदार नृत्य से दर्शकों के दिल को जीत लिया था।

व्यक्तिगत जीवन:

वर्ष 1974 में उन्हें सह-अभिनेता शशि रेखी ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया, और करियर के पीक पॉइंट पर उन्होंने शादी कर ली। उनका वैवाहिक जीवन काफी सुखमय रहा, लेकिन वर्ष 2000 में पति शशि रेखी की मृत्यु ने उन्हें अकेला कर दिया। पति की मृत्यु के बाद वहीदा ने एक बार फिर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। जिसके बाद वह फिल्म वाटर, रंग दे बसंती, दिल्ली 6 जैसी फिल्मों में नजर आयीं।

सम्मान एवं पुरस्कार:

पांच दशक से भी लंबे करियर में वहीदा रहमान ने लगभग 90 फिल्मों में काम किया। वहीदा को 1972 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया और साल 2011 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड सहित कई सम्मान मिले। वहीदा रहमान का चयन वर्ष 2013 की भारतीय फिल्म हस्ती के शताब्दी पुरस्कार के लिए किया गया। वहीदा रहमान को यह पुरस्कार गोवा में भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आइएफएफआई) में 20 नवम्बर 2013 को प्रदान किया गया। अभिनेत्री वहीदा रहमान को 85 वर्ष की उम्र में साल 2021 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें वर्ष 2023 में दिया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भारतीय सिनेमा की उन्नति और संवर्धन में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। फिल्म रेशमा और शोरा (1971) के लिए रहमान ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अकादमी पुरस्कार के बराबर है।

वहीदा रहमान आज 86 साल की हो चुकी हैं। उम्र के इस पड़ाव में वहीदा अपना सालों पुराना फोटोग्राफी का शौक पूरा कर रही हैं, वहीं वो इस उम्र में स्कूबा डाइविंग तक करना चाहती हैं। भारतीय सिनेमा में वहीदा रहमान का योगदान बॉक्स ऑफिस की सफलता से कहीं आगे निकल जाता है। आज भी, वह महत्वाकांक्षी अभिनेताओं के लिए एक प्रेरणा बनी हुई हैं और साथ ही साथ कालातीत सुंदरता और प्रतिभा की शक्ति की याद दिलाती हैं। वहीदा रहमान सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं हैं, वह हिंदी सिनेमा के एक स्वर्णिम युग की याद हैं। उन्होंने हमें बेहतरीन फिल्में दीं और हमें यह सिखाया कि सफलता के लिए खूबसूरती के साथ प्रतिभा भी जरूरी है। आइए, हम उनकी कला को सलाम करें और उन्हें शुभकामनाएं दें।

माननीय संसदीय समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय / शाखा का निरीक्षण



माननीय संसदीय समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई का निरीक्षण



माननीय संसदीय समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय गोवा का निरीक्षण



माननीय संसदीय समिति द्वारा राजकोट शाखा का निरीक्षण

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की झलकियाँ



केन्द्रीय कार्यालय में आयोजित मातृभाषा दिवस की झलकियाँ



विभिन्न नराकासों से प्राप्त पुरस्कारों की झलकियाँ



क्षेत्रीय कार्यालय ब्रह्मपुर- प्रथम पुरस्कार



रोहतक शाखा – प्रथम पुरस्कार



फरीदकोट शाखा – द्वितीय पुरस्कार



क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ – तृतीय पुरस्कार



क्षेत्रीय कार्यालय गोवा – तृतीय पुरस्कार



हल्द्वानी शाखा – तृतीय पुरस्कार



आधी आबादी की हिस्सेदारी

नेहा रंजन, प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल ✍️



नारी और पुरुष मूलतः मानव समुदाय की दो अलग प्रजातियाँ हैं, जिनकी शारीरिक संरचना अलग-अलग है। नारी और पुरुष निश्चित तौर पर भिन्न हैं, पर इस भिन्नता का मतलब यह नहीं है कि कोई किसी से कमतर है, जैसी कि हमारे समाज की मान्यता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं बहुधा सोचने की कोशिश करती हूँ कि कैसे 'सौंदर्य' को स्त्रियों तक सीमित कर दिया गया और 'बौद्धिकता' को पुरुषों का अनिवार्य गुण मान लिया गया है। इस तरह की और भी कितनी मान्यताएं स्थापित कर दी गई हैं जिन्होंने स्त्रियों के विकास के मार्ग को अवरुद्ध किया है। अगर मानव इतिहास का सूक्ष्म विश्लेषण करें तो पाएंगे कि हम विकास क्रम में अपनी क्षमताओं के केवल 50% का ही दोहन कर सके हैं। यहाँ एक तथ्य यह भी विचारणीय है कि लम्बे समय तक शिक्षा से वंचित स्त्रियाँ मानती रहीं कि उनका मुख्य दायित्व परिवार के केयरटेकर का है, बच्चों के जन्म व उनके पालन-पोषण का है और इस तरह वे खुद को पुरुषों से कमतर मानती रहीं। यह वही मानसिकता है, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों के प्रवेश के बावजूद शिक्षा के विषयों तक को स्त्रियों व पुरुषों के वर्ग में विभक्त कर दिया। तभी तो आज भी कुछ पेशों को स्त्रियों के अनुकूल मान लिया गया है, उससे इतर पेशों के चुनाव पर स्त्री को अपने घर के भीतर कई सारी लड़ाइयाँ लड़नी होती हैं। आज भी स्त्रियों को यदि सभी अवसर उपलब्ध करवाएँ जाए तो हम मानव सभ्यता के क्रम में कई शताब्दियों की बढ़त हासिल कर सकते हैं।

स्थितियाँ बेशक बदली हैं, सामाजिक विमर्शों ने समाज की मानसिकता को निश्चित तौर पर चुनौती दी है, नारीवाद के रूप में चले विमर्श ने सहजता से स्वीकार कर ली गयी बहुत सारी मानसिकताओं पर सवाल खड़े किए हैं और स्त्री के स्वत्व को नज़रंदाज़ करने वाली मान्यताओं व संस्थाओं को अस्वीकार करते हुए उसकी अनन्यता को स्वीकारे जाने की बात की है। मेरा प्रयास रहेगा कि कुछ जीवंत उदाहरणों के माध्यम से इन गढ़ी-गढ़ाई परिभाषाओं को तोड़ सकूँ। सुविधा की दृष्टि से मैं लंबे समय तक पुरुष के लिए अधिकृत क्षेत्रों में अपनी धाक और साख जमाने वाली स्त्रियों को चार प्रमुख वर्गों यथा कला, संस्कृति, राजनीति, खेल में विभक्त कर रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, उन महिलाओं की जिन्होंने कला के क्षेत्र में सारी रूढ़ियों और वर्जनाओं को तोड़ कर अपनी अमिट छाप छोड़ी...

कला

कला हमारे जीवन का आधार है। कला के विविध रूप हो सकते हैं। कितना तो सटीक ही लिखा है नीतिशतकम के रचयिता भर्तृहरि ने

साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः ।
तृणं न खादन्नपि जीवमानस्तद्भागधेयं परमं पशूनाम् ॥

अर्थात् जो मनुष्य साहित्य, संगीत, कला से वंचित होता है वह बिना पूँछ तथा बिना सींगों वाले साक्षात् पशु के समान है। वह बिना घास खाए जीवित रहता है यह पशुओं के लिए निःसंदेह सौभाग्य की बात है। आपका परिचय करवाती हूँ साहित्य जगत की उस त्रयी से जिसने साहित्य लेखन की दिशा में पुरुषों के एकाधिकार वाले क्षेत्रों में संधमारी और अपने लिए एक मुकाम हासिल किया।

प्रगतिवादी लेखन में जो नाम सबसे पहले मेरे जेहन में आता है वो है 21 अगस्त 1915 को जन्मी इस्मत चुगताई का जिन्हें हम इस्मत आपा के नाम से भी जानते हैं। अगर इस्मत आपा का परिचय एक लाइन में देना हो तो मैं सआदत हसन मंटो की वो लाइन आपके सामने परोसूंगी, जिसमें मंटो साहब लिखते हैं कि *“अगर इस्मत आदमी होती तो वह मंटो होती और अगर मैं औरत होता तो इस्मत होता।”* इस्मत आपा अपने दौर में जन्मी प्रगतिवादी लेखकों की दौड़ में सबसे आगे थीं। उनकी लिखी कहानी लिहाफ़, जिससे उन्होंने सबसे ज्यादा नाम कमाया और जिस कहानी ने उनका सबसे ज्यादा नाम डुबाया के बारे में वे खुद अपनी जीवनी में लिखती हैं: *“उन दिनों मुझे अश्लील लेखिका का नाम दे दिया गया। ‘लिहाफ़’ से पहले और ‘लिहाफ़’ के बाद मैंने जो कुछ लिखा किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ये तो अभी कुछ वर्षों से युवा पाठकों ने मुझे बताया कि मैंने अश्लील साहित्य नहीं, यथार्थ साहित्य दिया है। मैं खुश हूँ कि जीते जी मुझे समझने वाले पैदा हो गए। मंटो को तो पागल बना दिया गया। ‘लिहाफ़’ ने मुझे बहुत जूते खिलाए थे। इस कहानी पर मेरी और शाहिद की इतनी लड़ाइयाँ हुई कि जिंदगी युद्धभूमि बन गई।”*

हमारी त्रयी की दूसरी लेखक हैं 18 फरवरी 1925 को जन्मी कृष्णा सोबती, जिन्होंने हिन्दी साहित्य को सूरजमुखी अँधेरों के, यारों के यार, मित्रो मरजानी, डार से बिछुड़ी जैसे तमाम रत्नों से नवाजा। अपने मूल स्वभाव में सोबती जी इतनी मौलिक थीं कि वह सारे काम जिन्हें पारम्परिक भारतीय समाज में स्वीकार्यता नहीं मिलेगी, उन्होंने किए। उदाहरण के लिए 70 साल की उम्र तक शादी न करना उनका निर्णय था। हालांकि अपने करीबी लोगों को एक क्रिस्सा सुनाते हुए वह अक्सर हँसती थीं कि एक साक्षात्कार के दौरान किसी ने उनसे कहा *“सुना है कृष्णा जी, कि आपका एक प्रेम सम्बंध है?”* हाज़िर-जवाब



सोबती जी ने पलटवार करते हुए कहा, *“मेरे दिन इतने कभी खराब नहीं रहे कि सिर्फ एक प्रेम सम्बंध हो”*। 70 साल की उम्र में जब कृष्णा जी को डोगरी भाषा के लेखक शिवनाथ से प्रेम हुआ तो उन्होंने तुरंत शादी कर ली। लेकिन अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीने वाली सोबती जी ने कभी अपनी आधुनिकता का ढिंढोरा भी नहीं पीटा। अपने काम, अपने सृजन और अपने जीवन में भी क्षितिज तक आधुनिक-मानवीय और प्रगतिशील सोबती जी ने बड़े से बड़े काम खामोशी से किए। फिर चाहे 2015 में चली ‘अवार्ड वापसी’ की लहर में साहित्य अकादमी की फेलोशिप वापस करके भरी सभा को व्हीलचेयर पर सम्बोधित करना हो या सारी ज़िंदगी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष भारत के पक्ष में मुखर होकर खड़े रहना, जिसे उन्होंने अपनी आँखों के सामने बनते देखा था।

हमारी त्रयी की तीसरी और आखिरी लेखक हैं, 31 मार्च 1934 को केरल में जन्मी कमला सुरैया। अपने लेखन को किसी और के नाम से छपते देखने का दुख उनके न छापने के दुख से बड़ा नहीं हो सकता इसी लिए उस जमाने में कमला सुरैया ने अपनी कविताओं को भारत की मशहूर साप्ताहिक पत्रिका ‘इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ़ इंडिया’ में के. दास के नाम से छपवाना स्वीकार किया। अपने नाम को छोटे रूप में लिखना उन्होंने इसलिए भी चुना क्योंकि कमला सुरैया को डर था कि पत्रिका के संपादक शॉन मैडी कवयित्रियों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त होंगे। अमूमन मलयालम में उन्होंने माधवी कुट्टी के नाम से लिखा जो असल में उनकी नानी का नाम था। वहीं अंग्रेजी में वे कमला दास के नाम से लिखा करती थीं जो उनका मूल नाम था। अपने लेखन को

काफी समय तक अलग अलग नामों से छपने के बाद एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें महसूस हुआ कि इस तरह किसी पर्दे के पीछे से कह देने भर से कुछ नहीं होगा और अपनी एक रचना में उन्होंने लिखा - *‘तुम एमी हो, या कमला या कि माधवी कुट्टी, अब वक्त आ गया है एक नाम एक रोल चुनने का’* और तदोपरांत उन्होंने अपना सारा लेखन कमला दास के नाम से ही किया। कमला सुरैया का लेखन सदैव ही स्त्री मन की उस मुक्त आकाश की उड़ान को निहारता है जो उसे अलभ्य रही है। महिला के विवाह की प्राचीर से असंतुष्ट होकर, विवाहेतर संबंधों को जिस निर्भीकता और खुलेपन से कमला सुरैया ने लिखा, वह वास्तव में अभूतपूर्व हैं। उन्होंने घर की दहलीज के पार, प्यार पाने की नाकाम कोशिशों और पुरुषों से मिले अनुभवों को जिस बिंदास अंदाज़ में व्यक्त किया वो साहसिक कदम था।

वापसी उस श्लोक की ओर जहां से मैंने अपनी बात शुरू की थी और आगे की बात उस पैमाने की ओर जिसे श्लोक ने इंसान की शिनाख्त के लिए गढ़ा है, मगर थोड़े से ट्विस्ट के साथ। बात अगर संगीत की करें तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर और आशा भोसले का नाम किसने नहीं सुना होगा। मैं यहाँ से रुख उस दिशा में मोड़ूंगी जो थोड़ी अचीन्ही तो है मगर संगीत से गहराई से जुड़ी है। मैं बात कर रही हूँ - सिनेमा की। फिल्म के दादा यानी दादा साहब फाल्के और उनके नाम पर दिये जाने वाले अवार्ड के बारे में कौन नहीं जनता। मगर शायद कम ही लोग जानते होंगे कि जो सिनेमा रंगमंच के परिष्कृत रूप में उभर कर सामने आया, को एक लंबे दौर तक महिला पात्रों के लिए महिला



कलाकार नसीब नहीं हुई। यहाँ तक कि जिन दादासाहेब फाल्के ने भारतीयों को अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चन्द्र से रूबरू करवाया। उस एक मूक चित्रपट के लिये दादासाहेब फाल्के को कई दिनों तक कोई भी महिला कलाकार न मिली। अंततः उन्हें राजा हरिश्चन्द्र की पत्नी तारामती के किरदार के लिए प्रसिद्ध रंगमंचकार अण्णा सालुंके को चुनना पड़ा। उन्हें अपनी पहली फिल्म को किसी भी महिला कलाकार की मौजूदगी के बिना ही पर्दे पर उतारना पड़ा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पहली भारतीय महिला कलाकार दुर्गाबाई कामत थीं, जिन्हें दादासाहेब फाल्के ने अपनी दूसरी फिल्म मोहिनी भस्मासुर में इंटीर्यूस किया और साथ में दुर्गाबाई की बेटी कमलाबाई कामत को भी इंटीर्यूस किया। हालांकि आने वाले समय में सिनेमा एक अत्यधिक व्यावसायिक उद्योग बन गया और इसकी सामग्री अधिक से अधिक पारंपरिक हो गई, लेकिन महिला निर्माताओं और निर्देशकों के लिए अवसर कम ही रहे। कई दशकों तक कैमरे के पीछे महिलाओं की भूमिकाएँ काफी हद तक पटकथा लेखकों, पोशाक डिजाइनरों, सेट सजाकारों, मेकअप कलाकारों तक सीमित थीं।

संस्कृति

भारतीय संस्कृति जोकि अपने आदि से ही गौरवमयी रही है। उपनिषद में “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः” ॥ जैसे उच्च कोटि के विमर्श निहित है। ऋग्वेद में गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, गोधा, विश्ववारा, अपाला, अदिति, लोपामुद्रा, सारंपराज्ञी, वाक्क, श्रद्धा, मेधा, सूर्या व सावित्री जैसी अनेक वेद मंत्रदृष्टा विदुषियों का उल्लेख मिलता है। जिनके ब्रह्मज्ञान से समूचा ऋषि समाज आह्लादित था। जिनकी लिखी ऋचाएँ आज भी प्रासंगिक एवं अनुकरणीय हैं। जिस संस्कृति में कन्याओं के लिए अलग गुरुकुल की व्यवस्था थी, उस देश में महिलाओं के लिए शिक्षा का रूढ़ हो जाना आज भी अचरज से भर देता है। सर्वगुण सम्पन्न आदर्श समाज की परिकल्पना ओढ़े समाज को सुधारकों की आवश्यकता पड़ जाए तो ये अपने आप में गहन शोध का विषय है।

15 वीं शताब्दी आते-आते महिलाओं की स्थिति में किस तरह शनैः-शनैः क्षरण हुआ जिससे कि डाकन प्रथा, देवदासी प्रथा, बाल विवाह, शुद्धिकरण प्रथा, सती प्रथा, विधवा प्रथा जैसी अनेक कुरीतियाँ हमारे समाज में रच बस गई थीं। यद्यपि पराधीनता के दौर की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है किन्तु ब्रिटिश काल में ब्रिटिश अधिकारियों और भारतीय समाज सुधारकों के सामूहिक प्रयास से महिलाओं की स्थितियों में जो सुधार हुआ है उसके लिए, उन प्रयासों के परिणाम स्वरूप अत्याचारों को दंड की परिधि में लाने वाले प्रावधानों के निर्माण व उनको लागू करवाने के लिए कम से कम महिलाओं को तो ब्रिटिश हुकूमत की सराहना करनी चाहिए।

19 वीं शदी के दौरान दौरान सावित्रीबाई फुले, स्वर्णकुमारी देवी और

राससुंदरी देवी जैसी समाज सुधारक महिलाओं ने महिलाओं की दुर्दशा को सामने लाने में बहुत योगदान दिया और उन्हें हल करने की दिशा में काम किया। उल्लेखनीय है कि सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली महिला शिक्षक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने पति के साथ जाति और लिंग-आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित की, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और बुरी सामाजिक प्रथाओं के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई थी।

स्वातंत्र्योत्तर युग आने तक महिलाओं की शिक्षा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ। उत्तर-औपनिवेशिक काल में ऐसे शैक्षणिक संस्थान थे, जो पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित थे। ब्रिटिश राज के दौरान, भारतीय महिलाएं स्वतंत्रता की लड़ाई में सबसे आगे थीं, जब पुरुषों को जेल भेजा गया तब उन्होंने उस संघर्ष का नेतृत्व किया। जिसने साबित किया कि महिलाएं न केवल घर से बाहर प्रबंधन और नेतृत्व करने में सक्षम हैं, बल्कि राजनीतिक मामलों में भी कुशल हैं। हालाँकि, 1974 की समानता रिपोर्ट ने इस वास्तविक सच्चाई को सामने ला दिया कि महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, फिर भी इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। औपनिवेशिक काल के बाद कई कानून पारित किए गए जिनका उद्देश्य महिलाओं को मजबूत करना था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 (2) महिला आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकते हैं। इसके बाद, हिंदू विवाह अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए।

राजनीति

महिलाओं की ‘राजनीतिक भागीदारी’ शब्द का बहुत व्यापक अर्थ है। यह न केवल ‘मतदान के अधिकार’ से संबंधित है, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया, राजनीतिक सक्रियता, राजनीतिक चेतना आदि में भागीदारी से भी संबंधित है। भारत में महिलाएं मतदान में भाग लेती हैं, सार्वजनिक कार्यालयों और राजनीतिक दलों के लिए चुनाव लड़ती हैं। यद्यपि राजनीति में लैंगिक असमानता से निपटने के लिए, भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों में सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है किन्तु आपेक्षिक परिणाम अभी भी दूर की कौड़ी नज़र आते हैं।

हम अपने देश के परिपेक्ष्य में बात करें तो भारतीय राजनीति में पुराने समय से ही महिलाओं का दखल रहा है। समय के साथ-साथ हर राजनीतिक दल में महिलाओं की भूमिका विस्तृत हुई है। सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी जैसी महिलाएं राजनीति में अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहीं। वर्तमान दौर में भी भारतीय राजनीति में महिलाएं अग्रणी हैं।



राजनीतिक जगत में एक प्रसिद्ध नाम निर्मला सीतारमण का है, जो देश की पहली महिला रक्षामंत्री थीं और वर्तमान में भारत की वित्तमंत्री का पद संभाल रही हैं। निर्मला सीतारमण भारतीय राजनीति में आने से पहले ब्रिटेन में बतौर अर्थशास्त्री एवं कृषि इंजीनियरिंग फर्म में काम कर चुकी हैं। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एम.ए. कर चुकी निर्मला सीतारमण ब्रिटेन से भारत लौटते ही भाजपा में शामिल हो गईं। इसी क्रम में लोकप्रिय अभिनेत्री से राजनीति में आई स्मृति ईरानी भाजपा की बड़े नेताओं के बीच अपनी अलग पहचान रखती हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुकी स्मृति ईरानी फिलहाल केंद्र सरकार में 2019 से महिला एवं बाल विकास मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रही हैं।

कांग्रेस पार्टी में एक सशक्त नेत्री के रूप में सोनिया गांधी का नाम, अब कांग्रेस की पहचान है। गांधी परिवार की इस बहू ने जब 1997 में कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभाली तब कांग्रेस बिखरी हुई थी। 1999 के लोकसभा चुनाव में सोनिया ने कांग्रेस को एक करने का प्रयास किया। भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की ताकतवर महिलाओं में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को शुमार किया जाता है।

बंगाल की दीदी की उपाधि से नवाजी गई ममता बनर्जी का जीवन शोध का विषय माना जा सकता है। मामूली जीवन स्तर से शुरुआत करके उन्होंने बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री होने तक का सफर तय किया। ममता बनर्जी ने छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत की और वे जल्द ही 70 के दशक में प्रदेश कांग्रेस की महिला इकाई में महासचिव बनीं। बाद में वे केंद्र सरकार में दो बार रेलमंत्री, कोयला मंत्री, मानव विकास संसाधन राज्य मंत्री रहीं। ममता ने साबित कर दिया कि अगर सच्ची लगन और समर्पण से काम किया जाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं।

उमाशंकर दीक्षित जैसे क्रांतिकारी रहे परिवार की बहू शीला दीक्षित का राजनीतिक जीवन बहुत लंबा रहा है। उनके पति विनोद दीक्षित आइएएस अधिकारी थे। शीला दीक्षित ने 1984 में उत्तरप्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से जीत दर्ज की। शीला जी लगातार तीन बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं और केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी काम कर चुकी हैं।

राजनीति में आने से पहले तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिन्दी फिल्मों में काम कर चुकी जे. जयललिता के लिए तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनना किसी सपने की तरह रहा। कभी रुपहले पर्दे पर अपना जादू बिखेरने वाली जयललिता ने भारतीय राजनीति में कदम रखते ही इतनी तेजी दिखाई कि वे बहुत जल्द ही राज्य की मुख्यमंत्री बन गईं। पूर्व अभिनेता व राजनीतिज्ञ एमजी रामचंद्रन ने लगातार जयललिता को सहयोग दिया। रामचंद्रन की मृत्यु के बाद जयललिता उनकी राजनीतिक वारिस के रूप में उभरीं और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के बाद

गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हुईं। आज भी उन्हें अम्मा के नाम से जाना जाता है।

खेल

"मैं हमेशा ये सोच के रोता रहा कि छोरा होता तो देश के लिये गोल्ड लाता। ये बात मेरे समझ में न आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी।" साल 2016 में आई आमिर खान की फिल्म 'दंगल' का ये डायलॉग तो हम सभी ने सुना ही होगा। ये महज एक फिल्म का डायलॉग भर नहीं है बल्कि ये बहुत गहरी बात है जिसे आज तक हमारा भारतीय समाज पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पाया है। आज हम लैंगिक समानता को लेकर कितनी भी बड़ी-बड़ी बातें क्यों न कर लें, लेकिन वास्तविकता यह है कि अब भी भारत में लैंगिक असमानता बड़े पैमाने पर है जिसका एक जीता जागता उदाहरण खेल की दुनिया है। ऐसे में पर्याप्त समर्थन के अभाव व सामाजिक वर्जनाओं को तोड़कर अपना परचम लहराने वाली मैरी कॉम, विनेश फोगाट, बबिता फोगाट, दुति चंद, पी.वी. सिंधु, हिमा दास जैसी महिला खिलाड़ियों को भूला नहीं जा सकता है। मैरी कॉम दुनिया की एकमात्र बॉक्सर हैं जिन्होंने कुल आठ वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीते हैं। हम बात करें हिमा दास की तो वे ट्रैक स्पर्धा में विश्व स्तर पर गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। वहीं पीवी सिंधु भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिर्फ 21 साल की उम्र में रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता है। वह दुनिया के टॉप-10 खिलाड़ियों में से हैं। महिला हो या पुरुष, सिंधु से पहले किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप नहीं जीती थी।

आँकड़ों की बात करें तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बीते पाँच वर्षों में महिला खिलाड़ियों की संख्या में काफ़ी इज़ाफ़ा देखने को मिला है। खेल मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2018 से 2020 की अवधि में खेलो इंडिया गेम्स में महिला खिलाड़ियों की भागीदारी में कुल 160 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, ओलंपिक डेटाबेस के अनुसार, साल 2000 में ओलंपिक खेलों में कुल 38 फीसदी महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी, जो कि साल 2016 में बढ़कर 45 फीसदी और साल 2020 में 47 फीसदी हो गई।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि ओलंपिक और पैरालम्पिक में भारतीय महिलाओं का शानदार प्रदर्शन यह संकेत दे रहा है कि बदलाव की लहर चल पड़ी है जो दूर तक जाएगी। व्यावहारिक और सामाजिक बदलाव ही महिलाओं के आगे आने के द्वार खोलेगा। जैसे-जैसे महिलाएँ शिक्षा, करियर और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले स्वयं लेने में सक्षम होती जाएंगी, वैसे-वैसे लोग भी इसे स्वीकार करने लगेंगे और कला, खेल, राजनीति, संस्कृति जैसे क्षेत्रों में भी उनकी भागीदारी बढ़ती जाएगी।



‘महाभोज’

मुकुल व्यास, सहायक प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ ✍️



साहस और बेबाकबयानी के कारण मन्नू भंडारी ने हिंदी जगत में अपनी एक अलग जगह बनाई हैं। नैतिक-अनैतिक से परे यथार्थ को निर्द्वन्द्व निगाहों से देखना, उनके कथ्य और उनकी कहान को हमेशा नया और आधुनिक बनाया है। उनका लिखा हुआ ‘महाभोज’ राजनीतिक विषयों पर लिखे गए हिंदी के सफलतम उपन्यासों में से एक है। इस उपन्यास में मन्नू भंडारी ने आपातकाल के बाद के भारतीय राजनीतिक परिदृश्य का प्रामाणिक चित्रण किया है। मन्नू भंडारी जी की ख्याति मुख्यतः मानव मन टटोलने के लिए है। महाभोज की मूल समस्या राजनीतिक विकृति है। इसमें उन्होंने वर्षों से चली आ रही सत्ता के मोह एवं उसके दुरुपयोग की दुष्परंपरा पर चोट की है। उपन्यास की पहली चीज जो पाठकों को आकर्षित करती है वह है इसका नाम। सामान्य तौर पर ‘महाभोज’ का अर्थ किसी की मृत्यु पर आयोजित होने वाले भोज से होता है इसे पढ़ते ही पाठक कौतूहल से भर जाता है कि आखिर लेखिका किसके महाभोज की बात कर रही हैं।

महाभोज ‘सरोहा’ नामक गाँव के चारों ओर लिखी हुई है जहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उपन्यास यह दर्शाता है कि जातिगत समीकरण किस प्रकार भारतीय राजनीति का अनिवार्य अंग बन गया है। भारतीय राजनीति में दलितों को केवल वोट बैंक की भांति माना जाता है। विपक्ष दलित युवक की मौत को अपना सौभाग्य समझता है, चूँकि इसके माध्यम से वे अपना स्वार्थ साध सकते हैं। वहीं पक्ष दलितों के साथ हमदर्दी का प्रदर्शन तो करता है परंतु अपराधी के बड़े वोट बैंक में प्रभावशाली होने के कारण उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। मन्नू भंडारी ने राजनीति में सिद्धांतों के पतन का भी विवरण किया है। सत्ता पक्ष के कुछ नेता यूँ तो सिद्धांतों के नाम पर विरोध करते हैं, पर बड़े पद के प्रलोभन मिलने पर शांत बैठ जाते हैं। राजनेता गाँधी-नेहरू के सिद्धांतों पर चलने का दिखावा करते हैं भले ही वह उनके आदर्शों से कोसों दूर हों। उपन्यास में ऐसे ही एक राजनेता का चित्रण किया गया है जो कृत्रिम आदर्शों के चादर में अपनी वास्तविकता को छिपा रखते हैं। यह व्यक्तित्व उन्हें कई कठिन परिस्थितियों को सुलझाने में मदद करता है जो समकालीन राजनीति की विकृत स्थिति को इंगित करता है।

पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। आमतौर पर यह समूह किस प्रकार अपने कर्तव्य को भूल कर अपने स्वार्थ को साधने के लिए राजनेताओं की चाटुकारिता करने लगता है, इसका भी लेखिका ने यथार्थवादी विवरण किया है जो वर्तमान समय के लिए भी

काफी प्रासंगिक है। इस उपन्यास में नौकरशाही की कमियों को भी उजागर किया गया है। नौकरशाही रिपोर्ट पहले से तैयार कर देती है एवं औपचारिक रूप से गवाही और साक्ष्य जुटा कर किसी प्रकार उस परिणाम पर पहुँच जाती है। नौकरशाही की तरफ लोगों के अविश्वास को भी उपन्यास में दिखाया गया है। सरोहा के लोग डर कर गवाही नहीं देते क्योंकि उनका नौकरशाही द्वारा दी गयी सुरक्षा पर भरोसा नहीं है। नौकरशाही के कुछ लोग जो अच्छा करना चाहते हैं उन्हें भी ट्रांसफर आदेशों द्वारा दबा दिया जाता है।

उपन्यास के किरदार भी काफ़ी रोचक हैं। उपन्यास में दा साहब जैसे सत्ताधारी नेताओं को दिखाया गया है जो समाज में आदर्शवाद का दिखावा करके आम जनता से अपना स्वार्थ साधते हैं और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उनका शोषण करते हैं। वहीं लखन जैसे चमचों को भी दिखाया गया है जो नेताओं की चाटुकारिता करके अयोग्य होने के बाद भी सत्ता में आने का प्रयत्न करता है। कहानी में बिसू नामक एक गरीब किसान के बेटे को दिखाया गया है जो अपने ही जैसे पीड़ितों के लिए संघर्ष करते हुए मारा जाता है। अकस्मात घटना में मौका पाते ही अपनी रोटी सेकने वाले विपक्ष को भी सुकूल बाबू के रूप में बड़े ही प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया है। साथ ही साथ सत्ता के अधीन आकर कैसे सभी संस्थाएं नेताओं की मुनादी करती हैं, ये भी इस उपन्यास में बखूबी दिखाया गया है। जोरावर, डी० आई० जी० सिन्हा, मशाल पत्र के संपादक दत्ता बाबू इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। कहानी में एक पात्र बिन्दा है जो मासूम है लेकिन अंततः राजनीति का शिकार बन जाता है।

‘महाभोज’ भ्रष्टाचार और राजनीतिक कुसंगतियों को प्रत्यक्ष रूप से दर्शाने में सफल रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि उपन्यास में सभी पात्रों का कुशल चित्रण और उनके बीच अच्छा सामंजस्य बिठाया गया है। उपन्यास की भाषा शैली एकदम सरल एवं सुबोध है। कहीं कहीं भाषा का प्रयोग पात्रों की अपनी स्थानीय भाषा के अनुसार किया गया है। निश्चय ही महाभोज एक कालजयी उपन्यास कहलाने योग्य है।

उपन्यास में अन्याय के विरुद्ध बिसू की प्रतिरोधी चेतना को जिस तरह राजनीतिक दुरभिसंधि के चलते नक्सलवादी राजनीति से जोड़कर राजनीतिक मंतव्य देने का प्रयास किया गया है, वह वर्तमान परिदृश्य का भी प्रतिनिधि यथार्थ है। दलित युवा बिसू की हत्या गाँव के दबंग जोरावर द्वारा इसलिए करा दी जाती है क्योंकि उसने उस



सामूहिक दलित हत्याकांड के सुराग जुटा लिए थे, जिसमें जोरावर शामिल था। साथ ही, यह भी कि सरोहा गाँव जहाँ 'लोगों के घर, ज़मीन और गाय-बैल ही रेहन नहीं रखे हुए हैं जोरावर और सरपंच के यहाँ, उनकी आवाज़ और जबान तक बंधक रखी हुई है।' सरोहा का यही दबंग जोरावर प्रान्त के मुख्यमंत्री दा साहब का मुंहलगा और सहायक है। मध्यवर्ती किसान जाति का यह दबंग जब दा साहब की इच्छा के विरुद्ध उप-चुनाव में अपनी राजनीतिक महत्वकांक्षा के चलते खुद ही उम्मीदवार बनना चाहता है तब दा साहब जो शतरंजी बिसात बिछाते हैं उसके कई शिकार होते हैं।

उपन्यास में बिसू की प्रतिरोधी चेतना को नक्सलवाद से जोड़कर उसकी हत्या को पहले आत्महत्या का रंग देने का षड्यंत्र फिर उसके मित्र बिन्दा को ही हत्या अभियुक्त बनाकर गिरफ्तार किया जाना मात्र एक घटना न होकर, एक ऐसी सामाजिक परिघटना है जो समसामयिक यथार्थ से पूरी तरह संपृक्त है। बेलछी से शुरू होकर दलित हत्याकांडों का जो सिलसिला लक्ष्मनपुर-बाथे और बथानीटोला की परिणतियों के रूप में सामने है, उससे कई नए 'महाभोज' लिखे जाने की ज़रूरत दरपेश है।

दलित बिसू की हत्या और गाँव में विधानसभा के उप-चुनाव की राजनीति के ताने-बाने में अंतर्गुम्फित 'महाभोज' का कथ्य वर्तमान राजनीति के सादृश्य उपस्थित करता है। उदहारण के लिए चुनाव की पूर्व तैयारी के दौर में घाघ राजनीतिज्ञ और प्रान्त के मुख्यमंत्री दा साहब का यह कथन कि "किराये की रैलियाँ और प्रदर्शन तो सुकुल बाबू ने पिछले चुनाव में बहुत करवाए थे, उन सबसे हुआ क्या? हम तो अपने कार्यक्रमों को पूरी निष्ठा और मुस्तैदी से चलायेंगे। मात्र चुनाव जीतना नहीं, इस वर्ग की स्थिति सुधारना हमारा लक्ष्य है। घरेलू उद्योग योजना की पहली किश्त पहुँच गयी लोगों के पास? जिनके पास नहीं पहुँची है पहुँचा दो।"

उपन्यास में 'मशाल' अखबार और उसके मालिक संपादक का सत्ता के सामने बेरीढ़ होना आज के 'गोदी मीडिया' की एक पूर्व बानगी भर है। 'बिसू की मौत ने एकाएक 'मशाल' को प्रजातंत्र की जिम्मेदारियों से लैस करके एक महत्वपूर्ण अखबार बना दिया और दत्ता बाबू को एक जिम्मेदार संपादक।" उपन्यास की यह वक्रोक्ति इस विडम्बना की मारक अभिव्यक्ति है। आज 'महाभोज' का पुनः पाठ करते हुए यह तथ्य शिद्दत से उजागर होता है कि उपन्यास में अन्तर्निहित राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि किसी एक क्षेत्र विशेष तक सीमित न होकर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक हर कहीं विस्तृत रूप से है। आज यह अंतर ज़रूर है कि जो लखन और जोरावर, दा साहब और सुकुल बाबू की कठपुतली थे वे अब स्वयं खुदमुख्तार होकर सत्तातंत्र के हिस्सेदार हो गए हैं।

राजनीति अब दबंगों का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि अब दबंग स्वयं राजनीति को नियंत्रित करने लगे हैं। यद्यपि यह भी सच है कि प्रतिरोध की चेतना का भी विस्तार उसी अनुपात में हुआ है जिस अनुपात में सत्ता-तंत्र द्वारा उत्पीड़न और दमन।

'महाभोज' जहाँ भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के उच्च आदर्शों, त्याग और जनसेवा की विदाई की कथा है, वहीं यह स्वातंत्र्योत्तर चुनावी राजनीति की विकृति को उजागर करते हुए राजनीति के बदलते मुहाने की भी पहचान करती है। राजनीति के सर्वग्रासी स्वरूप ने जिस तरह अफसरशाही के साथ ताल-मेल बिठाकर समूची व्यवस्था को जनविरोधी शिकंजे में कैद कर लिया है उसका प्रामाणिक साक्ष्य लेखिका द्वारा पुलिस अधिकारी सिन्हा और सक्सेना के विरोधाभासी चरित्रों के माध्यम से उजागर होता है। डीआईजी सिन्हा जहाँ अपनी रीढ़विहीनता के चलते पदोन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ता है वहीं कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधीक्षक सक्सेना को निलम्बन का तमगा मिलता है।

'महाभोज' के जश्र से विमुख मंत्रिमंडल से बर्खास्त लोचन बाबू, सक्सेना और बिन्दा - 'पूरी तरह उपेक्षित, परित्यक्त और एक तरफ फेंके हुए' ऐसे औपन्यासिक चरित्र हैं जो अपनी अंतरात्मा के कैदी हैं। उपन्यास में बिन्दा की पत्नी रुक्मा के रूप में लेखिका ने एक ऐसे चरित्र की निर्मिति की है जो पारंपरिक स्त्री की भूमिका लांगते हुए संघर्षशील बिसू के प्रति मैत्री और सहकार के भाव से आबद्ध है।

यह अनायास नहीं है कि 'महाभोज' का बिसू दलित प्रतिरोध को स्वर देने के साथ साथ 'पूरे सेटअप को लेकर ही परेशान रहता था'। गाँव में 'क्लास स्ट्रगल और कास्ट स्ट्रगल' विषय पर शोध कर रहे महेश से उसका उलाहना था कि "आप जैसे पढ़े-लिखे लोग खाली तमाशाबीन ही बनकर बैठे रहेंगे तो इन गरीबों की लड़ाई कौन लड़ेगा? जहाँ दिन-दहाड़े इतना जुलुम होता हो वहाँ कोई कैसे अलग-थलग बैठकर खाली कागज पोतता रह सकता है?"

गीता भक्त दा साहब बिसू के मित्र बिन्दा की झूठ-मूठ के मामले में गिरफ्तारी का षड्यंत्र जिस स्थिरप्रज्ञता के साथ रचते हैं, उससे उनका पाखंडी व्यक्तित्व ही उजागर नहीं होता, बल्कि धर्म-ग्रन्थ को ढाल बनाने की कुटिलता भी उजागर होती है। आज जब गीता को राष्ट्रीय ग्रन्थ बनाने और अंतर्राष्ट्रीय राजनय में इस्तेमाल करने की नयी युक्तियाँ सामने हैं तो कई 'दा साहबों' के चेहरे पहचाने जा सकते हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि जब दलित राजनीति का अधिग्रहण एक सुस्वादु 'महाभोज' में तब्दील हो गया है तब मन्त्रु भंडारी का यह उपन्यास वर्तमान राजनीति को समझने की पूर्व-पीठिका होने के साथ-साथ हाशिये के समाज की नियति और प्रतिरोधी चेतना का ज्वलंत दस्तावेज़ भी है।



स्त्री विमर्श

रजनी बाला, प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़



“नारी पर लिखूँ तो क्या लिखूँ, कलम भी मेरी रुक जाती है कहने को सब बदल गया, पर बात आज भी वही बाकी है आज भी नारी पराधीन है और अबला ही कही जाती है चरित्र और काम पर आज भी दुनिया बेधड़क प्रश्न उठाती है।”

उपरोक्त पंक्तियाँ कहीं ना कहीं नारी के बारे सटीक ही बैठती हैं। भले ही आज महिलाओं की स्थिति में सुधार आ रहा है लेकिन आज भी वो कई प्रकार की प्रताड़नाओं के बीच अपने आपको समायोजित करने की कोशिश कर रही है। प्राचीन काल से वर्तमान काल तक किसी भी समाज में स्त्री-पुरुष एक दूसरे के पूरक है। 'स्त्री' ईश्वर की गढ़ी वह खूबसूरत कृति है, जिसके बिना सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ये वो धुरी है जिसके गर्भ में जीवन पनपता है किसी एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व नहीं है। उसके बाद भी समाज में महिलाओं को अपने बराबरी से वंचित किया है। इसी पक्षपातपूर्ण रवैये ने शिक्षित नारियों को आंदोलन करने को मजबूर किया जो आज ज्वलंत मुद्दा नारी विमर्श के रूप में दृष्टिगोचर है।

किसी भी सभ्य समाज अथवा संस्कृति की अवस्था का सही आकलन उस समाज में स्त्रियों की स्थिति को देखकर किया जा सकता है। विशेष रूप से पुरुष सत्तात्मक समाज में स्त्रियों की स्थिति सदैव एक-सी नहीं रही। वैदिक युग में स्त्रियों को उच्चशिक्षा पाने का अधिकार था, वे याक्षिक अनुष्ठानों में पुरुषों की भाँति सम्मिलित होती थीं। परन्तु आदि काल में स्त्रियों की स्थिति वैदिक युग की भाँति नहीं थी। पुत्री के रूप में तथा पत्नी के रूप में स्त्री समाज का अभिन्न भाग रही हैं, परन्तु विधवा स्त्री के प्रति समाज का दृष्टिकोण कालानुसार परिवर्तित होता गया। जिन महिलाओं ने अपनी सामाजिक भूमिका को लेकर सोचना विचारना प्रारंभ किया वहीं से स्त्री आंदोलन, स्त्री विमर्श और स्त्री अस्मिता जैसे संदर्भों पर बहस शुरू हुई। जब भी नारी विमर्श की बात होती है, तो उसके केन्द्र में आज भी मध्यवर्गीय नारी का जिक्र होता है। इसका एक बड़ा कारण साहित्यकारों और विमर्शकारों का खुद मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। भारतीय समाज नारी की स्थिति अंतर्विरोधी से भरी हुई है। परंपरा से नारी को शक्ति का रूप माना गया है, पर आम बोल-चाल में उसे अबला माना गया है। मध्यकालीन कवियों ने भी स्त्री के प्रति अंतर्विरोधी भाव व्यक्त किया है। आरंभ में स्त्रियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली महिलाओं तथा आज की नारीवादियों में मुख्य अंतर दिखाई देता है। पहले स्त्रियाँ लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थीं, जिसमें शिक्षा,

रोजगार, संपत्ति का मालिकाना अधिकार, राजनीति में प्रवेश पाने व तलाक का अधिकार जैसे प्रमुख मुद्दे थे। उनका संघर्ष घर और परिवार के दायरे से बाहर था वहीं आज देखा जाए तो स्त्रियों का यह संघर्ष कानूनी सुधारों से कही आगे का संघर्ष बन गया है। आज के नारीवाद का केन्द्र घर के भीतर स्त्री पर पुरुष के वर्चस्व और अधिकार, परिवार द्वारा शोषण, कार्यस्थल में जेंडर विभेदीकरण, समाज, संस्कृति और धर्म द्वारा शोषण, साथ ही बच्चे पैदा करने, पालने व उत्पादन के दोहरे बोझ के विरुद्ध संघर्ष है।

भारत में स्त्री विमर्श:

भारत में 1818 में राजा राममोहन राय द्वारा सती प्रथा के विरोध के फलस्वरूप 1829 में इसे गैरकानूनी घोषित किया जा सका। इसके साथ ही बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा के खिलाफ और विधवा विवाह के समर्थन में भी पक्षधरता को स्वर मिला। स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी स्त्री शिक्षा पर जोर दिया।

स्त्री-आंदोलन की यात्रा में ज्योतिराव फुले एवं उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उन्होंने स्त्रियों के लिए सुधारात्मक कदम उठाए। सावित्री बाई फुले ने इसके लिए महिला सेवा मंडल की स्थापना की। इनकी मान्यता थी कि स्त्री-पुरुष जन्म से ही स्वतंत्र हैं, इसलिए दोनों को समान अधिकार समान रूप से भोगने का अवसर मिलना चाहिए। इन लोगों ने तत्कालीन समाज में विधवाओं के सिर मुंडन का विरोध एवं उनके पुनर्विवाह का समर्थन किया। स्वावलंबन और स्वतंत्रता के साथ स्त्री शिक्षा एवं समान अवसर व समान वेतन आदि मुद्दों पर पं.रमाबाई संघर्षरत रहीं। उन्होंने 1882 में स्त्री धर्म नीति नामक आलेख स्त्री जागृति के लिए लिखा। 1883 में उन्होंने पितृसत्ता के खिलाफ द. हाई कास्ट हिन्दू वीमेन पुस्तक लिखी। विधवाओं और परित्यक्ताओं के लिए शारदा सदन की स्थापना की। 1882 में तारा बाई सिंदे ने स्त्री-पुरुष तुलना की रचना द्वारा तत्कालीन समाज में स्त्री की वास्तविक स्थिति का चित्रण किया। इन्होंने लिंग के आधार पर स्त्री-पुरुष के अधिकारों में असमानता का कड़ा प्रतिवाद किया और विशेष रूप से विधवा प्रताड़ना की खिलाफत एवं उसके पुनर्विवाह को मजबूती से स्वर दिया।

पंडिता रमा बाई ऐसे समय में स्त्रियों के अधिकारों व उनकी स्वतंत्रता की बात करती हैं, जब स्त्री पितृसत्ता, सामन्तशाही और धर्म के कठोर नियमों और वर्जनाओं के तले सैकड़ों-हजारों सालों से घुटन व चुप्पी भरा जीवन जी रही थी। 1887 में छपी पुस्तक 'द हाईकास्ट हिन्दू वूमन'



में पंडिता रमाबाई स्त्री की दशा सुधारने के लिए चलाए गए अभियान की ओर ध्यान आकर्षित करती हैं।

1825 में 'तारा बाई शिन्दे' 'स्त्री पुरुष तुलना' में स्त्री और पुरुष संबंधों की विवेचना करती हैं और संबंधों में आए टूटन का कारण धर्मशास्त्रों को मानती हैं "उस जमाने के ऋषियों के बारे में भी क्या कहना? कोई गौ के पेट से जन्मा, तो कोई हिरणी के पेट से। पक्षियों के पेट से जन्मा भारद्वाज और गंधी के पेट से जन्मा था वह गर्दभ ऋषि! इन लोगों के कहे लिखे वाक्य जैसे वेद वाक्य हो गए और उसका परिणाम भुगतना पड़ा नारी को। सामाजिक नारीवादी इस विचारधारा के अन्तर्गत समाज में स्त्री के शोषण के कारणों को जानना व उन पर नए सिरे से अध्ययन करना था जैसा की नारीवादियों द्वारा देखा गया की केवल पूँजी ही स्त्री शोषण का कारण नहीं है। स्त्री आर्थिक रूप से सक्षम हो भी जाए तब भी वह शोषित होती है, जिसका कारण पुरुष सत्ता का वर्चस्व व उनके मन में विद्यमान जातीय श्रेष्ठता का बोध है। अतः समाज के इस परम्परावादी ढांचे में बदलाव लाने का प्रयास किया गया, जिसमें सर्वप्रथम परिवार तथा विवाह नामक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े किए।

स्त्री-पुरुष के समान अधिकार की मांग और पुरुषसत्तात्मक समाज द्वारा स्त्रियों पर थोपी गई रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध भी स्त्री-आंदोलन के विषय बने। समय के साथ कई नई समस्याएं जुड़ती गईं। स्त्रियों की राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक हिस्सेदारी की चर्चा भी होने लगी। कई नए कानून बनाकर स्त्रियों के अधिकारों को सुरक्षित करने की घोषणा भी की गई। लेकिन बहुत कुछ कागज़ पर ही दिखाई देता है। अभी भी स्त्रियों का यौन उत्पीड़न थमा नहीं है। पिछले लगभग चार दशकों से स्त्री-विमर्श ने दुनिया भर में अपना खास प्रभाव दिखाया है।

पिछले कुछ दशकों के अभूतपूर्व परिवर्तन से स्त्री विमर्श अछूता नहीं रहा है और नई समस्याएं भी पैदा हुई हैं। एक तरफ, सुदूर गांव में स्त्रियों का एक ऐसा तबक़ा है, जो बदलावों और समस्याओं से अनभिज्ञ है तो दूसरी तरफ, बाजार और मीडिया स्त्रियों की छवि का निर्माता हो गया है। आज भी समाज में एक लकीर खिंची हुई है कि स्त्रियां कोमल हैं, वे सभी कामों को नहीं कर सकती हैं और पुरुष सभी काम कर सकते हैं।

साहित्य में स्त्री विमर्श:-

हिन्दी में स्त्री विमर्श मात्र साहित्यिक दायरे तक सिमटा हुआ है और बिना किसी आंदोलन के है। सामाजिक आंदोलनों से इस नारी विमर्श का कोई संबंध नहीं है। हमारे देश में संस्कृति बदलने की लड़ाई 16 दिसम्बर (निर्भया कांड) के आंदोलन के बाद से शुरू हुई है। इस बदलाव में बहुत गहरी बुनियादी तब्दीलियों की जरूरत है, जिसमें स्त्रियों के बारे में नजरिये का प्रश्न प्रमुख है। इस नजरिये के बारे में स्त्री विमर्श हेतु चेतना का सर्वथा अभाव दिखता है। हिन्दी का स्त्री विमर्श

मुख्यतः अपने पूर्वाग्रहों, विश्वासों और इनकी माँगों का विस्फोट होकर रह गया है। हिन्दी के चलन्त स्त्री विमर्श में मैत्रेयी पुष्पा, लता शर्मा, मनीषा और रोहिणी अग्रवाल आदि सदृश सम्मानित नक्षत्रा मुखर हैं - लेकिन इनमें दयनीयता की झलक ही मिलती है। इसमें स्त्री विमर्श के वैश्विक विचारधारा के विकास और उसकी सैद्धांतिकी से कोई जुड़ाव नहीं दिखता है। प्रतिष्ठित नारी लेखिका एवं आलोचिका, जो बहुचर्चित भी हैं (अपनी मेधा और सृजन से), उनकी संस्कृति को हम स्त्री विमर्श के दायरे में लेने की हिमाकत करते हैं। उदाहरण स्वरूप मैत्रेयी पुष्पा ने अपनी आलोचनात्मक कृति में सर्वख्यात् काव्य कामायनी को हिन्दी की सबसे प्रगतिशील कृति बताया है। यह सर्वजनीन है कि कामायनी बहुत सारे स्तरों पर सामंती संस्कारों से ग्रस्त स्त्री विमर्श के विरोध की संस्कृति को आधार देता है। स्त्री विमर्श के ये तर्क विमर्श तक में भी नहीं आ पाते हैं।

महादेवी वर्मा की कविताओं में वेदना का विभिन्न रूप देखने को मिलता है। उनकी शृंखला की कड़ियाँ स्त्री सशक्तिकरण का सुन्दर उदाहरण है। जिसमें नारी-जागरण एवं मुक्ति के सवाल को उठाया गया है। ऐसा साहित्य जिसमें स्त्री जीवन की अनेक समस्याओं का चित्रण है, स्त्री-विमर्श कहलाता है। महादेवी वर्मा स्त्री से अपेक्षा करती है कि वह स्वयं को घर -परिवार की सीमा में ही न बाँधे, वह दार्शनिक भी हो, गंभीरतापूर्वक सोचे और घर परिवार के बाहर देश-काल पर भी चिंतन करें। प्रेमचंद से लेकर राजेन्द्र यादव तक अनेक पुरुष लेखकों ने नारी समस्या को उजागर किया है। परन्तु उस रूप में नहीं जिस रूप में स्वयं महिला लेखिकाओं ने लेखनी चलायी है। हिन्दी कथा साहित्य में नारी-मुक्ति को लेकर स्त्री विमर्श की गूँज 1960 ई चर्चित हुई। हिन्दी कथा साहित्य में नारी विमर्श ने आठवें दशक तक आते-आते एक आंदोलन का रूप ले लिया। आठवे दशक कि महिला लेखिकाओं में जैसे कि ममता कालिया, कृष्णा अग्निहोत्री, चित्रा मुहल, माणिक मोहनी, मुदुला गर्ग, मुदुला सिन्हा, मैत्रेयी पुष्पा, मृणाल पाण्डेय, नासिरा शर्मा, कुसुम अंचल, इंदू जैन, सुनीता जैन, प्रभा खेतान, सुधा अरोड़ा, मुक्ता रमणिका आदि सभी लेखिकाओं ने नारी मन की गहराइयों तक जाकर उनकी विविध समस्या को साहित्य में स्थान दिया है। स्त्री-विमर्श रूढ़ हो चुकी मान्यताओं के प्रति असंतोष व उससे मुक्ति का स्वर है। पितृसत्तात्मक समाज के दोहरे नैतिक मापदंडो मूल्यों एवं अंतर्विरोधो को समझने और पहचाने की गहरी अंतरदृष्टि है। स्त्री-विमर्श सदियों से चले आ रहे मौन को अभिव्यक्त करता है। परन्तु नैतिक मूल्यों, सामाजिक व्यवस्थाओं को छिन्न-भिन्न करता है। जो स्त्री की चेतना को अनुकूलित करती है। स्त्री विमर्श, साहित्य में 'विमर्श' के रूप में अपनी मुखर अभिव्यक्ति पा चुका था।

हिन्दी साहित्य में भी कुछ नारी लेखकों को नारी-विमर्श का नेतृत्व करने वाला समझना ऐसी ही भूल है। किसी भी लेखक की मुखरता



नहीं परन्तु उसका लेखन उसकी साहित्यिक जिम्मेदारी का सबूत होता है। साहित्य किसी भी सिद्धांत से प्रभावित हो सकता है एवं नया सिद्धांत भी बना सकता है, परन्तु साथ ही उसका एक बड़ा सामाजिक सरोकार होता है और यही से स्त्री-पुरुष के बदले मनुष्यता की जमीन तैयार होती है। नारी-विमर्श की समस्या पहले भूतकाल में भी थी और आज वर्तमान में भी है, परन्तु हिन्दी साहित्य में विविध विद्वानों द्वारा साहित्य रचना के माध्यम से जनजागृति फैल चुकी है। नारी समानता, नारी शिक्षा, नारी रोजगार के क्षेत्र में भी आगे है। भारत सरकार के द्वारा भी नारी के लिए विविध योजनाएँ प्रारंभ की गयी हैं। अब नारी अबला नहीं परन्तु सबला अर्थात् शक्तिशाली हो चुकी है। नारी-विमर्श के संदर्भ से विविध कार्यशाला, राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों के आयोजन द्वारा नारी की विविध समस्याओं पर विचार मंथन करके, उन सभी समस्याओं का हल करने का उत्तम प्रयास किया जा रहा है। आज स्त्री को पुरुष के बराबर लाने के लिए वैधानिक अधिकारों की व्यवस्था तो हुई है परन्तु इसके साथ-साथ उस मानसिकता में क्रांतिकारी बदलाव लाने की आवश्यकता है।

स्त्री विमर्श - चुनौतियाँ :-

स्त्री विमर्श के समक्ष अलग-अलग प्रकार की चुनौतियाँ हैं। चूँकि प्रत्येक समाज की संस्कृतियाँ अलग हैं। इसलिये महिलाओं की पराधीनता और शोषण के कारण तथा संरचनाएँ भी अलग-अलग हैं। नारीवादी आंदोलन के समक्ष सबसे प्रमुख व्यवहारिक चुनौती स्त्रियों के प्रति बनी बनाई रूढ़ अवधारणाएँ और पूर्वाग्रह हैं। सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों के विरुद्ध की मानसिकता का निर्माण हजारों वर्षों का परिणाम है। असंख्य सुधारों के बावजूद भी लैंगिक भेदभाव सार्वजनिक जीवन की एक हकीकत है। नारीवादी आंदोलन की एक प्रमुख चुनौती समाज में विद्यमान असमानता और स्त्रियों के शोषण की समाप्ति के विचार को लेकर नारीवादी आंदोलन से जुड़े विचारकों के मध्य असहमति भी है। नारीवाद का प्रमुख उद्देश्य पितृसत्तात्मक समाज को समाप्त करना है लेकिन नारीवाद के अंतर्गत इसके तरीके पर सहमति नहीं है। जिस वजह से नारीवादी आंदोलन की गति धीमी रही है।

स्त्री विमर्श - संभावनाएँ :-

स्त्री विमर्श से जुड़े हुए विचारकों का मानना है कि आज के वैज्ञानिक चिंतन के युग में शिक्षा के विस्तार के साथ यह स्पष्ट हो चुका है कि स्त्री-पुरुष की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं तथा उत्तरदायित्व से जुड़ी योग्यताओं में कोई अंतर नहीं है। जहाँ भी स्त्रियों को अवसर मिला है वहाँ वे अपने आपको साबित कर चुकी हैं। शारीरिक क्षमता से जुड़े क्षेत्रों में भी स्त्रियाँ पुरुषों से पीछे नहीं रही हैं। सेना तथा खेलकूद के क्षेत्रों में भी स्त्रियों ने नए कीर्तिमान स्थापित किये हैं। इसलिए स्त्री को

सिर्फ अशक्त या अबला के रूप में देखना तर्कसंगत नहीं है। स्त्रियों की हीन स्थिति सामाजिक व्यवस्था की उपज है न कि प्राकृतिक व्यवस्था की देन। आज वोट देने के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, विवाह एवं तलाक के कानून में परिवर्तन, दहेज एवं बाल विवाह पर प्रतिबंध जैसे विभिन्न कानूनों एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता से महिलाओं की दशा में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आज भी शासन व्यवस्थाओं, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा महिला सशक्तिकरण के प्रयास क्रमिक रूप से जारी हैं जिसके सकारात्मक परिणाम हासिल हुए हैं और आगे ढेरों संभावनाएँ भी हैं। आज नारीवादी विचारकों का उद्देश्य स्त्रियों को पुरुष के समान बनाना नहीं बल्कि प्राकृतिक अंतर को स्वीकार करते हुए उनकी सामर्थ्य का संपूर्ण उपभोग करने तथा समाज के द्वारा स्थापित कृत्रिम असमानताओं को दूर करने का प्रयास करना है क्योंकि स्त्री-पुरुष समानता स्थापित करके ही किसी भी समाज का संपूर्ण विकास संभव है। आज स्त्री भी पुरुष की भांति समाज को बदलने व आगे बढ़ाने में समर्थ है। जिस स्त्री विमर्श की बात आज चारों तरफ हो रही है निश्चित रूप से उसकी शुरुआत रानी लक्ष्मीबाई, मीरा बाई, कल्पना चावला सावित्रीबाई फुले आदि ने कर ही दी थी।

निष्कर्ष में हम यही पर पहुँचते हैं कि नारी हर क्षेत्र में आगे तो बढ़ रही है, कई उपलब्धियाँ भी हासिल की है किन्तु आगे आने वाले समय में हमें अपनी मानसिकता में ओर परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को आगे आने में अभी समय और लगेगा। सामाजिक संकीर्णताओं से मुक्त वातावरण का निर्माण होगा जहाँ महिलाएँ उन्मुक्त होकर अपनी राह तलाश कर पाएँगी। इसी उम्मीद के साथ.....

नारी हूँ किसी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं,
सृष्टि बनाने वाली हूँ किसी पर कोई बोझ नहीं
जीवन रूपी गाड़ी का वो पहिया हूँ
जिसके बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। "





शब्द	उच्चारण	उद्भव	अर्थ
Resolute	Rez-uh-loot	लैटिन	विचार
Tricksy	Trik-see	फ्रेंच	शरारती
Cachet	Ka-shey	फ्रेंच	मुहर
Bellwether	Bel-weth-er	पुरानी अंग्रेजी	अनुक्रमणिका
Bissextile	Bahy-seks-til	पुरानी रोमन	अधिवर्ष
Adumbrate	Ad-uhm-breyt	लैटिन	पूर्वाभास
Denouement	Dey-noo-mahN	लैटिन	अंतिम समाधान
Esculent	Es-kyuh-luhnt	लैटिन	भोजन
Galligaskins	Gal-i-gas-kinz	फ्रेंच	घुटने तक की पैट
Sycophant	Sik-uh-fuhnt	ग्रीक	आत्म खोज
Oblique	Oh-bleek	लैटिन	परोक्ष रूप से कहना
Zither	Zith-er	जर्मन	संगीत वाद्ययंत्र
Perambulator	Per-am-byuh-ley-ter	लैटिन	बच्चों की गाड़ी
Carte blanche	Kahrt-blanch	लैटिन	विवेकाधिकार
Sumptuous	Suhmp-choo-uhs	लैटिन	उत्कृष्ट
Propinquity	Proh-ping-kwi-tee	पुरानी फ्रेंच	रिश्तेदारी
Assuage	Uh-sweyj	पुरानी फ्रेंच	हल्का
Discombobulate	Dis-kuhm-bob-yuh-leyt	लैटिन	परेशान करना
Carte blanche	Kahrt-blanch	फ्रेंच	पूर्णाधिकार
Quotidian	Kwoh-tid-ee-uhn	लैटिन	दैनिक
Orotund	Ohr-uh-tuhnd	लैटिन	वाणी की शक्ति
Stipulate	Stip-yuh-leyt	लैटिन	शर्त
Weltschmerz	Velt-shmeRts	जर्मन	निराशावाद
Risible	Riz-uh-buhl	लैटिन	हास्यास्पद
Cavil	Kav-uhl	लैटिन	गलतियां निकालना

संकलनकर्ता
संगीता शेखर
वरिष्ठ प्रबन्धक
क्षेत्रीय कार्यलय
कोयंबतूर





“इमा कैईथेल” माँ बाज़ार

होएखोचोंग पिकी टूबई, प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी



मणिपुर राज्य कई सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों से जुड़ा हुआ है। उनमें से एक है “नुपी कीथेल” या “इमा कैईथेल” जिसका शाब्दिक अर्थ है महिलाओं का बाज़ार या माताओं का बाज़ार। यह मणिपुर की राजधानी इंफाल के बीचों-बीच बसा एक चहल-पहल भरा बाज़ार है। इस बाज़ार को जो चीज़ अलग बनाती है, वह यह है कि इसे पूरी तरह से महिलाओं द्वारा चलाया और प्रबंधित किया जाता है, इसलिए इसे “माँ का बाज़ार” कहा जाता है। यह अनूठा पहलू राज्य के आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने में महिलाओं की अहम भूमिका को दर्शाता है। संभवतः दुनिया का यह एकमात्र ऐसा बाज़ार है जिसे महिलाएं मिलकर चलाती हैं; एक ऐसी जगह जहां समानता का उपदेश दिया जाता है और उसका पालन किया जाता है। क्योंकि विक्रेता ज्यादातर महिलाएं हैं, और वे विभिन्न जातीय समूहों और पृष्ठभूमि से आती हैं। इसलिए यह बाज़ार संस्कृतियों का एक मिश्रण है, और यह एक ऐसी जगह है जहां विभिन्न समुदायों के लोग अपनी विविधता का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं।

इमा कैईथेल की उत्पत्ति सदियों पहले हुई थी, जो मणिपुर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत में गहराई से निहित है। 16वीं शताब्दी में, मणिपुर में महिलाओं को सामान और उपज का व्यापार करने की ज़िम्मेदारी दी गई थी। समय के साथ, यह परंपरा आज के जीवंत बाज़ार में विकसित हुई, जो मणिपुरी महिलाओं के लचीलेपन और उद्यमशीलता की भावना का प्रतीक है।

यह दुनिया का सबसे बड़ा महिला संचालित बाज़ार है, जिसमें तीन बहुमंजिला इमारतों में फैले 5,000 स्टॉल शामिल हैं। बाज़ार सड़क के दोनों ओर दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक तरफ सब्जियाँ, फल, मछली और नाश्ते बेचे जाते हैं और दूसरी तरफ बेहतरीन हथकरघा और घरेलू उपकरण बेचे जाते हैं। बाज़ार की चहल-पहल भरी गलियों में घूमना एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है, जहाँ हवा में देशी मसालों, ताज़ी कटी हुई जड़ी-बूटियों और अस्थायी स्टालों में तैयार किए जा रहे पारंपरिक मणिपुरी व्यंजनों की खुशबू भरी हुई है। हाथ से बुने हुए कपड़ों और जटिल रूप से तैयार किए गए हस्तशिल्प के जीवंत रंग स्टालों को सजाते हैं, जो राज्य की समृद्ध कलात्मक विरासत को दर्शाते हैं। महिलाओं के पारंपरिक परिधान जैसे “फनेक” और “इन्नाफी” से लेकर बेहतरीन हथकरघा शॉल और सहायक उपकरण तक। मणिपुरी संस्कृति में खुद को डुबोने की चाह रखने वालों के लिए बाज़ार में ढेरों विकल्प मौजूद हैं।

इमा कैईथेल का आकर्षण इसके वाणिज्य केंद्र से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह संस्कृतियों और सामाजिक केंद्र के रूप में कार्य करता है, जहाँ विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग विचारों, कहानियों और अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए एकत्रित होते हैं। यह कॉलेज जाने वाले

छात्रों, सरकारी कर्मचारियों, दुकानदारों, मजदूरों आदि के लिए बोरा, सिंगजू, खेलीचाना आदि जैसे स्थानीय नाश्यों का आनंद लेने का केंद्र है।

यह बाज़ार मणिपुर में अनगिनत परिवारों के लिए आर्थिक जीवन रेखा है। यह सदियों से वाणिज्य और संस्कृति में महिला सशक्तिकरण और लचीलेपन का प्रतीक रहा है। कई महिलाओं के लिए, बाज़ार उनकी आजीविका का प्राथमिक स्रोत है, जिससे वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर पाती हैं और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर पाती हैं। इन महिलाओं की उद्यमशीलता की भावना उल्लेखनीय है क्योंकि वे अपने व्यवसाय का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करती हैं और बाज़ार की गतिशीलता की जटिलताओं को पार करती हैं।

इसके अलावा, बाज़ार आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की भावना का प्रतिनिधित्व करता है, जो मणिपुर भर की महिलाओं के लिए आशा की किरण के रूप में कार्य करता है। बाज़ार की महिलाओं ने रूढ़ियों को तोड़ा है और समाज में लैंगिक भूमिकाओं को फिर से परिभाषित किया है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में उनकी दृढ़ता और सफल होने का उनका अटूट संकल्प सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

अंत में, इमा कैईथेल मणिपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, उद्यमशीलता की भावना और सामाजिक गतिशीलता का एक प्रतीक है। यह सिर्फ एक बाज़ार नहीं है; यह सशक्तिकरण, एकजुटता और लचीलेपन का प्रतीक है। जब आगंतुक इसकी चहल-पहल भरी गलियों से गुज़रते हैं और इसके जीवंत समुदाय से जुड़ते हैं, तो वे न केवल वाणिज्य देखते हैं बल्कि मणिपुरी जीवन और संस्कृति का एक हिस्सा भी अनुभव करते हैं। इमा कैईथेल दृश्यों, ध्वनियों और कहानियों का खजाना है, जिसे खोजा जाना बाकी है। इमा कैईथेल मणिपुर की संस्कृति का जीवंत संग्रहालय है और इसकी महिलाओं की अदम्य भावना का प्रमाण है। यह महिला उद्यमिता और सांस्कृतिक संरक्षण का एक अनूठा उदाहरण है। इस प्रकार इमा कैईथेल न केवल मणिपुरी इतिहास का एक हिस्सा है, बल्कि मणिपुरी समाज, लिंग राजनीति और राजनीतिक स्वायत्तता का एक लघु रूप भी है।





महिलाओं के संवैधानिक अधिकार

शिखा मिताली कुजूर, सहायक प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर ✍️



समाज में महिलाओं को सदा अपने अधिकारों के लिए विशेष संघर्ष करना पड़ा है। आजादी के पूर्व, नारियों को बहुत कम अधिकार प्राप्त थे। जहां एक ओर, हमारे देश में नारियों को देवियों के रूप में पूजा जाता रहा है, वहीं दूसरी ओर घर में वो महिलाएँ भी हैं जिन्हें हमेशा दबा के रखा गया है। जहाँ एक ओर हम झाँसी की रानी, रानी पद्मावती जैसी वीरांगनाओं की कहानी बचपन से सुन के प्रसन्न होते रहे हैं वहीं दूसरी ओर जिन महिलाओं ने हमारे घर और समाज को संभाला हुआ है, समाज ने हमेशा उनके अधिकारों का हनन किया है। पूर्व समय से ही महिलाओं के अधिकारों का दमन हुआ है, हमारे समाज में महिलाओं को प्रधानता बहुत ही कम प्राप्त हुई है। फेमिनिज्म या नारीवाद का जो रूप हम आज देखते हैं, ये हमारे देश की अनेक वीरांगनाओं तथा महापुरुषों के अथक प्रयासों का नतीजा है। हमारे देश के महान विभूतियाँ जैसे कि राजा राम मोहन राय, सावित्री बाई फुले, फातिमा शेख और डॉ. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर ने सदा समाज के रूढ़िवादी पितृसत्ता और विचारों को खुली चुनौतियाँ दी हैं और महिलाओं के अधिकारों के लिए यथासम्भव प्रयास किये हैं जिस कारण आज स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ है।

स्वतंत्रता के बाद भारतीय महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ और देश में महिलाओं की गरिमा बनाए रखने के लिए अनेको कानून बनाए गए। भारतीय समाज में महिलाओं की समृद्धि की दिशा में उन्हें समर्थन और सुरक्षा देने के लिए संवैधानिक रूप से कई अधिकार प्रदान किये जा रहे हैं। हमारे संविधान ने समाज में महिलाओं के प्रति समानता, न्याय और स्वतंत्रता के हेतु उनके मूल अधिकारों को संविधान का हिस्सा बनाया है। हालांकि जितने जरूरी नियम हैं उतना ही जरूरी उन नियमों की जानकारी होना है। महिलाएं अपने हक की रक्षा तभी कर सकती हैं जब उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान हो। इस लेख में, हम महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये अधिकार भारतीय महिलाओं की समृद्धि और समाज में समानता की प्राप्ति में सहायक हैं।

1. समाज में स्त्रियों के लिए समानता का सिद्धांत:

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 के अनुसार "भारत के किसी क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा।"
- अनुच्छेद 15 के अनुसार "राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के बीच कोई विभेद नहीं करेगा।" भारतीय संविधान में स्पष्ट है कि पुरुष एवं महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए गये हैं। इतना ही नहीं इसी अनुच्छेद के खंड 3 में स्त्रियों के लिए विशेष व्यवस्था भी की गयी है क्योंकि

महिलाओं की स्वाभाविक प्रकृति के कारण उन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है।

संविधान ने महिलाओं को समाज में समानता का अधिकार प्रदान किया है। इससे महिलाएँ समाज में समान दर्जे और स्थान पर पहुँच सकती हैं। समाज में समानता का यह सिद्धांत समृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, और इसमें महिलाओं को भी समाहित किया गया है।

2. शिक्षा का अधिकार:

अनुच्छेद 46 इस बात का आह्वान करता है कि राज्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं सब प्रकार के शोषण से सुरक्षा करेगा।

संविधान ने महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में भी समान अधिकार प्रदान किया है। शिक्षित महिला समाज में सकारात्मक परिवर्तन का एक अभिन्न हिस्सा बन सकती है।

3. महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार:

अनुच्छेद - 19 में महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ताकि वह स्वतंत्र रूप से भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन, निवास एवं व्यवसाय कर सकती हैं। स्त्री होने के कारण किसी भी कार्य से उनको वंचित करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया है तथा ऐसी स्थिति में वे कानून की सहायता ले सकती हैं।

महिलाएं अपनी जीवनशैली, कैरियर चयन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्वयं चुन सकती हैं। इसके माध्यम से, वे समाज में सकारात्मक रूप से योगदान देती हैं और अपने सपनों की पूर्ति के लिए बिना रोकटोक मेहनत कर सकती हैं।

4. राजनीतिक प्रतिस्थान:

अनुच्छेद 243 (द) (3) में प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गये स्थानों की कुल संख्या के 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और चक्रानुक्रम से पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आबंटित किये जाएंगे।

अनुच्छेद 325 के अनुसार निर्वाचक नामावली में महिला एवं पुरुष दोनों को ही समान रूप से सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 325 द्वारा संविधान निर्माताओं ने यह दर्शाने की कोशिश की है कि भारत में पुरुष और स्त्री को समान मतदान अधिकार दिये गये हैं।

संविधान ने महिलाओं को राजनीतिक प्रतिस्थान प्राप्त करने का



अधिकार दिया है। वे नागरिक अधिकार का हिस्सा हैं और उन्हें समाज में सकारात्मक रूप से योगदान देने का अधिकार है। इससे महिलाएँ समाज में न्याय, समानता, और उनके अधिकारों की सुरक्षा में सहायक हो सकती हैं।

5. आर्थिक स्वतंत्रता:

आर्थिक न्याय प्रदान करने हेतु अनुच्छेद 39 (क) में महिला को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार एवं अनुच्छेद 39 (द) में समान कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध है।

संविधान ने महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। उन्हें नौकरी, व्यापार, और उद्यमिता इत्यादि क्षेत्र में सकारात्मक रूप से भागीदारी दी जानी है ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपने आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें।

6. विवाह और परिवार का अधिकार:

संविधान ने महिलाओं को विवाह और परिवार के क्षेत्र में भी समान अधिकार प्रदान किए हैं। उन्हें अपने जीवन-साथी के चयन का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार, संविधान किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का जीवन जीने या विचारधारा को अपनाने की क्षमता/स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अतः एक व्यक्ति द्वारा अपनी पसंद के किसी व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद-21 का अभिन्न अंग है।

7. संपत्ति का अधिकार अधिनियम, 2005

हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 में संपत्ति की दो श्रेणियाँ हैं: पैतृक और स्वअर्जित। पैतृक संपत्ति में पुरुषों की वैसी अर्जित संपत्तियाँ आती हैं जिनका चार पीढ़ी पहले तक कभी बंटवारा नहीं हुआ हो। साल 2005 से पहले तक इन पर केवल बेटों का अधिकार होता था, लेकिन उसके बाद से बेटियों को भी इस पर बराबरी का अधिकार दे दिया गया है।

8. स्वास्थ्य और सुरक्षा:

संविधान ने महिलाओं को स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में भी सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान किया है। वे अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए स्वतंत्र हैं और उन्हें समाज में सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है।

- मैटरनिटी लीव (गर्भवती कामकाजी महिलाओं को छुट्टी): अनुच्छेद 42 के अनुसार महिला को विशेष प्रसूति अवकाश प्रदान करने की बात कही गई है। आज कामकाजी महिलाएं 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव ले सकती हैं, जिसकी शुरुआत बाबा साहब डॉ. आंबेडकर ने ही की थी। 1942 में सबसे पहले मैटरनिटी बनेफिट बिल डॉ. आंबेडकर द्वारा लाया गया था। इसके बाद 1948 के एम्प्लोयी स्टेट इन्श्योरेंस एक्ट के जरिए भी महिलाओं को मातृत्व अवकाश की व्यवस्था की गई।
- संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 (क) (डं.) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारा दायित्व है कि हम हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो कि

स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हों।

- अनुच्छेद 23-24 द्वारा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले शोषण को नारी गरिमा के लिए उचित नहीं मानते हुए महिलाओं की खरीद-बिक्री, वेश्यावृत्ति के लिए जबरदस्ती करना, भीख मंगवाना आदि को दंडनीय माना गया है। इसके लिए सन् 1956 में 'सप्रेषन औफ़ इमोरस ट्राफिक इन विमेन एंड गर्ल्स एक्ट' भी भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया ताकि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सभी प्रकार के शोषण को समाप्त किया जा सके।

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों एवं अत्याचारों के निवारण के लिए विभिन्न अधिनियम पारित किये गये हैं, ताकि महिलाओं को उनके अधिकार मिल सकें एवं सामाजिक भेदभाव से उनकी सुरक्षा हो सके:

- भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रावधान:- भा.द.सं. में भी महिलाओं पर होने वाले अत्याचार एवं निर्दयता के विरुद्ध व्यवस्था की गई है।
- धारा 292 से 294 तहत विशिष्टता और सदाचार को प्रभावित करने वाले मामलों पर रोक लगाई गयी है। इसके अनुसार अगर कोई स्त्रियों की अश्लील तस्वीरें प्रदर्शित करता है अथवा क्रय-विक्रय करता है अथवा असभ्य प्रदर्शन करता है तो ऐसे व्यक्ति को दो वर्ष तक की सजा एवं 2 हजार रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों ही सज़ाओं का प्रावधान है।
- धारा 312 से 318 में गर्भपात करना, अजन्में शिशुओं को नुकसान पहुंचाने, शिशुओं को अरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में दंड का प्रावधान किया गया है।
- धारा 354 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री की शील भंग करता है अथवा करने के उद्देश्य से आपराधिक बल प्रयोग करता है तो उसे 2 वर्ष की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है।
- धारा 361 के अनुसार यदि किसी महिला की आयु 18 वर्ष से कम है और उसे कोई व्यक्ति उसके विधिपूर्व संरक्षक की संरक्षकता से बिना सम्मति के या बहला अथवा फुसलाकर ले जाता है तो वह व्यक्ति अपहरण का दोषी होगा तथा धारा 363 से 366 में दंड का प्रावधान किया गया है।
- धारा 372 के तहत किसी 18 वर्ष से कम आयु की महिला को किसी वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए बेचे जाने पर दोषी व्यक्ति को 10 वर्ष तक की सजा व जुर्माना अथवा दोनों की सजा दी जा सकेगी।
- धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है एवं धारा 376 में बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान है।
- धारा 498 (अ) में प्रावधानित किया गया है कि अगर कोई पति अथवा उसका कोई रिश्तेदार विवाहित पत्नी के साथ निर्दयतापूर्वक दुर्व्यवहार करता है अथवा दहेज को लेकर यातना देता है, तो न्यायालय उसे 2 साल तक कैद की सजा दे सकता है।
- धारा 509 के तहत अगर कोई व्यक्ति स्त्री की लज्जा का अनादर



करने के आशय से कोई शब्द कहता है कोई ध्वनि या कोई अंग विक्षेप करता है या कोई वस्तु प्रदर्शित करता है अथवा कोई ऐसा कार्य करता है जिससे किसी स्त्री की एकान्तता अतिक्रमण होता है तो ऐसा व्यक्ति एक वर्ष तक की सजा एवं जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जायेगा।

महिलाओं के लिए पारित किये गये अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम:

हमारे देश में महिलाओं को सुरक्षा एवं अधिकार देने हेतु बहुत से और भी अधिनियम पारित किये गये हैं, जो निम्न हैं:-

- (1) राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948
- (2) दि प्लांटेशनस लेबर अधिनियम 1951
- (3) परिवार न्यायालय अधिनियम, 1954
- (4) विशेष विवाह अधिनियम, 1954
- (5) हिन्दू विवाह अधिनियम 1955
- (6) हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 (संशोधन 2005)
- (7) अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956
- (8) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 (संशोधित 1995)
- (9) दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961
- (10) गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971
- (11) ठेका श्रमिक (रेग्युलेशन एण्ड एबोलिशन) अधिनियम 1976
- (12) दि इक्वल रिन्यूरेशन अधिनियम 1976
- (13) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006
- (14) आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम 1983
- (15) कारखाना (संशोधन) अधिनियम 1986
- (16) इन्डिकेंट रिप्रेसेन्टेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986
- (17) कमीशन ऑफ सती (प्रिवेन्शन) एक्ट, 1987
- (18) घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005

निष्कर्ष

महिलाओं का संविधान में महत्व हम बाबासाहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर के इन शब्दों से निकाल सकते हैं। बाबा साहेब कहते थे कि 'मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से देखता हूँ कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है।'

आज की महिला सशक्त महिला है, क्योंकि उसके पास शिकायत को हल करने के लिए दुनिया भर का धैर्य और शक्ति है। वह प्यार करने वाली है और देखभाल करना अच्छी तरह जानती है। निम्न कुछ पंक्तियाँ आज की महिलाओं को समर्पित हैं:

वह है देवी लक्ष्मी की तरह क्रोधी और स्नेही भी,

लक्ष्मीबाई की तरह मजबूत और भावुक भी !!

वह अपने शत्रुओं से लोहा लेने के लिए दुर्गा और चंडी का रूप

भी धारण करती है।

वह है एक माँ है, और एक बेटी भी, वह एक बहन है, और है वह पत्नी भी !!

कठिन परिस्थितियों में बन जाए वो एक पिता, एक पुत्र और एक भाई भी।

वह जानती है कि कामकाजी जीवन में संतुलन कैसे बनाया जाए !!

गृहिणी के रूप में प्रबंधन सिखलाती, हो जब तंगी, तब वह लाती बचत से धन भी,

वह भगवान के सबसे बड़े उपहार को जीवन में लाने के लिए सहती सभी दर्द भी।

आज की नारी लावण्य, प्रेम और भक्ति की प्रतिमूर्ति है, वो जीवन में भरती इंद्रधनुष के रंग भी!!

सच है महिला वो है जो बहुत सारी भावनाओं को अपने संग संजोकर चलती हैं। उनकी दिव्यता का जश्र मनाने का कोई एक दिन नहीं है क्योंकि वह प्रत्येक परिवार और समाज की सच्ची समृद्धि का प्रतीक है। एक प्रसिद्ध पुरानी कहावत है- "हर सफल आदमी के पीछे एक महिला होती है"।

महिलाओं के साथ लैंगिक आधार पर किए जा रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिए उनके अधिकारों को न केवल सुनिश्चित करना जरूरी है बल्कि उन अधिकारों का क्रियान्वयन भी आवश्यक है। महिलाओं को संवैधानिक रूप से विभिन्न क्षेत्रों में अधिकार प्रदान किए गए हैं जो उन्हें समाज में समृद्धि, स्वतंत्रता, और समानता की दिशा में बढ़ने में मदद करते हैं। इन अधिकारों का सही रूप से पालन करना और समाज में सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया को समर्थन करना हम सभी की जिम्मेदारी है। महिलाओं को उनके अधिकारों का सही तरीके से उपयोग के लिए जागरूक करना न केवल उनके व्यक्तिगत समृद्धि के लिए है, बल्कि यह समाज को भी एक समृद्धि और समान दृष्टिकोण प्रदान करता है।

संदर्भ सूची:-

1. द शूद्र नामक पत्रिका।
2. ए एंड बी पब्लिकेशन के लेख।
3. देसाई नीरा और गैत्रयी कृष्णराज वीमेन एण्ड सोसायटी इन इंडिया अजंत पब्लिकेशंस दिल्ली 1987, पृ. 46।
4. संयुक्त राष्ट्र संघ रिपोर्ट वनडे वीमेन: ट्रेण्ड्स एण्ड स्टेटिक्स (डीरीलली) (1994)
5. यादव राजाराम, भारतीय दंड संहिता, 1860 पंचम संस्करण 2005, सेन्ट्रल लॉ. पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद
6. महिलाओं से संबंधित विभिन्न समाचार पत्रों एवं इन्टरनेट के आलेख।



नारी शक्ति है, सम्मान है

संगीता नायक, प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय ब्रह्मपुर



परिस्थितियों को बदलने की, ताकत रखती नारी मार्ग और समय को भी बदल कर, निखरती नारी

महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मौजूदा मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से हर साल आठ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिवस महिलाओं के सम्मान, समानता और प्रगति को समर्पित है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में देश-विदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर महिलाओं को सामाजिक, लैंगिक और आर्थिक समानता के प्रति जागरूक किया जाता है।

कब से हुई शुरुआत -

यह कहना मुश्किल है कि महिला दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई फिर भी जो जानकारी उपलब्ध है उससे पता चलता है कि, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन एक श्रम आंदोलन था, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने सालाना आयोजन के तौर पर स्वीकृति दी। इस आयोजन की शुरुआत का बीज 1908 में तब पड़ा, जब न्यूयॉर्क शहर में 15 हज़ार महिलाओं ने काम के घंटे कम करने, बेहतर वेतन और वोट देने की माँग के साथ विरोध प्रदर्शन निकाला था। इसके एक साल बाद अमेरिकी सोशलिस्ट पार्टी ने पहली बार राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत की, लेकिन इस दिन को अंतरराष्ट्रीय बनाने का विचार क्लारा जेटकिन नाम की महिला के दिमाग में आया था। उन्होंने अपने इस योजना के बारे में 1910 में कॉपेनहेगन में आयोजित इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑफ़ वर्किंग वीमेन में बताया था। इस कांफ्रेंस में 17 देशों की 100 महिला प्रतिनिधि हिस्सा ले रही थीं, इन सबने क्लारा के सुझाव का स्वागत किया था। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को औपचारिक मान्यता सन 1975 में मिली। जब संयुक्त राष्ट्र ने महिला दिवस का जश्न मनाना शुरू कर दिया तब इस दिन को औपचारिक रूप से मान्यता मिली। संयुक्त राष्ट्र ने इसके लिए पहली थीम 1996 में चुनी थी, जिसका नाम 'गुज़रे हुए वक्र का जश्न और भविष्य की योजना बनाना' था।

महिला दिवस हो, और रंगों की बात न हो, तो विषय अधूरा सा लगता है। जामुनी, हरे और सफ़ेद रंग को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का रंग माना जाता है। जामुनी रंग इंसाफ़ और सम्मान का प्रतीक है। हरा रंग उम्मीद का तो सफ़ेद रंग शुद्धता को दर्शाता है। ब्रिटेन में महिलाओं

के सामाजिक और राजनीतिक संघ ने महिला दिवस से जुड़े इन रंगों की शुरुआत 1908 में की थी।

उद्देश्य और महत्ता -

किसी राष्ट्र के विकसित होने की एक आवश्यक शर्त है, लिंग, वर्ग, धर्म या सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर भेदभाव के बिना महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक अधिकार देना। आज की महिलाएं सिर्फ घर नहीं चलाती बल्कि देश और दुनिया की तरक्की में भी अपना लोहा मनवा रही हैं। महिलाओं ने अपनी प्रतिभा, कौशल और जज्बे के दम पर अपना लोहा मनवाया है। महिलाओं के हौसले को बढ़ाने के लिए, देश और दुनिया की तरक्की में योगदान करने के लिए और उनकी सराहना करने के लिए ही महिला दिवस मनाया जाता है और यह तय किया जाता है कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, जहां किसी भी प्रकार का भेदभाव न होता हो। इस दिन हम यह सीख पाते हैं कि महिलाओं का कैसे और क्यों सम्मान किया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के अधिकारों का सम्मान और उनकी उनकी उपलब्धियों को देखने के लिए मनाया जाता है। इस दिन अपने अस्तित्व के निर्माण करने वाली हर उस नारी का सम्मान किया जाता है जिसने समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं।

देश की उन्नति में महिलाओं का विशेष योगदान है। आज समाज के हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। हर कदम पर पुरुषों का साथ देते हुए देश के चहुंमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। महिलाएं विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में शामिल हैं और प्रौद्योगिकी, कानून, प्रशासन, शिक्षण इत्यादि जैसे विभिन्न विषयों में पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं। पारंपरिक व्यवसायों के अलावा, हमारे पास पीटी उषा, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, मिताली राज, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, दीपा करमाकर और अन्य महिलाएं हैं जो खेलों में आगे बढ़ती हैं, जिन्होंने भारत में कई महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व किया है और उन्हें प्रेरित किया है। हालांकि, आज हम समाज के विकास की खूब बातें करते हैं, जबकि देश की आधी आबादी यानि महिलाओं को उनका सही दर्जा नहीं मिल पा रहा है। जबकि समाज के विकास में महिला साक्षरता का बड़ा योगदान है। एक साक्षर महिला सभ्य समाज का निर्माण कर सकती है। महिलाओं की साक्षरता से समाज में बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला है लेकिन इस क्षेत्र में और तेजी की जरूरत है। महिलाओं के विकास के बिना



समाज का विकास संभव नहीं है। महिलाओं के शिक्षित होने से बच्चों के स्वास्थ्य और विकास में भी तेजी आई है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का विषय:

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के लिए अभियान का विषय 'इंस्पायर इंकलूजन' निश्चित किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य दूसरों को महिलाओं के समावेशन को समझने और महत्व देने के लिए प्रेरित करना है। यह विषय हमारे समुदायों को महिलाओं के समावेशन को महत्व देना सिखाने पर केंद्रित है क्योंकि हम सभी के लिए एक बेहतर और अधिक समावेशी दुनिया बनाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की इस थीम में यह भी पता लगाया जाएगा कि डिजिटल स्थानों में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए और ऑनलाइन लिंग-आधारित हिंसा का मुकाबला कैसे किया जाए। प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र के कई विशेषज्ञ, साथ ही लैंगिक समानता कार्यकर्ता, डिजिटल उपकरणों तक पहुंच में सुधार करने और डिजिटल कौशल विभाजन को पाटने के बारे में चर्चा करने के लिए एक साथ आएंगे। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि सभी लोगों को डिजिटल तकनीक और इससे मिलने वाले अवसरों तक समान पहुंच प्राप्त हो।

इनसे जुड़े तथ्यों के बारे में जानें -

1. पहली बार महिला दिवस 28 फरवरी 1909 को संयुक्त राज्य अमेरिका में उन 15,000 महिलाओं की याद में मनाया गया था, जिन्होंने कठोर कामकाजी परिस्थितियों, अधिक काम के घंटों और कम वेतन के खिलाफ न्यूयॉर्क में विरोध प्रदर्शन किया था।
2. महिला अधिकारों की समर्थक और एक्टिविस्ट क्लारा जेटकिन सबसे पहले महिला दिवस को दुनिया भर में छुट्टी के रूप में मनाने का विचार लेकर आई थीं।
3. रूस सहित कई देशों में महिला दिवस को नेशनल हॉलीडे के रूप में मनाया जाता है। राज्य परिषद की सिफारिश के अनुसार, चीन में बहुत सी महिलाओं को 8 मार्च को आठ दिन की छुट्टी मिलती है।
5. भारतीय संविधान में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं को भी बराबर मौलिक अधिकार हैं। इसमें शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य सेवा का अधिकार, काम करने का अधिकार, राजनीति में भाग लेने का अधिकार और सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल हैं। आइए इस महिला दिवस पर हम भारत में महिलाओं के बुनियादी अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाएं।

6. सर्बिया, अल्बानिया, उज्बेकिस्तान और मैसेडोनिया जैसे कुछ देशों में, मां के रूप में महिलाओं के महत्व को दर्शाने के लिए महिला दिवस को मातृ दिवस के साथ जोड़ा गया है।
7. संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्च को महिला इतिहास माह के रूप में भी मनाया जाता है।
8. इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (ITU) की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 तक केवल 65% महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती हैं, जबकि 70% पुरुष इंटरनेट का उपयोग करते हैं।
9. साल 2022 के जेंडर स्त्रैपशॉट रिपोर्ट के अनुसार, 51 देशों के एक रिसर्च से पता चलता है कि 38% महिलाओं ने व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन हिंसा का अनुभव किया था।
10. विश्व आर्थिक मंच (WEF) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक 75% नौकरियां एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) क्षेत्रों से संबंधित होंगी, फिर भी आज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में केवल 22% पदों पर महिलाएं काबिज हैं।

निष्कर्ष -

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यह बताता है कि मानव को बिना किसी भेदभाव के महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं से ही सृष्टि का श्रृंगार होता है। इस दिन सभी समझ सकते हैं कि समाज को सभ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हमारी नारी सशक्त हो। समाज को समृद्धि की ओर ले जाने में महिलाओं का मुख्य योगदान होता है और इसे किसी को भी नहीं भूलना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है। यह समाज में उत्पन्न हर भेदभाव का नाश करता है। समाज में सकारात्मकता का संचार करने के लिए, नारियों को समान अधिकार देने की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के संघर्षों को सम्मानित करने के साथ ही, हमें प्रगतिपथ पर अग्रसित होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर समाज की चेतना को जागृत किया जाता है ताकि समाज के उत्थान में महिलाएं भी पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर चल सकें। इस दिन नारी के संघर्षों को सम्मानित किया जाता है जिसका लक्ष्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। यह दिन नारी शक्ति को नमन करके समाज को जोड़ने का कार्य करता है। इस दिन हम सभी महिला सशक्तिकरण और नारी के अधिकारों के संरक्षण के लिए संकल्प लेते हैं।

**क्यों कहती है दुनिया कि नारी कमजोर है,
आज भी नारी के हाथों में घर चलाने की डोर है।**



सर्वाइकल कैंसर और टीकाकरण जागरूकता

सुजाता कुमारी, प्रबन्धक, बेंगलुरु क्षेत्र



विश्व भर में, सर्वाइकल कैंसर महिलाओं को प्रभावित करने वाला चौथा सबसे आम कैंसर है। भारत में महिलाओं को प्रभावित करने वाले पांच सबसे मुख्य कैंसर हैं, स्तन, गर्भाशय ग्रीवा, मुख, फेफड़े और गुदा द्वार का कैंसर। किसी भी अन्य देश की तुलना में सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं की मौत भारत में सबसे ज्यादा होती है।

प्राथमिक कारण :

सर्वाइकल कैंसर का प्राथमिक कारण ह्यूमन पेपिलोमावायरस (एचपीवी) है। ह्यूमन पेपिलोमावायरस (एचपीवी) एक सामान्य यौन संचारित संक्रमण है जो त्वचा, जननांग क्षेत्र और गले को प्रभावित करता है। आमतौर पर यौन रूप से सक्रिय लगभग सभी लोग अपने जीवन में किसी न किसी समय किसी लक्षण के इस वायरस से संक्रमित होते हैं। उच्च जोखिम वाले एचपीवी के निरंतर संक्रमण से संक्रमित व्यक्ति में असामान्य कोशिकाएं विकसित हो सकती हैं, जो आगे चलकर कैंसर बन जाती हैं।

गर्भाशय ग्रीवा के एचपीवी संक्रमण का (गर्भाशय या गर्भ का निचला हिस्सा, जो जन्म नलिका में खुलता है) अगर उपचार न किया जाए, तो 95% मामलों में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का कारण बनता है। आमतौर पर, असामान्य कोशिकाओं को कैंसर बनने में 15-20 साल लगते हैं, लेकिन कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाली महिलाओं, जैसे कि अनुपचारित एचआईवी, में यह प्रक्रिया तेज हो सकती है और इसमें महज 5-10 साल लग सकते हैं।

जोखिम कारक

कैंसर की प्रगति में निम्न जोखिम कारक शामिल हैं:

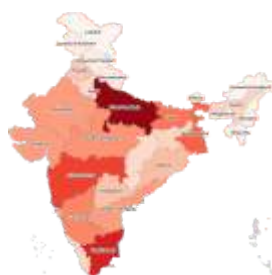
- एचपीवी की ऑन्कोजेनेसिसिटी ग्रेड (एचपीवी जीन के कैंसर में परिवर्तन की श्रेणी)
- प्रतिरक्षा स्थिति,
- अन्य यौन संचारित संक्रमणों की उपस्थिति,
- बच्चों की संख्या,
- कम उम्र में गर्भधारण,
- हार्मोन आधारित गर्भनिरोधकों का उपयोग और धूम्रपान।

राज्य / केंद्र शासित प्रदेशवार 2023 में सर्वाइकल कैंसर का अनुमानित प्रसार

आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले देखे गए हैं (जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है)।

रोकथाम

- सार्वजनिक जागरूकता, सूचना को बढ़ावा देना, जीवन भर सूचना और सेवाओं तक पहुंच रोकथाम और नियंत्रण की कुंजी है।
- एचपीवी संक्रमण, सर्वाइकल कैंसर और अन्य एचपीवी से संबंधित कैंसर को रोकने के लिए 9 - 14 वर्ष की उम्र में टीकाकरण एक अत्यधिक प्रभावी तरीका है।



सर्वाइकल कैंसर का इलाज किया जा सकता है।

एचपीवी टीकाकरण और अन्य रोकथाम कदम

2023 तक, वैश्विक स्तर पर 6 एचपीवी के टीके उपलब्ध हैं। ये सभी उच्च जोखिम वाले एचपीवी टाइप-16 और 18 से बचाते हैं, जो अधिकांश सर्वाइकल कैंसर का कारण बनते हैं और एचपीवी संक्रमण और सर्वाइकल कैंसर को रोकने में इन्हें सुरक्षित और प्रभावी पाया गया है। यौन रूप से सक्रिय होने वाले सभी लड़कियों को प्राथमिकता के तौर पर, 9-14 वर्ष की आयु के पहले एचपीवी टीके दिए जाने चाहिए।

सीडीसी की अनुशंसा के अनुसार 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को 6 से 12 महीने के अंतराल पर एचपीवी वैक्सीन की दो खुराकें दी जानी चाहिए।

- सामान्य रूप से पहली खुराक 9-14 वर्ष की आयु के लिए अनुशंसित की गई है।
- यदि पहली खुराक 15 वर्ष की आयु से पहले दी गई हो, तो केवल दो खुराकों की आवश्यकता होती है।
- जो किशोरियाँ और युवतियाँ 15 -26 वर्ष की आयु में टीकाकरण करवाती हैं उन्हें एचपीवी वैक्सीन की तीन खुराकों की आवश्यकता होगी।

भारत में वर्तमान में निम्नलिखित टीके उपलब्ध हैं:

- गार्डसिल - क्वाड्रिवैलेंट वैक्सीन, जून 2006 से एफडीए द्वारा और 2008 से भारत में उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त है। यह ह्यूमन पेपिलोमावायरस (एचपीवी) के चार प्रकारों - एचपीवी -6, 11, 16 और 18 की रोकथाम में मदद करती है। (एचपीवी-16 और एचपीवी-18 भारत में लगभग 80-85% सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं)
- गार्डसिल - 9 - नॉनवेलेट वैक्सीन, 2018 से भारत में उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त है जो एचपीवी के नौ प्रकारों के संक्रमण को रोकती है। 6, 11, 16 और 18 के अलावा इसमें पांच अन्य उच्च जोखिम वाले एचपीवी प्रकार 31, 33, 45, 52 और 58 शामिल हैं, जो लगभग 10% अतिरिक्त गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं।
- सर्ववैक - क्वाड्रिवैलेंट वैक्सीन, यह ह्यूमन पेपिलोमावायरस (एचपीवी) के चार प्रकारों - एचपीवी -6, 11, 16 और 18 की रोकथाम करती है। यह जनवरी 2023 से बाजार में उपलब्ध यह भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है।



एचपीवी संक्रमण को रोकने के अन्य महत्वपूर्ण तरीकों में शामिल हैं :

- धूम्रपान न करना या धूम्रपान बंद करना ।
- स्वेच्छिक पुरुष खतना ।

शीघ्र जांच एवं निदान :

यदि रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही जाँच और उपचार किया जाए तो सर्वाइकल कैंसर को ठीक किया जा सकता है। लक्षणों को पहचानना और किसी भी संदेह की स्थिति में चिकित्सकीय सलाह लेना एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि महिलाएं निम्नलिखित से किसी भी लक्षण को देखती हैं तो उन्हें चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए :

- मासिक धर्म के बीच, रजोनिवृत्ति के बाद असामान्य रक्तस्राव
- पीठ, पैर या कमर के निचले हिस्से में लगातार दर्द जैसे लक्षण
- वजन घटना, थकान और भूख न लगना
- पैरों में सूजन

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रणनीति

डब्ल्यूएचओ की वैश्विक उन्मूलन रणनीति के अनुसार प्रति 1,00,000 महिलाओं पर सालाना नए मामलों की संख्या को 4 या उससे कम करना । आने वाले दशकों में सभी देशों को उन्मूलन के मार्ग पर लाने के लिए वर्ष 2030 तक तीन लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ।

- 90% लड़कियों को 15 साल की उम्र तक एचपीवी वैक्सीन लगाया जाना ।
- 35 और 45 वर्ष की उम्र में 70% महिलाओं की उच्च गुणवत्ता वाली जांच ।
- सर्वाइकल रोग से पीड़ित 90% महिलाओं का उपचार ।

अनुमान है कि इस उन्मूलन लक्ष्य से सर्वाइकल कैंसर के कुल 74 मिलियन नए मामलों को रोका जा सकता है और 2120 तक 62 मिलियन मौतों को टाला जा सकता है।

निष्कर्ष :

एचपीवी से संबंधित कैंसर को रोकने के लिए एचपीवी टीकाकरण सबसे अच्छा बचाव है । भारत का अपने बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम और हाल ही में कोविड -19 टीकाकरण में एक प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड है । एचपीवी वैक्सीन को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने से निःसंदेह सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा मिलेगा ।

जागरूकता पैदा करके, गलतफहमियों और मिथकों को दूर करके सर्वाइकल कैंसर के खतरे को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। एचपीवी और सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए सरकार, गैर सरकारी संगठनों और अन्य संबंधित संगठनों को एक साथ आने की जरूरत है । स्क्रीनिंग, निदान और उपचार में सुधार की तत्काल आवश्यकता है, लेकिन ह्यूमन पेपिलोमावायरस के खिलाफ व्यापक टीकाकरण से बीमारी को खत्म करने की दिशा में सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा ।

जीत तेरी जरूर होगी

प्रतिबद्ध हो, कटिबद्ध हो तुम
ऊर्जावान हो, धैर्यवान हो तुम,
आस्थावान हो, प्रतिभावान हो तुम
संघर्ष का मैदान छोड़, तू भागती नहीं
बिना कुछ किए, तू हारती नहीं
कर्मपथ पर रुकती नहीं तुम
जज़्बातों में बहती नहीं तुम
समझदार हो, वफादार हो तुम
न झुकने, न रुकने, न गिरने वाली
किरदार हो तुम
संघर्षशील हो, प्रगतिशील हो तुम
गतिमान हो, उदयीमान हो तुम
अबला नहीं, खास हो तुम
हम सबकी शान ही नहीं, पहचान हो तुम
सौ बार फिसल कर, फिर चढ़ती हो तुम
अपनी लगन से दिल जीत लेती हो तुम
तेरे मन का विश्वास मेरे मन में साहस भरता
चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना
है मुझे न अखड़ता
आशा न छोड़, हौसला न छोड़
उम्मीद न छोड़, इच्छा न छोड़
बना रह अडिग पथ पर
विश्वास रख उस मालिक पर
जीत तेरी जरूर होगी
आज नहीं तो कल होगी ॥

प्रतिभा बहिदार
प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय
ब्रह्मपुर





बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ

श्रीनिया बसाक, वरिष्ठ प्रबंधक, गोवा क्षेत्र ✍️



प्रस्तावना:

आज हमारे देश की बेटियाँ हर मुकाम पर सफलता प्राप्त कर रही हैं। चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, प्रसाशनिक क्षेत्र हो, राजनीति हो, खेल हो, चिकित्सा हो या अंतरिक्ष ही क्यों ना हो? देश की उन्नति और विकास में बेटियाँ अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। परंतु आज भी बेटियों को बेटों के समान दर्जा नहीं दिया जाता। इसे एक सामाजिक कुरीति ही कहा जाएगा कि बेटा और बेटा में भेदभाव किया जाता है। यह अंतर इस हद तक व्याप्त है कि परिवार में लड़के के जन्म पर खुशियाँ छा जाती हैं जबकि कन्या के जन्म पर परिवार में शोक एवं चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा ने लोगों की सोच को इस तरह जकड़ा हुआ है कि वे कन्या भ्रूण हत्या करने से भी नहीं कतराते धार्मिक विश्वास के अनुसार पुत्र ही वंश चलाता है तथा पिता की मृत्यु के बाद पुत्र ही उत्तराधिकारी कहलाता है। यह मान्यता भी है कि पुत्र प्राप्ति के बिना आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं होता। यह सब विकृत मानसिकता का सूचक है। इसका परिणाम हम महिलाओं के घटते लिंगानुपात में देख सकते हैं।

महिलाओं का लिंगानुपात पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। इसका परिणाम यह है कि आज बेटियों के संरक्षण की आवश्यकता पड़ रही है। बेटियों के साथ होने वाले हर अपराध का केवल एक ही कारण है लोगों की गलत मानसिकता। इसी गलत मानसिकता को बदलने के लिए बेटियों का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। यदि बेटियाँ शिक्षित होगी तो वे आत्मनिर्भर होगी। वे अपनी सुरक्षा स्वयं करने में सक्षम होंगी।

उक्त विकृतियों को ध्यान में रखते हुए तथा देश में लैंगिक भेदभाव और महिला सशक्तिकरण के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 22 जनवरी, 2015 को पानीपत हरियाणा में **बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ** योजना शुरू की गयी थी।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और मानव संसाधन विकास मंत्रालयों का एक संयुक्त त्रि-मंत्रालयी प्रयास है।

बेटा-बेटी दोनों का ही महत्व, कर्तव्य, आवश्यकता व अधिकार समान है। दोनों ही समाज के आवश्यक अंग हैं। फिर भी आज कन्या भ्रूण हत्या विकराल रूप धारण किये हुए है। भारत पुरुष प्रधान समाज रहा है, पुत्र वंश चलाता है, स्वर्ग दिखाता है, बुढ़ापे का सहारा आदि मान्यताओं से शिक्षित वर्ग भी अछूता नहीं है।

सभी जानते हैं कि सृष्टि के चक्र को अविरल चलाने को माँ, राखी बांधने को बहन, कहानी सुनाने को दादी, जिद पूरी करने को मौसी, खीर खिलाने को भाभी, जीवन साथी हेतु पत्नी इन जरूरतों को पूरा करने हेतु बेटी को जिन्दा रहना जरूरी है। कन्या भ्रूण हत्या से समाज की गति रूक जाएगी। अतः इसे रोकना आवश्यक ही नहीं हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है।

उद्देश्य:

इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को लैंगिक पूर्वाग्रह के खिलाफ शिक्षित करना और लड़कियों के लिए कल्याण सेवाओं की प्रभावशीलता में सुधार करना है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना से पूरे जीवन-काल में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद मिलती है और महिलाओं के सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों का भी समाधान होता है।

बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ योजना का लक्ष्य:

1. बाल लिंगानुपात में सुधार लाना
2. लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना
3. लिंग-पक्षपाती, लिंग-चयनात्मकता रोकना
4. बालिकाओं की उत्तरजीविता और सुरक्षा सुनिश्चित करना
5. बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी को प्रोत्साहित करना

बेटी के जन्म पर आनन्द, उत्सव आदि का आयोजन उन परिवारों में करवा कर प्रशंसा पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर एक नई सामाजिक जागृति पैदा करने की आवश्यकता है। जन्म के बाद बेटी का पालन-पोषण-शिक्षा, माता-पिता की जिम्मेदारी है। विवाह के बाद नये रिश्तों को तन-मन से स्वीकारती है बेटी। बेटी को शिक्षित करना, पूरे परिवार को शिक्षित करना है, बेटी बड़ी होकर पत्नी -माँ बन परिवार को संजोती है। वो जन्मदात्री ही नहीं चरित्र निर्माता भी है। एक शिक्षित बेटी पूरे परिवार को नई दिशा, रोशनी व नया परिवेश दे सकती है। संतान का उचित मार्गदर्शन, अमृत व विष का अन्तर, सदाचार का पाठ पढ़ा जीवन सु-यश-सफल व उत्तम बना सकती है।

बेटी क्यों बचाओ:

बेटी माँ बन गौरव पाती है, नौ माह तक गर्भस्थ शिशु को अपने रक्त की एक-एक बूँद से सींचकर जन्मती है एवं त्यागी व निस्वार्थ होने की वजह से शिशु को पति का नाम दे, आत्म संतुष्टि का अनुभव करती है।



कहीं ऐसा न हो कि आपका लाडला बेटा दूल्हा बनने के सपने देखता रह जाए।

गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान गर्भवती महिला अत्यधिक रक्तस्राव से, गर्भाशय क्षतिग्रस्त होने से, संक्रमण हो जाने से या तो दुबारा माँ नहीं बन पाती या संसार से ही विदा हो जाती है। अतः बेटी को बचायें, माँ को जीवित व समाज की व्यवस्था बरकरार रहने दें। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1981 में 1000 पुरुषों पर 935 महिलाएँ, 1991 में 1000 पर 927, 2011 में 919 ही रह गई, यह आने वाले समय में सबके लिए चुनौती है।

बेटी को क्यों पढ़ाओ:

जन्म के बाद बेटी का पालन-पोषण-शिक्षा, माता-पिता की जिम्मेदारी है। हिन्दुओं के 16 संस्कारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विवाह है। विवाह के बाद नये रिश्तों को तन-मन से स्वीकारती है बेटी। घर की देखभाल, बच्चों का पालन पोषण, पति का ख्याल, सास-ससुर की सेवा प्रातः से रात्रि तक घड़ी की सुई की तरह चलकर पूरा करती है। जीवन तो पशु भी जीते है। पर शिक्षित बेटी आधुनिक जीवन शैली, नये अविष्कार, देश-विदेश की तकनीक का उपयोग कर परिवार में खुशहाली ला सकती है।

जग जाहिर है कि शिक्षा के बल पर हमारे देश की बेटियाँ राष्ट्रपति, गवर्नर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सैनिक, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, पायलट, एमडी व सीईओ, गीतकार, गायिका, स्पेस वूमन, ट्रेन चालक, चित्रकार, कवियित्री, लेखिका, डॉक्टर, प्रधानाध्यापक यहाँ तक कि फाइटर प्लेन पायलट बन घर-परिवार, समाज, शहर व देश का गौरव बढ़ा रही हैं। शिक्षित बेटियाँ बेटों के बराबर ही नहीं बल्कि ज्यादा बेहतर तरीके से घर व्यवसाय संभालकर अपने आपको सिद्ध कर रही हैं। साथ ही परिवार की आर्थिक मददगार भी साबित हो रही हैं। बेटी को शिक्षित करना अति आवश्यक ही नहीं हर परिवार की नैतिक जिम्मेदारी भी है। भ्रूण हत्या करना घोर अपराध है तथा इसके लिए सजा का भी प्रावधान है पर आज तक किसी को भी सजा नहीं मिल सकी है। यहाँ तक कि डॉक्टर जीवन देते हैं पर पैसे की लालच में वे भी जीवन लेने से नहीं चूकते।

धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व

विश्व की प्रख्यात महिलाओं में सावित्री जिन्दल, इन्द्रजैन, अनुभाग, किरण मजूमदार, शोभना आदि भारतीय रही हैं। इन्द्रा नूई, शिखा शर्मा आदि ने नाम रोशन किया है। संस्कारित, शिक्षित महिला ही स्वस्थ-समर्थ परिवार व भारत की संरचना कर सकती है। मनुस्मृति में माता का दर्जा पिता से हजार गुना अधिक माना गया है तथा शंकराचार्य महाराज भगवान श्रीकृष्ण को माँ पुकारते थे और उपनिषदों में मातृदेवो भव पितृदेवो भव कहा है एवं वन्देमातरम मे भी माँ की ही वंदना की गई है। राम, कृष्ण, हनुमान आदि के जीवन को

सुसंस्कारों से माँ ने सजाया। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने माँ को ममतामयी, जीवनदायनी, परोपकारिणी बताया है। माँ की गोद से बड़ी कोई पाठशाला नहीं, माँ से बड़ी कोई शिक्षिका नहीं, माँ की ममता, वात्सल्य, प्रेम निःस्वार्थ होता है। ईश वंदना में भी माँ को पहले नमन करते हैं। उदाहरण स्वरूप त्वमेव माता च पिता त्वमेव। मंदिर, सत्संग, कथा में ज्यादा महिलाएँ होती हैं अर्थात् वे धर्म संस्कृति की रक्षा करती है।

समाज को जागरूक करने के लिए सामूहिक प्रयास

- बेटी के जन्म पर सरकारी अस्पतालों में जाकर मनोबल बढ़ायें, मिठाई बांटे, बाजे बजायें।
- धर्म गुरुओं द्वारा प्रवचन करवाकर जनता को लाभविन्त करें
- निकट क्षेत्रों में कन्या भ्रूण हत्या न करने के संकल्प पत्र भरवायें।
- वाहनरैली, पदयात्रा, मशालयात्रा से लोगों में जागरूकता लायें
- निर्धन परिवार की कन्या को गोद ले या शिक्षा व लालन-पालन हेतु आर्थिक मदद करें।
- घर-परिवार में ऐसी नौबत न आने दें, पुरुषों को शिक्षित करें।
- महिलाओं को शिक्षित करने के प्रबंध करें ताकि पुत्र मोह के बंधन से मुक्त हो सकें।
- करवाचौथ, बसंत पंचमी, रक्षाबंधन, तीज मेला लगायें।

निष्कर्ष

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना भारत में बालिकाओं से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए भारत सरकार की एक पहल है। योजना के तहत यह पहल फल देने लगी है क्योंकि लोगों में जागरूकता का स्तर बढ़ रहा है। इसलिए, लोगों को अब समाज में बालिका उत्थान के लिए गंभीरता से काम करना होगा। इस योजना की सफलता से देश की आर्थिक वृद्धि में जबरदस्त इजाफा होगा। यह इस तथ्य के कारण है कि भारत यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा उपेक्षित रहे। भारत सरकार ने भी वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए अनिवार्य है कि बेटियों को बचायें भी और बेटियों को पढ़ाएँ भी।

राजभाषा प्रश्नोत्तरी का उत्तर

1. (क)
2. (क)
3. (ग)
4. (ग)
5. (क)
6. (क)
7. (ग)
8. (ख)
9. (घ)
10. (क)
11. (क)
12. (क)
13. (ग)
14. (ख)
15. (घ)



मोती

- ❶ पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबासी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं।
- ❷ इंसान की संपत्ति न दौलत है, न धन है। उसकी संपत्ति तो उसका हँसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है।
- ❸ परिवर्तन से मत डरो, अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हो, तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो ॥
- ❹ संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती।।
- ❺ दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- ❻ संसार में ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं, जो कठोर किंतु हित की बात कहने वाले होते हैं।
- ❼ जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में समय बर्बाद मत करो।
- ❽ जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा।
- ❾ तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है।
- ❿ आक्रोश में लिए गए फैसले, सदैव गलत ही साबित हुए हैं।
- ⓫ समस्या जिसकी होती है, समाधान भी उसी के पास होता है।
- ⓬ शिक्षा कहीं से भी मिले ग्रहण कर लेना चाहिए, शिक्षा निष्प्राण वस्तुओं से भी मिल सकती है।
- ⓭ नेतृत्व करने वाले का उद्देश्य मार्ग दिखाना होना चाहिए, न कि शासन करना।
- ⓮ कान के कच्चे और शंकाग्रस्त लोग, सच्चे सुख में भी, दुख भोगते हैं।
- ⓯ संतोष वह पारस पत्थर है जो जिस वस्तु को स्पर्श करता है, उसे स्वर्ण बना देता है।

कोर्ट में एक एक्सीडेंट केस पर सुनवाई चल रही थी।
जज : क्या सबूत है कि तुम कार धीमे चला रहे थे?
आरोपी : हुजुर, मैं अपनी बीवी को लेने अपने ससुराल जा रहा था।
जज : रिहा कर दो इस मासूम को ...।



दुकानदार - मैंने आपको दुकान की एक एक चप्पल दिखा दी,
अब तो एक भी बाकी नहीं है।
महिला - वो सामने वाले डिब्बे में क्या है?
दुकानदार - बहन, थोड़ा रहम कर उसमें मेरा खाना रखा हुआ है।



बॉस ने जोक सुनाया तो पूरी टीम हँसने लगी,
बस एक लड़का नहीं हँसा।
बॉस ने पूछा - क्या तुम्हें मेरा जोक समझ नहीं आया?
लड़का - सर, मेरा सलेक्शन दूसरी कंपनी में हो गया है।



मोनू - बचपन से ही शौक था अच्छा इंसान बनने का!
सोनू - फिर क्या हुआ, बन गए?
मोनू - अरे कहां, बचपन खत्म, शौक खत्म।



पप्पू : कल मैंने एक रॉकेट छोड़ा तो सीधा सूरज से टकरा गया।
बंटी : फिर क्या हुआ?
पप्पू : फिर मेरी पिटाई हुई।
बंटी : किसने पीटा ?
पप्पू : सूरज की मम्मी ने यार।



देश में सरकारी अस्पताल का मतलब है जान से हाथ धोना
और प्राइवेट अस्पताल का मतलब है जायदाद से हाथ धोना
इसलिए हर घंटे हाथ धोते रहें ताकि दोनों जगह ना जाना पड़े।



तीन महीने हो गए जिम की मेम्बरशिप लिए।
न बॉडी बन रही, न ही वज़न कम हो रहा है।
कल खुद जिम जाकर देखता हूँ, प्रॉब्लम क्या है ???



मुझे एक दोस्त ने कहा कि तुम चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते ?
मैंने कहा एक बार जिसका चुनाव किया था,
उससे ही लड़ते - लड़ते मुझे फुर्सत नहीं मिलती।





महिला सशक्तिकरण में आइओबी का योगदान

निष्ठा शुक्ला, सहायक प्रबंधक, लखनऊ क्षेत्र



सशक्तिकरण का अर्थ है कि मनुष्य अपने निर्णयों के लिए किसी अन्य पर निर्भर न हो और वह अपने जीवन के विषय में खुद निर्णय लेने में सक्षम हो। अर्थात् सामाजिक और आर्थिक स्वावलंबन। इस दृष्टि से देखें तो नारी का सशक्तिकरण एक सर्वांगीण व बहुआयामी दृष्टिकोण है। यह राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है। एक राष्ट्र का सर्वांगीण व समरसतापूर्ण विकास तभी संभव है जब महिलाओं को समाज में उनका यथोचित स्थान व पद दिया जाए। उन्हें पुरुषों के साथ-साथ विकास का सहभागी माना जाए।

सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाएँ अपने आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न कारकों पर नियंत्रण प्राप्त करती हैं। अपनी शक्तियों व सम्भावनाओं, क्षमताओं व योग्यताओं तथा अधिकारों व जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होती हैं।

आज के आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है। हमारे आदि-ग्रंथों में नारी के महत्त्व को मानते हुए यहाँ तक बताया गया है कि “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:” अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं।

महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें अनेक आयाम हैं जैसे शारीरिक, भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनैतिक इत्यादि, जिसमें आर्थिक आयाम नितांत आवश्यक है।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ उनके आर्थिक फैसलों, आय, संपत्ति और दूसरी वस्तुओं की उपलब्धता से है, इन सुविधाओं में योगदान देकर ही वह अपने सामाजिक स्तर को ऊँचा कर सकती हैं।

भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएँ चलाई जाती हैं। इनमें से अधिकतम योजनाएँ महिलाओं के रोजगार, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य जैसी चीजों से सम्बंधित हैं। इन योजनाओं का गठन भारतीय महिलाओं की परिस्थिति को देखते हुए किया गया है ताकि समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके।

भारत में महिला सशक्तिकरण योजनाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं को संसाधनों, अवसरों और सुरक्षा तक समान पहुंच मिले।

सरकार ने बैंकों द्वारा कई अलग-अलग कार्यक्रम और पहल चलाई हैं जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करती हैं। बैंकों ने महिलाओं को वित्तीय समावेशन और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की है जिस कारण उन्हें भारतीय समाज में सामाजिक-आर्थिक समानता प्राप्त करने में मदद मिली है।

बैंकों द्वारा महिलाओं को वित्तीय सहायता और विशेष रियायती दरों पर ऋण भी दिया जाता है। बैंक पारंपरिक रूप से महिलाओं की वित्तीय बचतों और जरूरतों को पूरा करने में उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। बैंकों ने महिलाओं हेतु बचत खाते खोलना, सावधि जमा, विभिन्न तरह के कर्ज देना आदि कार्यों द्वारा उनकी प्रगति में साथ दिया है। बैंकों ने लघु उद्योगों व सूक्ष्म उद्योगों की मदद से ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की महिलाओं के रोजगारों के अवसर प्रदान किये हैं।

महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण का समर्थन करने के लिए तथा उन्हें उन्नत विशेषाधिकार और सुविधाएँ प्रदान करने हेतु इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (आइओबी) ने भी खास स्कीम चलाई है, जिसके जरिये महिलाएँ अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं और अच्छा धनोपार्जन कर सकती हैं। जिनमें से कुछ स्कीमों की चर्चा निम्नवत है:

आइओबी-महिला-समृद्धि:

आइओबी महिला समृद्धि विशेष रूप से जेन नेक्स्ट महिला उद्यमियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार की गई योजना है जिसका उद्देश्य मशीनरी की खरीद, निर्माण, मरम्मत, उन्नयन, एलसी/एलजी, डब्ल्यूसीटीएल के रूप में नई और अतिरिक्त कार्यशील पूंजी को उपलब्ध करना है। इसमें अधिकतम ऋण राशि रु.10 करोड़ है। इसमें 50 लाख तक की ऋण राशि पर शून्य प्रोसेसिंग शुल्क और टीएल मार्जिन के अग्रिम शुल्क पर 50% की रियायत है।

महिला सम्मान बचत प्रमाण-पत्र 2023:

महिलाएँ स्वयं के लिए या नाबालिग लड़की की ओर से अभिभावक द्वारा न्यूनतम रु.1000/- (रु. 100/- के गुणकों में कोई भी राशि) और अधिकतम रु. 200000/- एवं 2 वर्ष की अवधि के लिए इसमें निवेश कर 7.50% तक की ब्याज दर का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

भूमि-शक्ति:

इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक रूप से उन्नति, विकास एवं सशक्तिकरण करना है एवं कृषि के अंतर्गत सभी गतिविधियों के लिए महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसमें जिन महिलाओं के पास स्वयं के नाम पर कृषि भूमि है या किरायेदार किसान हैं, या किरायेदार एक महिला हैं, वे सभी पात्र हैं।

इसके अतिरिक्त भी आइओबी सुकन्या समृद्धि योजना, विद्या सुरक्षा जैसी कई अन्य स्कीम भी चलाता है, जो महिलाओं के बेहतर भविष्य और सशक्तिकरण हेतु विशेष महत्व रखती हैं। साथ ही बैंक महिलाओं के कौशल विकास हेतु आइओबी शक्ति नामक मेमोरियल ट्रस्ट भी चलाता है जिसके विषय में विस्तृत चर्चा निम्नवत है:



आइओबी शक्ति:

शक्ति - आइओबी चिदम्बरम चेट्टियार मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना 1995 में आइओबी के संस्थापक - श्री एम.सी.टी.एम.चिदंबरम चेट्टियार की स्मृति को बनाए रखने के लिए की गई थी। ट्रस्ट को औपचारिक रूप से दिनांक 09.12.1995 को तत्कालीन माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार श्री पी.चिदंबरम द्वारा लॉन्च किया गया था। ट्रस्ट का उद्देश्य व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से समाज के निचले तबके की महिलाओं को सशक्त बनाना है।

शक्ति - आइओबी चिदम्बरम चेट्टियार मेमोरियल ट्रस्ट की शुरुआती पूंजी 5.25 लाख रुपये थी जो अब बढ़कर 21.30 लाख रुपये हो गई है।

इसका उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों, सेवा संगठनों और गैर-लाभकारी संस्थानों जैसे अन्य संस्थानों के साथ गठजोड़ करके महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौशल आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल हैं:-

1. नर्सिंग योजना
2. सिलाई कोर्स
3. सचिवीय पाठ्यक्रम
4. खुदरा बिक्री प्रबंधन
5. ऑडियो/वीडियो मरम्मत/तंत्र
6. कंप्यूटर एप्लिकेशन
7. कार्यवाहक प्रशिक्षण
8. स्क्रीन प्रिंटिंग
9. सुई का काम
10. छोटी-मोटी घरेलू मरम्मत
11. मोमबत्ती बनाना
12. फिनाइल, बर्तन धोने का पाउडर, साबुन का तेल आदि तैयार करना।

अब तक गरीबी रेखा से नीचे वाली 1128 महिलाओं को कौशल आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण से लाभान्वित किया गया है। आज वह रोजगार कर रही हैं और परिवार का सम्मान से भरण-पोषण कर रही हैं।

आइओबी में महिला कार्मिकों के लिए विशेष प्रावधान:

महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु बैंक ने संस्था में कार्यरत सभी महिला कार्मिकों की उन्नति और प्रगति को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान किए हैं, जिनमें से कुछ निम्नवत हैं:

- 1) आइओबी में महिलाओं को 180 दिन यानी 6 महीने का मातृत्व अवकाश या *मैटरनिटी लीव* दी जाती है। बच्चे के जन्म और उसकी शुरुआती देखभाल के लिए महिलाओं को यह छुट्टी संपूर्ण कार्य काल में दो बार दी जाती है। इस दौरान महिला कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी दी जाती है।
- 2) आइओबी में महिलाओं को *सबैटिकल लीव* के अंतर्गत कम से कम 3 माह और अधिक से अधिक 2 वर्ष बिना वेतन छुट्टी का प्रावधान है, जिससे वे कार्य क्षेत्र के अलावा परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का सुचारु रूप से निर्वहन कर सकें।
- 3) महिलाओं का महत्त्व और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता लाने के लिये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस और विभिन्न *महिला प्रशिक्षण* भी बैंक में संचालित किए जाते हैं, जिससे महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके।
- 4) आइओबी ने महिलाओं के *स्थानांतरण नीति* में उनकी समस्याओं के निराकरण एवं प्राथमिकताओं हेतु विशेष उपबंध किए हैं।
- 5) सुरक्षा दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बैंक में *महिला सेल* भी बनाया गया है जो महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने हेतु कार्य करता है। बैंक में महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी समस्याओं के निराकरण करने संबंधी समिति भी उपलब्ध है। बैंक महिलाओं के सुरक्षा को लेकर बहुत संवेदनशील है।

साथ ही महिलाओं की प्राथमिकताओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बैंक लगातार प्रयासरत रहते हुए नये-नये परिवर्तनों को लागू करता रहा है, जिससे महिलाओं को इस संस्था में एक बेहतर भविष्य प्राप्त हो सके।



अतः स्पष्ट है कि इण्डियन ओवरसीस बैंक ने महिला सशक्तिकरण के लिए लक्षित नीतियों को लागू किया है। इसमें कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं जोकि

महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं और वे आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। साथ ही आइओबी अपने संस्थान में काम करने वाली महिला कार्मिकों की प्रगति और सशक्तिकरण हेतु निरंतर प्रयासरत है। उपरोक्त के अनुसार कहा जा सकता है कि देश में महिला सशक्तिकरण में बैंकिंग सेवाओं का विशेष महत्व है तथा इस लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में आइओबी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।



सरोजिनी नायडू

मधुमिता बनर्जी, प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद ✍️



भारत देश है हमारा बहुत प्यारा,
सारे विश्व मे है यह सबसे न्यारा
अलग-अलग हैं यहा सभी के रूप रंग,
पर सुर सब एक ही गाते,
झण्डा ऊंचा रहे हमारा

भारत कोकिला, जिसने अपनी रचनाओं के साथ लाखों दिलों को छुआ, वह एक महान कवयित्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और एक कुशल राजनीतिज्ञ थीं। वहीं उन्हें 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' (INC) की पहली महिला प्रेसिडेंट भी बनाया गया था और वर्ष 1928 तक वे इस पद पर बनी रहीं। इसके अलावा, वह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थीं। हम बात कर रहे हैं सरोजिनी नायडू की जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा की थीं। आइए उन्हें जानते हैं;

13 फरवरी 1879 को सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम अधोरनाथ चट्टोपाध्याय था, वह एक वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री थे। सरोजिनी नायडू की माता का नाम वरदा सुंदरी था, वह कवयित्री थीं और इसके साथ बांग्ला भाषा में कविताएँ भी लिखती थीं। सरोजिनी नायडू अपने आठ भाई बहनों में सबसे बड़ी थीं।

उनके परिवार के सभी सदस्य देश प्रेमी थे। उनके एक भाई का नाम धीरेंद्र नाथ था, जो क्रांतिकारी थे। उनके दूसरे भाई का नाम हरिंद्रनाथ था। वह कवि, कथाकार और कलाकार थे। सरोजिनी नायडू बहुत ही होनहार छात्रा थीं। वह उर्दू, इंग्लिश, बांग्ला, तेलुगू, फारसी जैसी अन्य भाषाओं में निपुण थीं। सरोजिनी नायडू जब 12 वर्ष की थीं तब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी।

उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में पहला स्थान हासिल किया था। उनके पिता की यह इच्छा थी कि वह बड़ी होकर गणितज्ञ या वैज्ञानिक बनें। परंतु सरोजिनी नायडू की रुचि कविता में थी। वह 16 साल की उम्र में उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चली गईं। वहाँ उन्होंने 'किंग्स कॉलेज लंदन' और 'केंब्रिज के 'गिरटन कॉलेज' में शिक्षा हासिल की थी। लंदन में उनकी मुलाकात अर्थर साइमन और एंडमंड गोडसे, जो प्रतिष्ठित कवि थे, से हुई। सरोजिनी नायडू को एंडमंड ने भारतीय विषय को ध्यान में रखकर लिखने की सलाह दी थी। भारत देश के पर्वतों, मंदिरों, नदियों और उनके सामाजिक परिवेश के बारे में अपनी कविता में समाहित करने के लिए प्रेरणा दी।

सरोजिनी नायडू जब 15 साल की थीं तब वो डॉक्टर गोविंद राजालु नायडू से मिली थीं। डॉक्टर गोविंदराजलु नायडू एक गैर ब्राह्मण और पेशे से डॉक्टर थे। 19 साल की उम्र में सरोजिनी नायडू का विवाह गोविंदराजलु से हो गया था। उन्होंने अंतरजातीय विवाह किया था जो

उस दौर में मान्य नहीं था। यह एक प्रकार का क्रांतिकारी कदम था परंतु इस कदम में उनके पिता ने उनका पूरा साथ दिया था।

शादी के बाद भी उन्होंने अपना लेखन कार्य जारी रखा। वह अपनी ओजस्वी कविता के लिए जानी जाती थीं, जिनमें अक्सर प्रकृति की सुंदरता, भारतीय जीवन का चित्रण और ब्रिटिश शासन से आजादी की वकालत की जाती थी। वह बहुत ही सुंदर कविताएँ लिखा करती थीं, जिसे लोग गीत के रूप में इस्तेमाल करते थे। उनकी कविता बुलबुले वर्ष 1905 में प्रकाशित हुई थी। वें अंग्रेजी भाषा में भी कविता लिखा करती थीं परंतु उनकी कविताओं में भारत देश की रूपरेखा झलकती थी।

Till ye have battled with
Great grief and fears.
And borne the conflict
Of dream-shattering years.

Wounded with fierce
Desire and worn with strife,
Children, ye have not
Lived : for this is life.

नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी ली और उनका सब काम संभाला। भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

वर्ष 1905 में वे बंगाल विभाजन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुई थीं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वह कई सारे लोगों से मिली थीं। इस दौरान वें गोपाल कृष्ण गोखले, रवींद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, सीपी रामास्वामी अय्यर, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू से मिलीं। उन्होंने भारत की महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और अधिकार के लिए आवाज उठाई थी। उन्होंने भारत देश में छोटे गांव से लेकर बड़े शहरों तक पूरे राज्य में हर जगह महिलाओं को जागरूक किया था। सरोजिनी नायडू वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष के पद पर चुनी गई थीं। गांधी जी के **सविनय अवज्ञा आंदोलन** में वह उनके साथ जेल भी गई थीं। भारत छोड़ो आंदोलन में वर्ष 1942 में सरोजिनी नायडू को 21 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा था।

सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनीं। उत्तर प्रदेश राज्य का राज्यपाल घोषित होने के बाद वह लखनऊ राज्य में बस गई थीं।



भारत में हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती को 'राष्ट्रीय महिला दिवस' के रूप में मनाया जाता है। वह हमारे देश की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा थीं। सरोजिनी नायडू एक स्वतंत्रता आंदोलन की एक राजनीतिज्ञ कार्यकर्ता होने के साथ-साथ कवियत्री भी थीं। उन्हें भारत कोकिला (नाइटिंगेल ऑफ इंडिया) कहा जाता है। अपने संपूर्ण जीवन में सरोजिनी नायडू ने महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए बहुत से कार्य किए थे और समाज में जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया था। उन्होंने वर्ष 1917 में 'महिला भारतीय संघ' की स्थापना में मदद की। सरोजिनी नायडू का योगदान भारत की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारा देश निश्चित रूप से महिलाओं को उनके अधिकार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसकी वे हकदार हैं। फिर भी, हमें अभी एक लंबा रास्ता तय करना है।

एक शिक्षित और प्रोत्साहित परिवार होने के बाद, वह अपने जुनून में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए हर अवसर का उपयोग करती थीं। उन्होंने राजनीतिक दुनिया जरूर चुनी लेकिन अपने करियर के किसी भी हिस्से में अपनी छाप को कम किए बिना, लगातार लिखती रहीं। उनके साहित्यिक कार्यों को दुनिया भर में विभिन्न लोगों द्वारा सराहा जाता है। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं में "हैदराबाद के बाज़ारों में", "द गोल्डन थ्रेडहोल्ड", "द बर्ड ऑफ़ टाइम", "द क्रीन्स राइवल", "द रॉयल टॉम्बस ऑफ़ गोलकोंडा" आदि शामिल हैं।

"हम गहरी सच्चाई का मकसद, भाषण में अधिक से अधिक साहस और कार्रवाई में ईमानदारी चाहते हैं।"

2 मार्च 1949 को उनका निधन हो गया। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत देश पर न्यौछावर किया था। वह हमेशा महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए अपनी आवाज़ उठाती रहीं। 13 फरवरी 1964 को भारत सरकार ने उनकी जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में 15 नए पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया।

सरोजिनी नायडू के जीवन से जुड़े कुछ तथ्य

सरोजिनी नायडू का प्रथम कविता संग्रह "द गोल्डन थ्रेडहोल्ड" था। उनके दूसरे तथा तीसरे संग्रह बर्ड ऑफ़ टाइम तथा ब्रोक्न विंग ने उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवियत्री बना दिया। सरोजिनी नायडू ने 13 वर्ष की आयु में "लेडी ऑफ़ द लेक" नामक कविता की रचना की। सरोजिनी नायडू का मेहर मुनीर फारसी नाटक सुप्रसिद्ध था।

सरोजिनी नायडू को मिले पुरस्कार और सम्मान

- ब्रिटिश सरकार ने सरोजिनी नायडू को प्लेग महामारी से लोगों को बचाने के लिए उन्हें "कैसर ए हिंद" पुरस्कार से सम्मानित किया था।
- 13 फरवरी 1964 को भारत सरकार ने उनकी जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में 15 नए पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया गया था।

"एहसास"

खामोशी संग बाते हमारी कुछ इस तरह,
बारिश के बाद हो मिट्टी की
खुशबू का एहसास !!

अनोखे से रंग है हमारे जज़्बातों के,
जैसे ढलती शाम में है,
रंगों का एहसास !!

जितने पास उतने ही दूर हुए है,
जैसे तलाश में पानी की,
पंछी की प्यास का एहसास।।

अशकों की बूंदों में बनता बिगड़ता अक्स है,
सोती सी आँखों में हो
जैसे ख्वाबों का एहसास !

दर्द के रिश्ते भी कितने रुहानी से है,
मिल जाये अंधेरों में जिस तरह,
रोशनियों का एहसास !!

मन के हर कोने में बस गूंजे ये आवाज़,
क्यों हर एहसास जुड़ के बने,
नया सा एहसास !!



शबनम बानो
सहायक प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय
रायपुर





राजभाषा आयोग व कार्य

राजभाषा आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद-344 में वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। इस आयोग का गठन 7 जून, 1955 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के माध्यम से किया गया था।

आयोग का कार्य : जैसा कि संविधान के अनुच्छेद-344 में परिभाषित किया गया है, राष्ट्रपति को सिफारिश करना आयोग का कर्तव्य होगा:

- संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी भाषा का प्रागामी प्रयोग
- संघ के सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग पर प्रतिबंध
- अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा
- संघ के किसी एक या अधिक निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले अंकों का रूप
- संघ की आधिकारिक भाषा और संघ और एक राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संचार की भाषा और उनके उपयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजा गया कोई अन्य मामला।

- 1) संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी?
क) 9 दिसम्बर 1946 ख) 15 अगस्त 1947
ग) 14 सितम्बर 1947 घ) 26 जनवरी 1949
- 2) भारत संघ की राजभाषा के निर्धारण के लिए संविधान सभा में कितने दिन बहस हुई थी?
क) तीन ख) दो
ग) एक घ) चार
- 3) 2008 में किन दो भाषाओं को "शास्त्रीय भाषा" का दर्जा मिला?
क) संस्कृत और मलयालम ख) संस्कृत और तमिल
ग) कन्नड़ और तेलुगु घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- 4) हिन्दी सीखने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा परिकल्पित वेब एवं मोबाईल आधारित एक कुशल एवं स्वयं शिक्षक प्रणाली का नाम है -
क) मंत्र राजभाषा ख) कंठस्थ
ग) लीला हिंदी प्रवाह घ) प्रवाचक राजभाषा
- 5) निम्नलिखित में से कौन सी भाषा त्रिपुरा में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है?
क) बंगाली ख) चकमा
ग) कोकबोरोक घ) अंग्रेजी
- 6) बोडो भाषा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है?
क) असम ख) झारखंड
ग) हिमाचल प्रदेश घ) कर्नाटक
- 7) अंग्रेजी किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा है?
क) गोवा ख) पांडिचेरी
ग) नागालैंड घ) त्रिपुरा
- 8) बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली संविधान के किस संशोधन में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में शामिल है?
क) 73 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992
ख) 92 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2003
ग) 103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2018
घ) 101 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2016
- 9) इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है?
क) उर्दू ख) तमिल
ग) नेपाली घ) राजस्थानी
- 10) राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे?
क) गोविंद बल्लभ पंत ख) बी जी खेर
ग) पुरुषोत्तम दास टंडन घ) डॉ राजेंद्र प्रसाद
- 11) संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते संसद में कार्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जा सकता है?
क) अनुच्छेद 348 ख) अनुच्छेद 347
ग) अनुच्छेद 343 घ) अनुच्छेद 351
- 12) राजभाषा की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343-351 संविधान के किस भाग में हैं -
क) भाग 17 ख) भाग 2
ग) भाग 4 घ) भाग 6
- 13) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना का वर्ष है?
क) 1947 ख) 1950
ग) 1960 घ) 2003
- 14) राष्ट्रभाषा के समानांतर राजभाषा शब्द के प्रयोग का प्रस्ताव किसने रखा?
क) जवाहर लाल नेहरू ख) सी राजगोपालाचारी
ग) महात्मा गांधी घ) गोविंद बल्लभ पंत
- 15) मानक हिन्दी के प्रसार के लिए कौन सा विभाग उत्तरदायी है?
क) केन्द्रीय हिंदी संस्थान ख) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो
ग) राजभाषा विभाग घ) केन्द्रीय हिंदी निदेशालय

नोट : राजभाषा प्रश्नोत्तरी के उत्तर के लिए पृष्ठ संख्या 52 देखें



संकलनकर्ता:
प्रेरणा हितेंद्र नागरकर
लिपिक
नागपुर क्षेत्र



आपके पत्र संदर्भ सं. राभावि/ 124/2023-24 दिनांक 19.03.2024 के साथ प्रकाशित हिन्दी गृहपत्रिका 'वाणी' का 139वां अंक (दिसंबर 2023) प्राप्त हुआ जो डिजिटल बैंकिंग को समर्पित है। इस पत्रिका में बैंकिंग, पुस्तक समीक्षा, जागरूकता कोना, कविताओं, विशेष आलेखों के साथ-साथ डिजिटल बैंकिंग पर विभिन्न रचनाओं को शामिल किया गया है।

पत्रिका में प्रकाशित रचनाएँ विशेष रूप से बैंक में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन लेख में बैंकिंग जगत में धोखाधड़ी जोखिम के निवारण से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। हिन्दी एक समुन्नत भारतीय भाषा लेख में हिन्दी भाषा के विकास से हिन्दी भाषा के उज्ज्वल भविष्य तक एवं समुन्नत भारतीय भाषा के रूप में हिन्दी के विस्तृत रूप को दर्शाया गया है। पत्रिका में शब्द-शब्दांतर कॉलम काफी रोचक है जो शब्दों के उच्चारण, उद्भव और अर्थ का बोध करवाता है। बैंकों में अनुपालन महत्व के साथ-साथ विभिन्न बैंकिंग विषयों तथा भाषा संबंधी रचनाओं को भी समुचित स्थान दिया गया है। जो इसे और रोचक एवं ज्ञानवर्धक बनाता है। पत्रिका में प्रकाशित चित्रों के माध्यम से आपके बैंक में राजभाषा कार्यान्वयन की विविधरंगी झलक प्राप्त होती है।

समग्र रूप से परिपूर्ण व आकर्षक दिसंबर 2023 अंक प्रकाशित करने हेतु संपादक मण्डल व सम्पूर्ण टीम को हार्दिक बधाई। इसी प्रकार ज्ञानवर्धक सामग्री से भरपूर अगले अंक की हमें प्रतीक्षा रहेगी, जिसके लिए हमारी अनेकानेक शुभकामनाएँ।

भवदीया

अर्चना शुक्ला

महाप्रबंधक, यूनिन बैंक, केंद्रीय कार्यालय

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की त्रैमासिक गृह पत्रिका 'वाणी' का दिसंबर -2023 अंक प्राप्त हुआ। डिजिटल बैंकिंग पर आधारित पत्रिका का कलेवर एवं रूप-सज्जा बेहद आकर्षक है। माननीय राष्ट्रपति महोदया से बैंक को प्राप्त पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। पत्रिका में संकलित सभी आलेख बेहद ज्ञानवर्धक हैं। अयोध्या पर विशेष आलेख, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन, अनुपालन, संस्कृति एवं डिजिटल बैंकिंग, साहित्य का सफ़रनामा पर प्रकाशित आलेख अत्यंत उपयोगी व रोचक हैं। इन सभी आलेखकों को मेरी ओर से साधुवाद। पत्रिका में सृजनात्मकता संबंधी आलेखों एवं अन्य गतिविधियों को संतुलित रूप से स्थान दिया गया है। पत्रिका के सुसंगठन को देख कर लगता है कि संपादक मण्डल ने इसे रूपायित करने में काफी मेहनत की है। इस हेतु मैं उन्हें हार्दिक बधाई देती हूँ। महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाशित लेखों ने इस पत्रिका को पठनीय, ज्ञानवर्धक और संग्रहणीय बनाया है। पत्रिका के आगामी अंकों के लिए अग्रिम शुभकामनाओं के साथ...

मनीषा शर्मा

सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा), पंजाब नेशनल बैंक, प्रधान कार्यालय

पत्रिका का सम्पूर्ण कलेवर आकर्षक है। मुख्य रूप से डिजिटल बैंकिंग पर केन्द्रित इस अंक में डिजिटल युग की जटिलताओं को कुशलता से समझाया है एवं बैंकिंग उद्योग के सामने आने वाले नवीनतम रुझानों और चुनौतियों पर मूल्यवान दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। विभिन्न एप्स के गहन विश्लेषण से लेकर साइबर सुरक्षा उपायों पर चर्चा तक, पत्रिका ने इस बारे में व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि कैसे डिजिटलीकरण हमारे बैंकिंग के तरीके को बदल रहा है। साथ ही एमडी व सीईओ व कार्यपालकों के सकारात्मक और प्रेरणादायी संदेश पाठकों की सोच को एक नया आयाम दे रहे हैं।

हर अंक की भांति इस अंक में भी प्रकाशित सभी रचनाएँ सारगर्भित, ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी हैं। वाणी में सब कुछ प्राप्त होती है - ज्ञान, मनोरंजन, स्वास्थ्य, पर्यटन, अध्यात्म आदि। इस प्रकार के उपयोगी एवं सूचना परक अंक के प्रकाशन के लिए समस्त संपादक मंडली को बधाई देती हूँ और आगामी अंक के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ।

एन विजया

मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, कोयंबतूर क्षेत्र

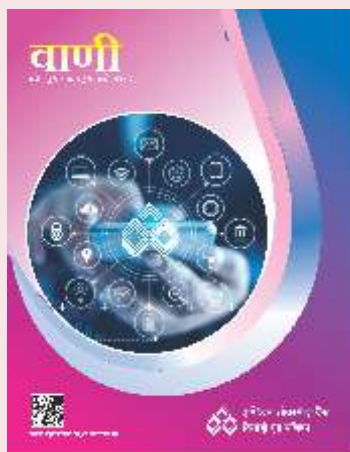
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की तिमाही गृह पत्रिका 'वाणी' का दिसंबर 2023 अंक प्राप्त हुआ। धन्यवाद! पत्रिका का कवर पृष्ठ इसमें छपे डिजिटल बैंकिंग और प्रौद्योगिकी संबंधी लेखों के प्रति पाठक के मन में रुचि उत्पन्न करता है। कार्यपालकों के संदेश डिजिटल बैंकिंग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसके माध्यम से वित्त जगत में हो रहे क्रांतिकारी बदलावों की झलक प्रस्तुत करते हैं। डिजिटल युग और हिंदी जैसे आधुनिक एवं महत्वपूर्ण विषय पर लिखा गया संपादकीय तकनीक के माध्यम से हिंदी के बढ़ते प्रभाव को उजागर करता है। सुरेश रंगटा का विशेष आलेख आँकड़ों की विवेचना के आधार पर अयोध्या के स्वर्णिम आर्थिक भविष्य का समर्थन करता है। साहित्य का सफ़रनामा में नगेंद्र कुमार सिंह ने हिंदी के प्रबुद्ध हस्ताक्षर 'नागार्जुन' के साहित्यिक सफ़र एवं जीवनी का सजीव चित्रण किया है। योगीश कुमार साव ने अपने आलेख में भारत में साइबर कानूनों के बारे में विस्तार से बताया है। पत्रिका में प्रकाशित सभी आलेखों की विषयवस्तु सूचनात्मक एवं समसामयिक है। पत्रिका में प्रकाशित काव्य रचनाएं पाठकों को भाव-विभोर करने की क्षमता रखती है। 'सिनपा रिकवरी' पर रचित पुष्पेंद्र की कविता रोचक है और रिकवरी में कार्यरत बैंक कर्मियों की भावनाओं को मुखरता से बयां करती है।

हिंदी साहित्य की सभी विधाओं से सराबोर इस अंक के अभूतपूर्व प्रकाशन के लिए 'इण्डियन ओवरसीज़ बैंक' की पूरी टीम सराहना की पात्र है।

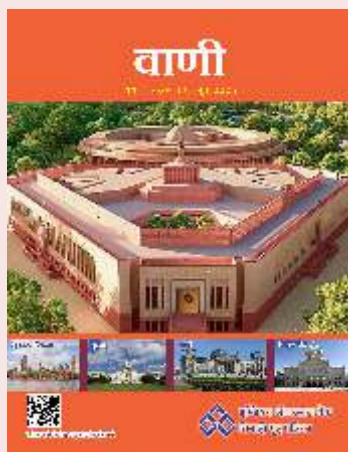
भवदीया,

मऊ मैत्रा

सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा), बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, मुंबई



वाणी के
136वें अंक
का आवरण
पृष्ठ



वाणी के
137वें अंक
का आवरण
पृष्ठ



क्यूआर कोड



क्यूआर कोड

इस अंक को मोबाइल पर पढ़ने के
लिए क्यूआर कोड स्कैन करें

इस अंक को मोबाइल पर पढ़ने के
लिए क्यूआर कोड स्कैन करें



वाणी के
138वें अंक
का आवरण
पृष्ठ



वाणी के
139वें अंक
का आवरण
पृष्ठ



क्यूआर कोड



क्यूआर कोड

इस अंक को मोबाइल पर पढ़ने के
लिए क्यूआर कोड स्कैन करें

इस अंक को मोबाइल पर पढ़ने के
लिए क्यूआर कोड स्कैन करें



सीएसआर पहल के तहत सुनंदा फाउंडेशन को अन्नदान के प्रयोजनार्थ चेक सुपुर्द करते हुए बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी **श्री अजय कुमार श्रीवास्तव**



01 मार्च 2024 को जोखिम जागरूकता दिवस के अवसर पर शपथ लेते हुए शीर्ष कार्यपालक गण



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good People to grow with



चुनें वित्तीय आत्मनिर्भरता की राह !!!



महिला सम्मान

बचत प्रमाण-पत्र 2023
(भारत सरकार की योजना)



जमा पर ब्याज दर: 7.5% प्रति वर्ष



न्यूनतम जमा: ₹. 1000



अधिकतम जमा: ₹. 2 लाख



अधिकतम अवधि: 2 वर्ष तक



आंशिक निकासी सुविधा: उपलब्ध

*नियम व शर्तें लागू



www.iob.in

हमें फॉलो करें



@IOBindia



1800 890 4445